पंचम माला, खंड 43, अंक 23
Fifth Series, Vol. XLIII, No. 23

गुरूवार, 22 अगस्त, 1974/31 श्रावण, 1896 (शक)
Thursday, Aug. 22, 1974/Sravana 31, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 43 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XLIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

PARLIAMENT LIBRARY
No. B. 282(3)
DATE 1.4.75

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 23—गुरुवार, 22 अगस्त, 1974/31 श्रावण, 1896 (शाक)

No. 23—*Thursday, Aug.* 22, 1974/*Shravana* 31, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
453	बिहार में गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Private Sector Coal Mines in Bihar . .	1–3
454	भारी उद्योग मंत्री द्वारा विदेशों के दौरे	Visits Abroad by Minister of Heavy Industry . . .	4–6
458	हैदराबाद में आयोजित राज्य कुष्ठ अधिकारी सम्मेलन में प्रतिनिधियों का भाग न लेना	Non-participation by Representatives in State Leprosy Officers Conference Held in Hyderabad	6–9
459	मूल धातुओं के निक्षेपों का विकास	Development of Base Metal Deposits	9–11
461	भारत-पाक युद्ध के बाद विस्थापित व्यक्ति	Displaced persons after Indo-Pak War	11–13
462	अहमदाबाद में श्रमिक न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामले	Pending Cases in Labour Courts in Ahmedabad . . .	13–14

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
447	न्यूनतम बोनस में वृद्धि करने के बारे में बोनस पुनरीक्षण समिति का सुझाव	Suggestion by Bonus Review Committee to Raise Minimum Bonus . . .	15
448	वाणिज्यिक स्तर के एल्यूमीनियम के निःशुल्क वितरण पर रोक	Curbs on Free Distribution of Commercial Grade Aluminium	16
449	बिजली की कमी के कारण बेरोजगारी	Unemployment Due to power Shortage	16–18
450	दिल्ली में प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की स्थापना	Setting up Naturopathy Hospital in Delhi . . .	18

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—29 L. S. S./74.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
451	आयातित स्टेनलेस स्टील की चादरों के मूल्यों में वृद्धि	Price Rise in Imported Stainless Steel Sheets	19
452	डिफेंस कैन्टीन में नकली रम की बोतल का पकडा जाना	Seizure of Spurious Rum in Defence Cateen	19
455	कोलार स्वर्ण खानों का कुप्रबंध	Mismanagement in Kolar Gold Mines	19
456	खाते में चढ़ाये बिना बेचा गया इस्पात	Unaccounted Steel Sale	19–20
457	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में छंटनी	Retrenchment in Heavy Engineering Corporation	20
460	इन्दौर में बोगस औषध फर्में	Bogus Drugs Firms in Indore	20
462	अहमदाबाद में श्रामिक न्यायालयो में अनिर्णीत मामले	Pending Cases in Labour Courts in Ahmedabad	20–21
463	बोनस पुनर्विलोकन समिति की कार्यावधि का बढ़ाया जाना	Extension of Term of Bonus Review Committee	21
464	बोनस अधिनियम के क्षेत्राधिकार के बारे में बोनस पुनरोक्षण समिति के विचार	Bonus Review Committee views on Scope of Bonus Act	21
465	मैंगनीज और (इंडिया) लिमिटेड मध्य प्रदेश द्वारा मैंगनीज अयस्क का भंडार जमा किया जाना	Manganese ore stock filled up by Manganese Ore (India) Ltd. M.P.	21–22
466	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०, लखनऊ में कदाचार और भ्रष्टाचार	Malpractices and Corruption in HAL Lucknow	22

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
3130	दयानन्द मेडिकल कालेज, पंजाब में केन्द्रीय सरकार के लिये स्थानों का आरक्षण	Reservation of Seats for Central Government in Dayanand Medical College, Punjab	22–23
3131	विदेशों की वित्तीय सहायता	Financial Aid to Foreign Countries	23–24
3132	भारत में एज्यूकेशन काउंसिल फार फौरन मेडिकल ग्रेज्यूएट परीक्षा के केन्द्र	E. C. F. M. G. Examination Centres in India	24
3133	भारत गोल्ड माइंस के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोप	Alleged Charges of Corruption against Managing Director of Bharat Gold Mines.	24–25
3134	कोयले से अशोधित तेल निकालने की प्रौद्योगिकी	Technology to extract Crude Oil from Coal	25
3135	मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में निम्न-ताप कोयला कार्बनीकरण संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Plant in Sarguja District of Madhya Pradesh for Low Temperature Carbonisation of Coal	25
3136	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित दो कानूनों को राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to two pieces of Legislation passed by West Bengal Government	26

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3137	जापान से यूरिया का आयात	Import of Urea from Japan .	26
3138	आसूचना एवं कानूनी विंग द्वारा नकली औषधियों के व्यापार का पता लगाना	Intelligence cum legal Wing to trace in Spurious Drugs .	26–27
3139	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि० द्वारा पिक्चर ट्यूबों की सप्लाई	Supply of Picture tubes by Bharat Electronics Limited. . .	27
3140	बडौदा में औषध विश्लेषण (कैमिस्ट्री) औषध विश्लेषण (मिनीबायोलोजी) में प्रशिक्षण	Training in Drugs Analysis (Chemistry)/ Drugs Analysis (Minibiology) at Baroda .	28
3141	पांचवीं योजना में मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में रेडियो-थिरेपी यूनिटों द्वारा कैंसर की चिकित्सा	Treatment of Cancer by Radio Therapy Units at Medical Colleges and Hospitals in Fifth Plan	28–29
3142	कोयला खान प्राधिकरण द्वारा अधिकार ली गई कोयला खानों के कर्मचारियों को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि/पदोन्नति	Increments/Promotion due to Taken-over Employees of Coal Mines Authority . .	29
3143	देश में सरकार द्वारा चलाये जाने वाले आयुर्वेदिक कालेजों और अस्पतालों तथा औषधालयों की मांग	Demand for Government run Ayurvedic College and Hospitals and Dispensaries in the country	29
3144	द्विपक्षीय वार्ता के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित करना	Invitation io Pakistan for Bilateral Talks. . . .	30
3145	विकास संबंधी आयोजन में भारतीय सहायता दिए जाने का तंजानिया सरकार का अनुरोध	Tanzanian request for Indian Assistance in Planning or Development . . .	30
3146	रेल वैगनों की सप्लाई के लिये विदेशों के साथ समझौता	Agreements with Foreign Countries for Supply of Railway Wagons	30–31
3147	विभिन्न देशों से भारतीयों की स्वदेश वापसी	Repatriation of Indians from Various Countries . .	31–32
3148	औद्योगिक संबंध विधेयक	Industrial Relation Bill.	33
3149	कोयला खान प्राधिकरण द्वारा अधिकार में ली गई खानों के पुराने कर्मचारियों के अधिकार एवं विशेषाधिकार	Rights and Privileges of Taken over Employees of C.M.A.	33
3150	कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था करने हेतु नियोक्ताओं पर सांविधिक बाध्यता	Statutory Compulsion for Houses for Employees . . .	33

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3151	राजस्थान में इंजीनियरिंग श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Engineering Workers in Rajasthan . . .	34
3152	पुनर्वास उद्योग निगम कलकत्ता को पुनः क्रियाशील बनाना	Revitalisation of Rehabilitation Industries Corporation, Calcutta	34
3153	गुजरात औषध नियंत्रण विभाग द्वारा नकली दवाईयों की जालसाजी का पता लगाना	Unearthing of Spurious Drugs Racket by Gujarat Drug Control Department . .	35
3154	1974-75 में कोयले का उत्पादन	Coal Production for 1974-75 .	35
3155	दिल्ली के रक्त बैंक	Blood Banks of Delhi . .	35–36
3156	कोयले के ढेर (डम्प)	Coal Dumps . .	36
3157	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें ग्रामीण अस्पताल बनाना	Upgradation of Primary Health Centres into Rural Hospitals	36–37
3158	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने उत्पादन में विविधता लाना	Diversification of Production by Public Sector Enterprises	37–38
3159	उत्तर प्रदेश के अलमोरा जिले में एक बहुउद्देश्यीय अस्पताल को स्थापना	Establishing a Multipurpose Hospital in Almora District of U.P. . . .	39
3160	रानी गंज में कोयले के भंडार में आग का लगना	Coal Stock Caught Fire in Raniganj	39
3161	तमिलनाडु में बिजली में कटौती के कारण बेरोजगार हुए श्रमिक	Workers Rendered Jobless due to Power Cut in Tamil Nadu	39
3162	इंजीनियरिंग उद्योग में पूंजी निवेश में कमी	Decline in Investment in Engineering Industries . .	39–40
3163	इस्पात का 'रिटेन्शन' मूल्य नियत करना	Fixation of 'Retention' Price of Steel	40
3164	मध्य प्रदेश के मंत्रियों एवं योजना आयोग के सदस्यों द्वारा स्कूटर "ग्रेब" का कथित समाचार	Reported Scooter Grab by Madhya Pradesh Ministry and Planning Commission Members.	40
3165	डीजल जनरेटिंग सेटों का निर्माण	Production of Diesel Generating Sets	40–41
3166	राजस्थान में लघु इस्पात संयंत्र	Mini Steel Plants in Rajasthan	41
3167	केरल में मेडिकल खोलना	Opening of Medical Colleges in Kerala	41
3168	केरल में बाढ़ से प्रभावित हुए मछुओं और भूमिहीन श्रमिकों को सहायता	Help to Flood Affected Fishermen and Landless Labourers in Kerala	42

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3169	1972-73 में रुक-रुक कर बिजली की सप्लाई करने के कारण जन-दिवसों की हानि	Man Hours lost due to power Shedding in 1972-73 . .	42
3170	राष्ट्रीयकरण के पहले और बाद में कोयले की बिक्री से आय	Sale Proceeds of Coal before and after Nationalisation	42
3171	युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to War Widows	43
3172	ईरान और अफगानिस्तान के बीच समझौता	Detente between Iran and Afghanistan . . .	43
3173	"एयर डिफेन्स ग्राउन्ड एनवरनमेंट सिस्टम"	Air Defence Ground Environment System . . .	43
3174	नियंत्रित प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण	Manufacture of Guided Missiles	44
3175	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अधीन मे० एनुल हक बीड़ी व्यापारी मधुपुर के विरुद्ध दायर आपराधिक मामला	Criminal Cases filed under Section 14 of E.P.F. Act against M/s Ainul Haque, Bidi Merchant, Madhupur	44
3176	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अधीन चम्पारन और मुजफ्फरपुर जिलों में आपराधिक मामले	Criminal cases U/S 14 E.P.F. Act in Champaran and Muzaffarpur Districts . .	44
3177	स्थानीय निकायों से खाद्य कानूनों के क्रियान्वयन का कार्य हस्तांतरित किया जाना	Taking over of Implementation of Food Laws from Local Bodies	45
3178	संश्लिष्ठ तेल परियोजना संबंधी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Report of Expert Committee on Synthetic Oil Project	45-46
3179	वर्ष 1974-75 में एम० बी० बी० एस० में दाखिले के लिये दिल्ली का कोटा	Delhi Quota for Admission to M.B.B.S. for 1974-75 . .	46
3180	सेलम इस्पात संयंत्र	Salem Steel Plant . . .	46
3181	प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं को इस्पात का वितरण	Steel Delivery to Major Industrial Projects . . .	46-47
3182	कोयला खान दुर्घटनाएं	Mine Accidents . . .	47
3183	मैसर्स जयश्री उद्योग, पटना के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत दायर किये गये मामले	Cases filed U/S 14 of E.P.F. Act, 1952 against M/s. Jaishree Udyog of Patna . . .	47

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3184	बिहार में, कारखानों/संस्थानों/खानों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम का पालन न किया जाना	Non-compliance of E.P.F. and E.P.F. Act by Factories/establishments/mines in Bihar	47–48
3185	आणविक क्षेत्र में भारत-फ्रान्स सहयोग	Indo-French Collaboration in the Nuclear Field . .	48
3186	केरल के चाय बागान श्रमिकों के मामले	Cases of Tea Plantation Labourers of Kerala . .	48
3187	पुंछ सेक्टर में भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तानी सेना द्वारा अपने कब्जे में लिया जाना	Occupation by Pak troops of Indian area in Poonch Sector.	48–49
3188	इस्पात का आयात	Import of Steel . . .	49
3189	भिलाई इस्पात संयंत्र में बिजली संकट	Bhilai Steel Plant Facing Power Crisis	49
3190	चिकित्सा शिक्षा को ग्रामोन्मुख बनाने के लिये योजना	Plan for making medical Education Rural Oriented .	50
3191	इस्पात उत्पादन में वायू प्रक्रम (एयर प्रोसेस)	Air Process in Steel Production	50
3192	अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	All India WorkingClass Consumer Price Index . .	50–51
3193	औद्योगिक मशीनों की मांग	Demand for Industrial Machinery	51
3194	'जेनेवा स्नातक अध्ययन कार्यक्रम'	Geneva Graduate Study Programme	52
3195	ट्रेड यूनियन अधिनियम का संशोधन	Amendment of Trade Union Act	52
3196	हरियाणा में लघु इस्पात संयंत्र	Mini Steel Plant in Haryana	52–53
3197	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत मैसर्ज यूनाइटेड प्रिंटिंग प्रेस, भागलपुर के खिलाफ आपराधिक मामलों को दर्ज करना	Filling of Criminal cases against M/s United Printing Press, Bhagalpur under E.P.F. Act	53
3198	कर्मचारी, भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत मैसर्ज यूनाइटेड प्रिंटिंग प्रेस	Criminal case against M/s Gaya Janta cold storage, Gaya under E.P.F. Act . .	53–54
3199	बंगलौर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	Regional passport Office at Banglaore	54
3200	प्राण रक्षक औषधियों की खरीद के लिये सरकारी अस्पतालों को निदेश	Instructions to Government Hospitals for purchase of Life saving drugs . . .	54

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3201	कार्बनीकरण प्रक्रिया का विकास	Promotion of Carbonisation Process	54
3202	शरीरशास्त्र विषयक विज्ञानों के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा इजरायल और ताइवान को आमंत्रण	Invitation to Israel and Taiwan by International Union of Physiological Sciences	55
3203	लौह अयस्क पर उपकर . .	Cess on iron ore . . .	55
3204	दक्षिण अफ्रीका में मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में संयुक्त राष्ट्र एसेम्बली द्वारा जांच	U.N. Enquire into violation of human rights in South Africa	55–56
3205	गुंडूर (आंध्र प्रदेश) में अभ्रक खानों के श्रमिकों में क्षय रोग के मामले	Incidents of T. B. Among workers in Mica Mines in Gundur (A.P.) . . .	56
3206	सुरक्षा अधिकारियों की व्यवस्था के लिए फैक्टरी अधिनियम का संशोधन	Amendment of Factories Act for Provision of Safety Officers.	56
3207	छोटे इस्पात संयंत्र का कार्यकरण	Performance of Mini Steel Plants	57–58
3208	कोयले से तेल का उत्पादन करने के लिए विदेशी फर्मों की सहायता मांगना	Help of Foreign Firms to Produce Oil from Coal . .	58
3209	कोयले के हाइड्रोजनीकरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की योजना	Scheme of West Bengal Government for Hydrogenation of Coal	58–59
3210	भारत में कोयले से अशोधित तेल को निकालने के लिये विदेशों का रुचि लेना	Interest shown by Foreign Countries for Extracting Crude from Coal in India	59
3211	बिजली की कमी को दूर करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता	Expertise Technology acquired by Bharat Heavy Electricals Limited for meeting Power Shortage . . .	59
3212	इस्पात व्यापार . . .	Business in Steel . . .	60
3213	एच० ए० एल० को निर्यात से आय	Export earning of HAL .	60
3214	अलौह इस्पात के कारखाने .	Non-Ferrous Steel Plants	60
3215	इस्पात के मूल्य में और वृद्धि .	Further Price Rise in Steel	60–61
3216	चौथी पंचवर्षीय योजना में मानसिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना	Opening of Mental in 4th Five Year Plan	61
3217	सैनिक विधवाओं तथा विकलांग सैनिकों को औद्योगिक लाइसेंस	Industrial Licences to War Widows and Disabled Soldiers	61
3218	बन्ध्या रोग के बारे में अनुसंधान .	Research in Barrenness . .	61–62

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3219	कैंसर अनुसंधान केन्द्रों के लिये अपर्याप्त वित्तीय सहायता	Inadequate Financial Assistance to Cancer Research Centres	62
3220	बम्बई हाई से समुद्री पाईप लाइन के लिये उपकरण बनाया जाना	Manufacture of Equipment for Submarine Pipeline from Bombay High . . .	62
3221	कोयला वितरण प्रणाली से बिचौलियों का समाप्त किया जाना	Elimination of middlemen in Coal Distribution. . .	63
3222	आदिवासी क्षेत्रों में नेत्र रोग .	Eye Diseases in Adivasi Areas	63
3223	इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांगें	Demands of Indian Medical Association	64
3224	सोवियत संघ द्वारा भारत को राजनैतिक साहित्य की सप्लाई	Supply of Political Literature by U.S.S.R. to India . .	64
3225	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा 500 मैगावाट के सैटों का निर्माण	Manufacture of 500 MW sets by BHEL	64
3226	भिलाई, रिफ्रेक्टोरीज . .	Bhilai Refractories	65
3227	'एशियन रिफ्रेक्टोरीज' का उत्पादन	Output of Asian Refractories	65
3228	भारत हैवी इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा बिजली उत्पादन एककों तथा तटदूर तेल छिद्रण उपकरणों की मांग का पूरा किया जाना	Meeting of Demand of Power Generation Units and Off Shore Oil Drilling Equipments by BHEL . . .	66
3229	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर को लाभ	Profit by Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur	66
3230	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमटेड द्वारा विद्युत जनन उपकरण के निर्माण का नया कीर्तिमान स्थापित करना	Record Production of Power Generation Equipment by BHEL	66
3231	रुसी भूवैज्ञानिकों द्वारा भारत का दौरा	Soviet Geologists, visit to India	67
3232	कार निर्माताओं द्वारा डीजल से चलने वाल इंजनों का प्रयोग	Introduction of Diesel Run Engines by Car Manufacturers	67
3233	कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के कर्मचारी	Calcutta Dock Labour Board Staff	67
3234	कलकत्ता में गोदी श्रमिकों के कार्मिक संघ के अधिकारों की रक्षा	Protection of Trade Union Rights of Dock Workers in Calcutta	68

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3235	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर द्वारा एरियल रज्जु मार्गों का उत्पादन	Production of aerial repeways by Mining and Allied Machinery Corporation Limited, Durgapur	68
3236	दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में काम करने वाले ड्रेसरों को सिलेक्शन ग्रेड दिया जाना	Selection Grade to dressers working in C. G. H. S. Dispensaries in Delhi . .	68
3237	डीजल जनेरेटर सेटों के आयत पर से प्रतिबंध का हटाया जाना	Lifting of Ban on Import of Diesel Generator Sets . .	69
3238	इस्पात उत्पादन कार्य में सुधार करने के लिए समन्वित प्रयास	Co-ordinated efforts to streamline Steel Production . .	69–70
3239	सिक्किम को आर्थिक सहायता .	Economic Aid to Sikkim .	70–71
3241	भारत और अफगानिस्तान के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ में पाकिस्तानी आरोप	Pak allegations against India and Afghanistan in U.N.O.	71
3242	रोजगार कार्यालयों में वैज्ञानिको का पंजीकरण	Registration of Scientists with Employment Exchanges .	71–72
3243	वैगनों का निर्माण . .	Production of Wagons	72
3244	सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिये जाली प्रमाण पत्र का प्रस्तुत किया जाना	Forged certificate for recruitment in Armed Forces .	72
3245	भारी इंजीनियरी निगम, रांची की क्षमता का किसी अन्य देश में उपयोग किया जाना	Utilisation of Capacity of HEC, Ranchi in another country .	72–73
3246	कारों की कीमतों में वृद्धि .	Increase in prices of Cars	73
3247	वेणी स्ट्रक्चरल्स के उत्पादन में कमी होना	Decrease in production of Triveni Structurals . .	73–74
3248	चेचक के उन्मूलन के लिये अनिवार्य रूप से टीका लगाने के लिये कानून बनाया जाना	Legislation for compulsory vaccination for eradication of Small Pox . . .	74
3249	रत्नागिरी में एल्यूमीनियम संयंत्र लगाने के लिये धन का नियतन	Allocation made for Aluminium Plant in Ratnagiri . .	74
3250	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सेवामुक्त कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of posts in Central Health Service for released Commissioned Officers .	74–75
3251	केडला झारखंड कोयला खान में बेरोजगार हुए श्रमिक	Kedla Jharkhand Colliery, Hazaribagh . . .	75

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3252	कोयला खान प्राधिकरण और स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती	Intake of S. C. and S. T. candidates in CMA, SAIL .	75
3253	उड़ीसा में बर्मा से आये भारतीय नागरिक	Burma repatriates in Orissa	76–77
3254	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को कोयले का संकट	Durgapur Steel Plant hit by Coal Crisis	78
3255	ट्रैक्टरों के उत्पादन के लिये भारतीय फर्म का रुस के साथ करार	Agreement by Indian firm with Soviet Union for manufacturing tractors . . .	78
3256	पुनः बातचीत आरंभ करने के लिये पाकिस्तान द्वारा निर्धारित की गई परिस्थितियां	Conditions set forth by Pakistan for resumption of talks .	78
3257	परिवार नियोजन के लिए विदेशों से सहायता	Assistance from foreign countries for Family Planning .	78–89
3258	सैनिक स्कूल, कपूरथला के छात्रों को दी गई रियायतें	Grant of concessions to students of Sainik School of Kapurthala	79
3259	कलकत्ता स्थित डी० जी० ओ० एफ० कार्यालय की इमारत के किराये में वृद्धि	Increase in rent of D.G.O.F. Office building in Calcutta	79
3260	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की ड्रिलिंग मशीनों का निपटान	Disposal of drilling machines owned by NCDC . .	80
3261	केरल, पंजाब और गुजरात को भेजा गया कोयला	Coal transported to Kerala, Punjab and Gujarat . .	80
3262	श्रम ब्यूरो में इकानामिक इन्वेस्टिगेटरों को स्थायी बनाया जाना	Confirmation of Economic investigators in Labour Bureau	80–81
3263	प्रतिदिन 8000 टन कोयले की हानि होना	Loss of 8,000 tonnes of Coal a day	81
3264	श्रम ब्यूरो के अनुसंधान कार्यक्रम	Research programmes by Labour Bureau	81–83
3265	श्रम ब्यूरो में इकानामिक इन्वेस्टिगेटर ग्रेड-दो की भर्ती	Recruitment of Economic Investigator Grade II in Labour Bureau . . .	83
3266	देहरादून और पूना अकादमियों का नाम बदलना	Renaming of Dehradun and Poona Academies .	84
3267	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध में कर्मचारियों द्वारा भाग लेना	Workers' participation in management in public sector undertakings . .	84

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3268	दिल्ली/नई दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में पार्श्ववर्ती खाली पड़े प्लाटों की बिक्री	Disposal of adjoining vacant plots in Rehabilitation colonies in Delhi/New Delhi	84–85
3269	दिल्ली में पुनर्वास बस्तियों में अलाट किये गये मकानों के लिये भुगतान की प्राप्ति	Realisation of payments for houses allotted in Rehabilitation colonies in Delhi	85
3270	दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में अनधिकृत रूप से कब्जा किये गये प्लाटों का खाली करवाया जाना	Vacation of plots occupied unauthorisedly in Rehabilitation colonies, Delhi .	85
3271	भावनगर में मशीन टूल परियोजना का स्थापित किया जाना	Setting up of machine tool project in Bhavnagar . .	86
3272	आधारभूत धातु अयस्क से विभिन्न धातुओं को पृथक पृथक करने के लिये संयंत्र	Plant to separate different Metals from Base Metals Ore	86
3273	छोटी कार बनाने के लिए लाइसेंस का दिया जाना	Issue of Licence for manufacture of small car . . .	86–87
3274	राष्ट्रीयकृत कोयला खानों को भारी हानि	Heavy loss to nationalised coal mines	87
3275	दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की सुविधाएं	C.G.H.S. facilities to employees of Delhi Administration .	87–88
3276	रायरंगपुर में फैरो-वनाडियम कारखाना	Ferro-Vanadium Factory at Rairangpur . . .	88
3277	सैनिक समाचार पत्रिका (जर्नल) कार्यालय की निधियों में दुर्विनियोग	Misappropriation of funds of Sainik Samachar Journal Office	88
3278	रिफ्रेक्टरियों (ऊष्मसह) की कमी	Shortage of Retractories . .	89
3279	भिलाई रनर बनाये जाने वाले 'रनर' और 'कास्ट' स्क्रैप	Bhilai produced Runner and Cast Scraps. . . .	89–90
3280	रेलवे में इनगोट मोल्ड और बाटम प्लेट स्क्रैप की बुकिंग	Bookings by Railways of Ingot Mould and Bottom Plates Scraps	90
3281	वसंत बिहार, नयी दिल्ली में मिलावट वाली खाद्य वस्तुओं की बिक्री	Sale of Adulterated Food Articles in Vasant Vihar, New Delhi	91
3282	वसंत बिहार, नई दिल्ली में औषधियां और शृंगार सामग्री की बिक्री	Sale of Drugs and Cosmetics in Vasant Vihar, New Delhi	91
3283	ट्रैक्टरों के परीक्षण परिणाम को बढ़ा चढ़ा करके इनके अधिक मूल्य लगना	Overpricing of Tractors by over estimating their Test performance	91–92

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3284	सिंगरौली कोयला क्षेत्र निक्षेपों से कोयला निकाला जाना	Exploitation of Singrauli Coal Field Reserves . . .	92
3285	सैनिक स्कूलों के छात्रों के संरक्षकों के आय वर्ग	Slabs of Income of Guardians of Students of Sainik Schools	92
3286	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम परियोजना	NCDC Project in Madhya Pradesh	92–93
3287	दिल्ली में पंजीकृत बेरोजगारों के आय-सीमा में छूट	Age concession to Registered Unemployed in Delhi . .	93
3288	दिल्ली/नई दिल्ली में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति	Registered unemployed in Delhi/ New Delhi	93–94
3289	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में लोहे और छीलन का इकट्ठा हो जाना	Accumulation of Iron and Scrap at Durgapur Steel Plant .	94
3290	हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधिकारियों के दौरे	HSL Officers' Tours	95
3291	सेन्ट्रल व्हीकल डिपो, दिल्ली के केन्द्र में 'व्हीकल' घोटाला	Vehicles Racket in Central Vehicle Depot, Delhi Cantonment	95
3292	दिल्ली में सरकारी संगठन में फार्मासिस्टों द्वारा हड़ताल	Strike by Pharmacists in Government Organisation in Delhi	95–96
3293	खनिजों के विदोहन पर राजस्थान सरकार को रायल्टी	Royalty to Rajasthan Government for Exploitation of Minerals	96
3294	भारत हैवी इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा बुशिंग का विकास	Development of Bushings by BHEL	96
3295	मारुति लिमिटेड के आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदला जाना	Conversion of letters of Intent of Maruti Ltd. into Industrial Licence . . .	96–97
3296	कुल कर्मचारियों (वर्किंग फोर्स) और मजूरी पर काम करने वालों (वेज अर्नरों) के बीच अनुपात	Proportion of Wage Earners to Total Working Force . .	97–98
3297	वेतनों को उत्पादन के साथ सम्बद्ध करना	Linking of Wages with production	98
3298	विश्रामपुर (मध्य प्रदेश) और रांची (बिहार) में कोयले का आग पकड़ना	Coal caught fire in Vishrampur (Madhya Pradesh) and Ranchi (Bihar)	98–99
3299	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में इंजीनियरों की छंटनी	Retrenchment of Engineers in HSL	99

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3300 कारों में 'कलर-ट्यून' स्पार्क प्लग लगाने से पेट्रोल की बचत	Saving of Petrol by Fixing Colour Tune Spark Plug in Cars	99
3301 नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा सेतू समुद्रम परियोजना का निर्दिष्ट किया जाना	Reference made by Minister of Shipping and Transport regarding Sethu Samudhram Project	99–100
3302 श्रीलंका के साथ वार्ता के दौरान सेतु समुद्रम परियोजना की चर्चा	Reference to Sethu Samudhram Project during Discussions with Sri Lanka . . .	100
3303 इस्पात की छड़ों और इस्पात की अन्य वस्तुओं की मांग में कमी	Fall in demand of Steel Rods and other Steel items . .	100
3304 रुस द्वारा रूसी सहायता से चल रही परियोजनाओं को पुर्जे और उपकरणों की सप्लाई	Supply of Components and Equipments to Soviet Aided Projects by USSR . .	100
3305 मेडिकल डाक्टरों के प्रव्रजन से भारत को होने वाली हानि के बारे में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा अध्ययन	Study by United Nations Conference of Trade and Development regarding Loss suffered by India due to Migration of Medical Doctors	101
3306 चांदी का उत्पादन	Production of Silver . .	101
3307 श्रम ब्यूरो को शिमला से चंडीगढ़ स्थानान्तरित करना	Shifting of Labour Bureau from Simla to Chandigarh . .	102
3308 गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त किया जाना	De-recognising of Private Medical Colleges . . .	102
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	103
अविलंबनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance—	
तस्करी में कथित अभूतपूर्व वृद्धि से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को हुई भारी क्षति—	Reported alarming increase in Smuggling causing serious damage to national economy—	
श्री वी० के० आर० वर्दराजराव	Shri V. K. R. Vardraj Rao	104 व 105–106
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh .	104–105, 107–108, 109–110 व 111
भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के अधीन विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों के कथित उत्पीड़न के बारें में वक्तव्य—	Statement re. Alleged victimisation of employees in various offices under the Comptroller and Auditor General of India—	
श्री यशवंतराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	111–112

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
नियम 377 के अधीन मामला—	Matter under rule 377	
दिल्ली में अनाज व्यापारियों द्वारा राजधानी को गेहूं के मामले में भूखा मारने के षड़यंत्र का समाचार	Reported conspiracy of grain dealers in Delhi to starve Capital of wheat . .	112–115
आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution re. Disapproval of Essential Commodities (Amendment) Ordinance	
और	and	
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक—	Essential Commodities (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya	115–116 व 125–126
श्री नूरुल हुडा	Shri Noorul Huda . .	116
श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami . . .	117–118
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma	118
श्री के० एम० मधुकर	Shri K. M. Madhukar .	118–119
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla . .	119
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai .	119–120
श्री ए० दुरायरासु	Shri A. Durairasu . .	120–121
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga .	121–122
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik . .	122
श्री धनशाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan .	122
श्री विश्व नारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri .	122–123
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	123
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	123–124
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivanath Singh .	124
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra .	125
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	125
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi .	127
खंड 2, 3 और 4	Clauses 2, 3 and 4 .	128–130

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार 22 अगस्त, 1974/31 श्रावण, 1896 (शक)
Thursday, August 22, 1974/Sravana 31, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री बर्मन ।

श्री रानेन सेन : श्री बर्मन उपस्थित नहीं हैं । इसी प्रकार के अन्य प्रश्न हैं । यदि श्री बर्मन उपस्थित नहीं है तो हमें प्रश्न पूछने की अनुमति दें ।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा अजीब सुझाव मुझे न दें कि वह सदन में उपस्थित नहीं हैं तो मैं उन्हें यहां उपस्थित करने अथवा मैं आपसे प्रश्न पूछने को कहूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रश्न में एक से अधिक नाम जोड़े जाने चाहिए अन्यथा ऐसी बात होती रहेगी ।

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसा करते हैं । एक जैसे प्रश्नों में दो नाम जोड़े जाते हैं ।

बिहार में गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण

+

*453. **श्री के० एम० मधुकर :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार और अन्य राज्यों में उन 100 कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो गैर सरकारी क्षेत्र के अधीन छोड़ दी गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) तथा (ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में कानूनी या गैर कानूनी ढंग से प्रचलित कोयला खनन पट्टों और खानों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से जानकारी की प्रतीक्षा है । राज्य सरकार से अविलम्ब सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है । इस सम्बन्ध में पूर्ण तथा प्रामाणिक सूचना मिलने पर ही समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

Shri K. M. Madhukar : The reply given by the hon. Ministeris not at all impressive because firstly he has stated that this a matter concerning the State Government and secondly he hasstated that the figures are not available. I wantto know whether the Bihar Government has submitted some proposalsto nationalise all smallmines ? I want to know Government's opinion in regard thereto. I also want to know whether it is a fact that small mine owners have met you and put some pressure upon you not to nationalise these mines? I also want to know Central Government's reaction thereto. I also want to know when this proposal is going to be implemented?

The Minister of Steel and Mines (Shri K. D. Malaviya) : We have asked the Bihar Government to supply the entire informations. We are also surprised as to how and why illegal mining is going on at some places. But the State Government is the owner of such mines whose names had not been included in the Bill. So, any solution of the problem could be found out on their collecting the information. But such mines are very few in number.

Shri K. M. Madhukar : I want to know whether the Central Government is issuing reminders to the Bihar Government so that it may give its consent to nationalise these mines?

Shri K. D. Malaviya : There is no question of issuing reminders. The Chief Minister of Bihar is expected here very shortly. We have also fixed a date to discuss this matter.

An Hon. Member : When he is coming ?

Shri K. D. Malaviya : The date has not been fixed so far . . .

Mr. Speaker : Please tell him the correct date so that he may "Gherao" him.

Shri K. D. Malaviya : He may come on any day between 28, 29 and 30th of this month.

Shri Hari Kishore Singh : I want to know when the Central Government received the information regarding illegal mining in Coal mines in Bihar and when it wrote to the Bihar Government in this connection ?

Shri Sukhdev Prasad : So far as the information is concerned, it was received two months back and as soon as this information was received, an officer was deputed there who would bring all information from the State Government in this regard.

Shri Hari Kishore Singh : He has stated that the information was received two months back. I want to know when did he nationalise and why the information was received only two months before ?

Shri Sukhdev Prasad : Nationalisation and illegal minings are two different issues I want to clarify first that there are some small mines which are not profitable from the point of view of exploitation. So, mining will not be proper there. But there are some mines in which illegal mining is going on. The capacity of one such mine is one lakh tonnes and the capacity of another mine is 50,000 tonnes. There are about 20 mines whose lease money has not been paid and as soon as information in this regard was received from the Bihar Government, an officer was immediately posted there. He would bring all information in this regard and then we would see how we could nationalise these mines.

Shri Nawal Kishore Sinha : I want to draw the attention of the Government to a report published in the press that the Bihar Government, under pressure, wants to keep those kinite mines which after nationalization had been handed over to Indian Aluminium Corporation which is a nationalised Corporation separate from the nationalized sector.

Shri Sukhdev Prasad : This question does not arise out of the main question. In case the hon. Member asks a separate Question, I will be able to reply.

Shri Ramavatar Shastri : I want to know whether in Santhal Pargana District of Bihar there is a large number of such mines regarding which Trade Union leader Shri Chaturanand Mishra M.L.A. has written to him . . .

Mr. Speaker : How this question arises out of the main question ?

Shri Ramavatar Shastri : I am talking about Bihar. I have read in the letter that there are so many mines in Santhal Pargana which are being run by Private persons. I had asked a question, last year in this regard.

Mr. Speaker : How this question is related to the main question ? How Shri Chaturanand has come into the picture ? You ask a question of some general nature.

Shri Ramavatar Shastri : Santhal Pargana is in Bihar . . .

Mr. Speaker : How Shri Chaturanand has come into the picture ?

Shri Ramavatar Shastri : He is the leader of the mine workers and so his name has been mentioned. Please tell us whether he has written some letter and if so, what are the contents thereof ?

Mr. Speaker : He might be that Chaturanand himself.

Shri K.D. Malaviya: Two kinds of things are happening after nationalisation. Firstly, illegal mining is going on, and secondly, people are occupying the mines illegally. It is a crime and the attention of the Bihar Government has been drawn towards it. I am surprised how these thing are still going on. Other mines are such which were not included in the legislation. These types of mines could be made authorised after consulting the Bihar Government. But their number is not very large. There are certain mines where work is not going on because they are uneconomical. Some people steal coal from the mines and because the coal is costly they sell it in the market. Although they are uneconomic yet we will not allow illegal mining there.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has just stated that coal is being produced in two mines unlawfully and in addition to those mines, 20 mines are such which have no lease and still production is going on in those mines. I want to know whether they are producing in collusion with the State Government ? I also want to know whether there are certain mines also which have not been able to acquire lease from your point of view, but they are producing on the basis of the lease granted to them by the State Government ? I want to know whether it is true and if so what action Government propose to take against them ?

Shri Sukhdev Prasad : Both these mines, which I have mentioned, are leased mines and they are not illegal. So far as the question of 20 mines is concerned, where illegal mining is going on, the hon. Minister has just stated regarding their nationalisation.

Shri Hukum Chand Kachwai : They have not acquired lease from the Centre but from the State Government. This fact is not known to the Central Government. I, therefore, want to know what action is being taken against them ?

Shri Sukhdev Prasad : We have no information about this collusion.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि लगभग 20 से 25 गैर-कानूनी खानें बिहार में काम कर रहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन गैर-कानूनी खानों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है।

श्री के०डी० मालवीय : दुर्भाग्य से केन्द्रीय सरकार अपराध करने वाले इन व्यक्तियों की गैर-कानूनी कार्यवाही के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार पर जोर डालना होगा और हमने अपना अधिकारी वहां भेजा है और हम खनिज कार्य को शीघ्र रोकने और उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के बारे में उपयुक्त उपाय करने के लिए राज्य सरकार पर यथा सम्भव जोर डाल रहे हैं।

भारी उद्योग मंत्री द्वारा विदेशों के दौरे

+

*454. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारी उद्योग में सहयोग प्राप्त करने के लिए हाल ही में समाजवादी देशों का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बात-चीत हुई ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारी उद्योग मंत्री रुस के कोयला उद्योग मंत्री और हंगेरी के भारी उद्योग के निमंत्रण पर रुस तथा हंगरी गए थे । उन्होंने समान हित के तकनीकी मामलो में लाभदायक सहयोग और सहायता के प्रश्न पर जिसमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हरिद्वार स्थित एकक और भारी इंजीनियरी निगम और माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन के लिए हिस्से पुर्जों और सामान की सप्लाई सम्मिलित है और सम्बन्धित क्षेत्र में हमारे आदमियों की प्रशिक्षण देने और भारत और रुस के बीच प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान पर भी बातचीत की थी। इन सभी क्षेत्र में, रूसी प्राधिकारियो ने उन्हें पूरा सहयोग तथा सहायता देने का आश्वासन दिया था । उन्होंने अन्य देशों में रुसी सहायता से स्थापित किए जा रहे संयंत्रों के लिए भारत से उपकरण के सम्भरण के प्रश्न पर भी बातचीत की । यहां भी उत्तर सकारात्मक था ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि रुस सरकार के कोयला मंत्रालय में भारत के साथ तकनीकी सहयोग करने का पूर्ण आश्वासन दिया है । देश में समाचार पत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है कि सरकार ने जापान में बहुराष्ट्रीय निगमों और टाटा जैसे भारतीय एकाधिपतियों से राष्ट्रीयकृत कोयला खानों का आधुनिकीकरण करने का अनुरोध किया है । रूस सरकार द्वारा तकनीकी सहयोग देने के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार इस विचार को त्याग देगी और क्या वह रूस सरकार द्वारा प्रस्तावित तकनीकी सहयोग के बारे में हमें और जानकारी देगी ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई): रूस सरकार से हमारी चर्चा केवल खनिज मशीनरी तक ही सीमित नहीं थी । एम० ए० एम० सी०, एच० ई० सी० और हरिद्वारा संयंत्र ऐसे तीन संयंत्र है जिनके लिए रूस सरकार ने सहायता प्रदान की है । कुछ सीमा तक वे रूस सरकार से प्रति वर्ष उपकरणों के प्राप्त होने पर निर्भर करते हैं । मैं यह चाहता हूं कि रूस सरकार हमें डिजाइन और ड्राइंग की जानकारी दे जिससे समस्त निर्माण कार्य भारत में आरम्भ किया जा सके और हम इस मामले में आत्मनिर्भर हो जायें ।

दूसरे, हमें पता लगा है कि हम बिजली संयंत्र लगाने पर बहुत समय लेते हैं; उनका उचित रख-रखाव भी नहीं होता । हम चाहते ह कि रूस सरकार कम से कम 250 इंजीनियरों के लिए रूसी संयंत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जिससे हम बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिये आवश्यक तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सके और उनका उचित रखरखाव हो सके । इस बात पर सहमति हो गई है । इसके परिणाम स्वरूप, 20 इंजीनियरों का प्रथम दल इस समय रूस में हैं ।

तीसरे हमने इस बात का अनुमान लगाया है कि हमें अपने कोयला उद्योग के विकास के लिए काफी मशीनों की आवश्यकता होगी । इसका एक बड़ा भाग एम० ए० एम० सी० और एच० ई० सी० द्वारा पूरा किया जायेगा । जब कभी हमारे लिए इसे प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा तो हमें पोलैण्ड अथवा रूस सरकार जैसे अपने सहयोगियों से निश्चित रूप से यथा संभव सहायता प्राप्त करने पर प्रयास करना होगा ।

दूसरी बात जिस पर मैं रूस पर अधिक जोर देने का प्रयास कर रहा था वह यह थी कि रूस सरकार के सहयोग से बनी परियोजनाओं के लिए भी रूस सरकार से तकनीकी जानकारी प्राप्त हो जिससे भविष्य में भी अधिकतम विकास कार्य सुनिश्चित किया जा सके ।

तीसरी बात यह है कि इन संयंत्रों में जब कुछ फालतू क्षमता होती है और जब रूस किसी तीसरे देश में अन्य संयंत्र लगाने का काम आरम्भ करता है तो हमें भी उनके साथ सहयोग करने की अनुमति होनी चाहिए । इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दिया है, पहले का नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर काफी विस्तृत था । अब आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैंने पूछा था कि क्या यह सच है कि क्या उन्होंने हमारे देश में राष्ट्रीयकृत कोयला खानों का आधुनिकीकरण करने के लिये जापान के बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ और टाटा बन्धुओं के साथ भी सहयोग के बारे में कुछ बातचीत की थी ।

उत्तर के अन्तिम भाग में मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार ने अपनी मशीनरी को तीसरे देश को, जहां रूस संयंत्र स्थापित कर रहा है, निर्यात करने के सम्बन्ध में रूस से अनुरोध किया है । मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रस्ताव के बारे में क्या सम्भावनाएं हैं ।

श्री टी० ए० पाई : भारी उद्योग मंत्रालय देश में कोयला उद्योग को कोयला मशीनरी सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार है । जब तक इस देश में कोयला मशीनरी बनती है तब तक हम निश्चय ही ऐसी मशीनरी का आयात करने पर आपत्ति करेंगे । ये समाचार ठीक नहीं है कि बहुराष्ट्रीय निगम या किसी अन्य के साथ भारी उद्योग मंत्रालय सहयोग करने जा रहा है । जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, कोई भी देश हमें तीसरे देश में सहयोग करने की अनुमति देने का अनिच्छुक रहा है । परन्तु मेरा कहना यह था कि भारत में रूस से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के उत्पादों के लिए भी यदि उनका निर्यात किया जाता है तो एक अच्छा वातावरण बनगा । रूस अपनी ओर से विशेषज्ञों की एक समिति बनाने पर सहमत हो गया है । हम भी विशेषज्ञों की एक समिति बना रहे हैं ताकि अनेक दिशाओं में फालतू क्षमता की सम्भावनाओं का पता लगाया जा सके ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : क्या रूस ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार में निर्मित जनरेटिंग सेट खरीदने की इच्छा व्यक्त की है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री टी० ए० पाई : हमने अभी रूस को जनरेटिंग सेट बेचने की कोई पेशकश नहीं की है, मेरा विचार यह है कि सर्वप्रथम सभी बिजली बोर्डों को जनरेटिंग सेट उपलब्ध किए जायें । हम मलेशिया को जनरेटिंग सेट बेचने और दुर्लभ मुद्रा अर्जित करने में सफल रहे हैं । जहां सम्भव है वहां मैं देश को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री बी० वी० नायक : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि तीसरे देशों में रूसी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में इस देश के सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया गया है । यदि ऐसा है तो क्या वह हमें बताएंगे कि (क) इन विशिष्ट परियोजनाओं के नाम क्या हैं और (ख) यदि भारत सरकार ने इसको सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है तो क्या रूस को दी जा रही यह सुविधा उन देशों को भी उपलब्ध की जाएगी जो समाजवादी नहीं हैं, जैसे जापान आदि जैसे बड़े देश ?

श्री टी० ए० पाई : हमने इस सम्बन्ध में रूस को कोई सुविधा नहीं दी है, हम रूस से यह कह रहे हैं कि वह हमारे देश में उपलब्ध फालतू क्षमता का उपयोग करे । इसके साथ ही यदि कोई अन्य देश हम से खरीदने पर सहमत हो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी ।

श्री बी० वी० नायक : यह बात लिखित उत्तर में शामिल हैं 'रूस की सहायता से तीसरे देशों में स्थापित किए जा रहे संयंत्रों के लिए भारत द्वारा उपकरणों की सप्लाई'। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात रूस से इतर देशों पर भी लागू होती है ?

श्री टी० ए० पाई : हम इस सम्भावना का पता लगा रहे हैं कि क्या हम उप-संविदा का काम कर सकते हैं अथवा कलपुर्जों की आंशिक रूप से सप्लाई कर सकते हैं जब कभी फ्रान्स अथवा कोई अन्य देश ईरान या कुछ अन्य अरब देशों में क्रयादेश प्राप्त करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पहले की अवधि में दुर्गापुर में एम० ए० एम० सी० संयंत्र की क्षमता फालतू थी और इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय खानें निर्माणाधीन मशीनरी का उपयोग या तो करना नहीं चाहती थी और या उनका उपयोग करने में असमर्थ थी। अब खानों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। क्या अब एम० ए० एम० सी० में क्षमता के विकास के लिए अपनी अनुमानित आवश्यकताओं की योजनाओं के साथ समन्वित रूप में योजनाबद्ध किया जायेगा या क्या मंत्री महोदय को इस बात की शंका है कि राष्ट्रीयकृत खानें भी इस मशीनरी को नहीं खपा सकेंगी और वह इसी कारण पहले ही फालतू क्षमता की बातें करने लग हैं जिसे वह तीसरे देशों की परियोजनाओं के लिये निर्यात करने का विचार रखते हैं ?

श्री टी० ए० पाई : मैंने एम० ए० एम० सी० में फालतू क्षमता का उल्लेख नहीं किया। माननीय सदस्य के एम० ए० एम० सी० में फालतू क्षमता सम्बन्धी विचार इस हद तक बिल्कुल ठीक है कि पहले कोयला उद्योग पर्याप्त पूंजी निवेश नहीं कर रहा था। हमने एम०ए०एम०सी० के निर्माण कार्यक्रम में पहले ही विविधता ला दी है। अब कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो गया है। हम इस्पात और खान मंत्रालय के साथ मिलजुल कर काम कर रहें हैं और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि भविष्य में उनकी सभी आवश्यकताएं एम० ए० एम० सी० द्वारा और कुछ हद तक भारी इंजीनियरी निगम द्वारा पूरी की जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तो फिर फालतू क्षमता कहां है ?

श्री टी० ए० पाई : भारी इंजीनियरी निगम में फालतू क्षमता है, यदि धमन भट्टियों आदि जैसी कुछ मदों में इस्पात पूंजी निवेश बढ़ाया नहीं जाता तो हम क्रयादेशों के प्राप्त होने की प्रतीक्षा में अपनी क्षमता को अप्रयुक्त नहीं रख सकते। उत्पादन सम्बन्धी सभी मशीनों को चालू रखना होगा और यदि हमें किसी देश से क्रयादेश प्राप्त होते हैं तो उनको पूरा करने में हमें बड़ी प्रसन्नता होगी।

हैदराबाद में आयोजित राज्य कुष्ठ अधिकारी सम्मेलन में प्रतिनिधियों का भाग न लेना

*458. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई मास में हैदराबाद में आयोजित आठवें वार्षिक राज्य कुष्ठ अधिकारी सम्मेलन में कई राज्य सरकारों के सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में इन राज्यों द्वारा भाग न लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) पांचवीं योजना अवधि में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, हां।

(ख) अनुपस्थित रहने वाले बहुत से राज्यों ने सम्मेलन में भाग न लेने के कारण नहीं बताये। वैसे, उनमें से बहुत से राज्य रेल हड़ताल या मितव्ययता बरतने के कारण भाग न ले सकें।

(ग) राज्यवार किए गए अन्तरिम नियतन का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्य	परिव्यय (रुपये लाखों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	487.05
2. असम	44.95
3. बिहार	369.15
4. गुजरात	81.87
5. हरियाणा	0.20
6. हिमाचल प्रदेश	21.80
7. जम्मू और काश्मिर	7.81
8. केरल	58.74
9. मध्य प्रदेश	118.50
10. महाराष्ट्र	312.41
11. मणिपुर	14.33
12. मेघालय	9.81
13. मैसूर	195.08
14. नागालेण्ड	12.78
15. उड़ीसा	184.89
16. पंजाब	3.09
17. राजस्थान	8.58
18. तमिलनाडू	406.35
19. त्रिपुरा	16.41
20. उत्तर प्रदेश	258.54
21. पश्चिम बंगाल	386.72
22. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	5.66
23. अरुणाचल प्रदेश (नेफा)	5.85
24. मिजोरम	5.47
25. गोआ	4.53
26. पाण्डिचेरी	3.09
27. लक्ष्य द्वीप	0.20
28. दिल्ली	6.18
योग	3030.44

श्री एस० एन० सिंह देव : यह दुर्भाग्य की बात है कि विश्व में कुष्ठरोगियों की कुल संख्या के एक चौथाई रोगी भारत में हैं और हमारे देश में 31 लाख से अधिक रोगी हैं। यह एक तथ्य है कि यह रोग बहुत ही बुरा है और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिय खतरा है, परन्तु यह भी उतने ही दुर्भाग्य की बात है, कि यद्यपि चौथी पंचवर्षीय योजना में कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तगत 5.12 करोड़ रुपय की व्यवस्था की गई थी तथापि आबंटित धन राशि का 50 प्रतिशत भी खच नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इस का इस प्रश्न के साथ क्या सम्बन्ध है ?

श्री एस० एन० सिंह देव : मैं इसके कारण जानना चाहता हूं और व इस बात को किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे कि पांचवी योजना के लिये आवंटित धनराशि का उचित ढंग से उपयोग हो ?

Mr Speaker : I am sorry that entirely different questions are put and clubbed.

श्री ए० के० किस्कु : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमारे देश में कुष्ठ रोग की समस्या खतरनाक रूप धारण कर रही है और इस सम्बन्ध में हम जितना कुछ करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाए। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि हमने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ जोरदार योजनाएं बनाई हैं और धन की भी व्यवस्था की है। वास्तव में योजना आयोग ने कुष्ठ रोग कार्यक्रम के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये की राशि का नियतन किया था जिसमें से योजना आयोग ने लगभग 10 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर कर दी है। हम राज्य सरकारों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं कि कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम को जोरदार ढंग से क्रियान्वित किया जाय। मैं स्वयं राज्यों का दौरा कर रहा हूं और राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहा हूं तथा अधिक प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करने पर भी विचार कर रहा हूं, जो इस समस्या के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जिस से राज्य सरकारें एस० ई० टी० केन्द्र स्थापित करने के लिए अधिक संख्या में डाक्टर और परा-मेडिकल स्टाफ नियुक्त करे।

श्री एस० एन० सिंह देव : मैंने पहले ही अपने प्रश्न में बताया था कि कुछ राज्य सम्मेलन में भाग तक नहीं लेते। इससे उनकी विमुखता का पता चला जाता है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम सभी राज्यों में क्रियान्वित किया जाए ? हमने चौथी योजना के दौरान देखा है कि यद्यपि तमिल नाडु, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में कुष्ठरोगियों की संख्या सर्वाधिक है तथापि कुल आबंटित धनराशि में से आधी से भी कम या लगभग केवल एक तिहाई धनराशि उन पर खर्च की गई। क्या भारत सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि पांचवीं योजना में आबंटित धनराशि का ठीक ढंग से उपयोग किया जाए ?

श्री ए के० किस्कु: मैंने पहले ही बता दिया है कि कुछ राज्य सरकारें विभिन्न कारणों से इस सम्मेलन में भाग नहीं ले सकीं। परन्तु केन्द्रीय सरकार इस विषय में मौन नहीं बैठी है। हम कुष्ठ रोग उन्मूलन एवं नियंत्रण कार्यक्रम राज्य सरकारों को भेज रहे हैं। माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि आन्ध्र प्रदेश, तमिल नाडु, उड़िसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में कुष्ठ रोगियों की संख्या अधिक है, जैसाकि मैंने पहले बताया है, पांचवीं योजना में इस कार्य के लिए काफी धनराशि रखी गई है और हम कुष्ठरोग नियंत्रण एकक और केन्द्र अधिक संख्या में स्थापित करने के प्रयत्न कर रह हैं जिन में अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी होंगे ताकि कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम को जोरदार ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

श्रीमती एम० गौडफ्रे : क्या मंत्री महोदय से मैं पूछ सकती हूं कि क्या उनको पता है कि कुछ स्वयंसेवी संगठन हैं जो कुष्ठरोगियों की सेवा में लगें हैं और उन्हों ने कुष्ठरोगियों की बस्तियां बनाई हुई हैं जिनमें प्रशिक्षित कर्मचारी काम करते हैं और यदि हां, तो क्या सरकार इन प्राईवेट संगठनों को कोई सहायता देने पर विचार करेगी ?

श्री ए० के० किस्कु : यह एक उत्साहवर्धक बात है कि समस्त देश में लगभग 32 स्वयंसेवी संगठन इस कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम में सरकार के साथ भलीभान्ति सहयोग कर रहे हैं। इन स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने का भी एक नियमित तरीका है। हम समय समय पर अनुदान दते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनकी समस्याओं पर विचार भी करते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : I would like to know whether there is any scheme for mass communication in this regard and if so what amount is likely to be spent on it ?

श्री ए० के० किस्कु : मैं इस समय केवल इस प्रयोजन के लिए नियत की गई राशि नहीं बता सकता। परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिये भी धनराशि निर्धारित है। कुष्ठरोग नियंत्रण व्यवस्था के मूल में एस० ई० टी० सर्वेक्षण, शिक्षा ओर चिकित्सा आते हैं। इस कार्यक्रम में परा-मेडिकल कर्मचारी प्रत्येक गांव के हर मकान पर जाते हैं। वे रोगियों का पतो लगाते हैं और वे परिवार के सदस्यों तथा ग्रामवासियों को उस रोग के बारे में उचित जानकारी देते हैं। यह शिक्षा का कार्यक्रम है। जिन रोगियों का पता चलता है उनको खून की जांच के लिए भेजा जाता है और उनका यथावश्यक इलाज भी किया जाता है। अत: शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए उक्त योजना में पर्याप्त व्यवस्था है।

Shri Sukhdev Prasad Verma : Sir, Leprosy is a dangerous disease and Governme nt, is doing its best to fight this menace. I want to know whether there is any scheme to bring all the leprosy patients together who are at present scattered at various religious institutions Railway stations and other similar places for necessary treatment? If there is no such scheme then will Government take some action for this purpose in order to contain the incidence of leprosy cases?

श्री ए० के० किस्कु : मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि उन्हों ने इस समस्या के एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान दिलाया है। लगभग 5–6 लाख कुष्ठरोगी हैं जो कि भिकारी हैं और वे रेलवे स्टेशनों तथा तीर्थस्थानों पर आते हैं और यह एक बड़ी समस्या है। यह वस्तुत: एक सामाजिक समस्या है और पुनर्वास का मामला है। हम इस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत चिन्तित है। वास्तव में हम इस मामले के सम्बन्ध में समाज कल्याण मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय उनकी चिकित्सा से सम्बन्धित है परन्तु पुनर्वास एक बहुत बड़ी समस्या है।

मूल धातुओं के निक्षेपों का विकास

*459. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल धातुओं के लघु निक्षेपों का विकास करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो जिन निक्षेपों को चुन लिया गया है वे किन-किन स्थानों पर हैं ओर तत्सम्बधी अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ये निक्षेप निजी आपरेटरों को देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो अन्य कौन-कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं और उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में ऐसी कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है परन्तु हाल ही में राज्य सरकारों को इस विचार से अवगत करा दिया गया है। विभिन्न राज्यों में आधारभूत-धातु खनिजों के ऐसे कई छोटे निक्षेपों का पहले ही पता लग चुका है जिनका समुपयोजन, आकार तथा क्षमता को देखते हुए बड़े निक्षपों के विकास में लगे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए लाभ-प्रद नहीं है। इस लिए यह जरूरी समझा गया कि जहां राष्ट्रीय हित में अपेक्षित हो, इस प्रकार के छोटे और बिखरे हुए निक्षपों के खनन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगाया जाय।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Shri B.S. Bhaura : Leaving aside the State Governments, he may let us know the steps taken by the Central Government in this regard ?

Shri Sukhdev Prasad : The base metal consists of three things, copper, lead and zinc So far as copper is concerned, we are having a copper smeller in Khetri and at the same time we are trying to exploit the copper deposits whenever they are available. Regarding lead and our zinc works are going on in Sagahalli, Dariha, Ballaria and Jaharmala. Regarding base-metals, Central Government is implementing its own scheme. I have already stated that copper is available at Khetri and our lead and zinc smelter is functioning at Udaipar in Rajasthan.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि बांकुरा में बुल्फ्रेम खान जोकि मूल धातुओं के ही अन्तर्गत आती है, गत तीन महीनों से बन्द पड़ी है और यदि हां तो क्या सरकार बुलफ्रैम उद्योग तथा बुलफ्रैम खान का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि आपका प्रश्न मूल प्रश्न में से उत्पन्न नहीं होता । इसके लिए आप अलग नोटिस दीजिए ।

डा० रानेन सेन : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि किसी न किसी कारण से भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा, जिसका कार्य कि मूल धातुओंका सर्वेक्षण करना है, ठीक ढंग से अपना कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे कि भारत में विद्यमान और अधिक मूल धातु संसाधनो का पता लगाया जा सके और यदि हां, तो भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग की गतिविधियो का और विस्तार करने के बारे में सरकार का क्या विचार है ताकि भारत में ही उपलब्ध और अधिक मूल धातु संसाधनों की खोज की जा सके ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): यह कहना ठीक नहीं है कि भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत में उपलब्ध मूल धातुओं के सवक्षण का कार्य व्यापक ढंग से नहीं किया जा रहा हैं । सत्य तो यह है कि भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण करने तथा सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए निरंतर विकसित होने वाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है । परन्तु दुर्भाग्यवश अभी तक के वैज्ञानिक तथा भूगर्भीय मूल्यांकन के अनुसार, मूल धातुओं के बहुत अधिक भण्डार एक या दो स्थानों से अधिक स्थानों पर नहीं मिल पाये हैं और सरकारी उपक्रमों द्वारा पहले ही उन पर कार्यवाही की जा रही है । इसमें संदेह नहीं कि राजस्थान, आन्ध्र तथा कुछ अन्य राज्यों में मूल धातुओं के कुछ लघु निक्षेप प्राप्त हुए हैं । हिमालयी क्षेत्र में खोज की गई है और उसमें सर्वेक्षण भी किया गया है तथा वहां हमें कुछ छोटे छोटे निक्षेप भी प्राप्त हुए हैं । परन्तु, फिर भी, हम मितव्ययता को प्राथमिकता देते हैं । इसे वहां से निकालने तथा लोह अयस्क को लाने के लिए वहां सड़कों की आवश्यकता है । यह सभी प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं । जहां तक इस समग्र प्रश्न का सम्बन्ध है, जब हम इनका सर्वेक्षण करने के लिए निकलते हैं तथा अपने सर्वेक्षण कार्यक्रम का विस्तार करते हैं तो उनकी खोज का प्रश्न भी कुछ अन्य कारणों से उसी के साथ जुड़ जाता है ।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पिछले सत्र में उन्होंने बताया था कि भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा कुछ अन्य क्षेत्रों विशेषतया दार्जिलिंग क्षेत्र तथा जलपाइगुरी के हिस्सों तथा सिक्किम से लगने वाले क्षेत्रों में खोज कार्य किया जा रहा है तथा मंत्री महोदय ने बताया कि सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इन क्षेत्रों में तांबे, जस्ते तथा जिंक के निक्षेप मिले हैं और भारत सरकार, सिक्किम सरकार के सहयोग के साथ, एक तांबा अन्वेषण परियोजना आरम्भ करने के प्रस्ताव पर सहमत हो गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा विशेष रूप से दार्जिलिंग तथा जलपाईगुरी क्षेत्र का विशेष रूप से कोई व्यापक सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

Shri Sukhdev Prasad : As the hon. Member has rasi sed the question of Darjeeling, Sikkim and other adjoining areas, I want to make it clear that a centre of Geological Survey is functioning in Darjeeling which is surveying that area, which is Eastern Himalayan region. It has been stated that there is a posibility of huge deposits of copper, lead, zinc and other m'n erals. I am not prepared to say any thing more about it till the completion of survey report.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : यह बताया गया है कि सरकारी क्षेत्र छोटे निक्षेपों का विकास करने के लिए उत्सुक नहीं हैं क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वह लाभदायक नहीं होता और लोहेतर धातुओं पर अधिक पूंजीनिवेश करना पड़ता है तथा उनका संक्रमण काल भी लम्बा होता है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की नीति यह कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र के निकायों के लिए छोड देने की है यदि कोई गैर-सरकारी पार्टी स्वेच्छा से इस कार्य को करने के आगे आ जाये?

श्री के० डी० मालवीय : इस प्रश्न का उत्तर साधारणतया और मैं समझता हूं विशिष्ट रूप से भी मूल उत्तर में दे दिया गया है । लौहेतर धातुओं को निकालने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । हम तो केवल यही तथ्य बता रहे थे कि मूल धातुओं के कुछ ऐसे लघु निक्षेपों का पता चला है जिनका खनन कार्य कुछ ऐसे लोगों को सौंपने का विचार किया जा रहा है जो उसे करने के इच्छुक हों । इन पार्टियों द्वारा इन क्षेत्रों का खनन कार्य पूरा कर लिए जाने पर, जो कि इन पार्टियों द्वारा किया जाना मितव्ययी होगा, कच्ची धातुओं को इकठ्ठा किया जायेगा तथा उन्हें पहले से ही लगे सरकारी क्षेत्र के पद्रावक के उपयोग में लाया जायेगा । अत: मूल धातुओं के लघु निक्षेपों के खनन कार्य का प्रश्न अभी केवल विचाराधीन है और इससे बढ़कर उस के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

Shri R. R. Sharma : Part (B) of Shri Bhaura's question has not been properly replied to by the hon. Minister. I want to know whether in U. P. and particularly in its Bundelkhand division, any survey for base-metal has been carried out and whether any deposits have been found ?

Shri Sukhhev Prasad : The survey has been carried out in many parts of Bundelkhand division but no such base-metal deposits have been found in that area which can economically be called profitable.

Displaced Persons after Indo Pak War

+

***461. Shri Atal Bihari Bajpayee :**

Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of displaced persons from Bangladesh living in Bihar and from West Pakistan living in Gujarat since Indo-Pak War of 1971 ;

(b) the number of displaced persons out of them permanently rehabilitated and the number of remaining persons to be rehabilitated ;

(c) the action being taken to expedite their rehabilitation and the time by which its would be completed ; and

(d) whether any compensation has been demanded from the neighbouring countries from which these displaced persons came?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बंगला देश से आया कोई भी विस्थापित व्यक्ति इस समय वहां नहीं रह रहा है ।

राज्य सरकार के अनुसार, भारत-पाक संघर्ष, 1971 के समय गुजरात में आए व्यक्तियों में से 8821 व्यक्ति अभी भी वहा रह रहे हैं ।

(ख) किसी को भी स्थायी पुनर्वास नहीं दिया गया है ।

(ग) ये विस्तापित व्यक्ति भारत में स्थायी पुनर्वास सुविधाओं के हकदार नहीं हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

Shri Atal Bihari Bajpayee : It has been stated by the hon. Minister that displaced persons are not entitled to permanent rehabilitation in India. Does it means that our Government intends to send back these displaced persons to Pakistan against their wishes?

श्री र० आके० खाडिलकर : यह आश्चर्य की बात है कि इस सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा यह प्रश्न पूछा जा रहा है क्योंकि हम यह बात पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वह विदेशी राष्ट्रिक हैं जो सीमा पार करके इधर आ गए हैं । अत: उन्हें यहां बसने का अधिकार नहीं है । मैं सदन को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शिमला समझौते के बाद जो पत्र-व्यवहार हुआ, उसके अनुसार पाकिस्तान ने दिसम्बर 1971 भारत-पाक युद्ध के समय के सिंध क्षेत्र के विस्थापितों के प्रश्न पर विचार करना स्वीकार कर लिया है । अब यह कार्य पाकिस्तान सरकार का है कि वह इन लोगों की वापसी के लिए ऐसी उपयुक्त परिस्थितियां पैदा करें जिनके अन्तर्गत यह लोग सुरक्षा तथा सम्मानपूर्वक अपने-अपने घरों को वापिस जा सकें । इस, सम्बन्ध में हमारी स्थिति यही है । जहां तक मानवीय समस्या का सम्बन्ध है, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब जब कि मंत्री महोदय द्वारा शिमला समझौत का उल्लेख कर दिया गया है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं जिनके अन्तर्गत यह शरणार्थी वापिस पाकिस्तान जा सकें और यदि पाकिस्तान ने इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं की है तो भारत सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं पहले ही बता चुका हूं कि शिमला समझौते के बाद हुये पत्र-व्यवहार के परिणामस्वरूप पाकिस्तान ने उन्हें वापिस लेने की इच्छा व्यक्त की है । जब पाकिस्तान के श्री भूट्टो तथा हमारी सरकार के बीच बैठक होगी, तो उस समय इस पर विचार विमर्श कर लिया जायेगा ।

Mr. Speaker : When Mr. Bhutto and our Government meet, this will be decided.

Shri Atal Bihari Bajpayee : What will happen to these displaced persons till that time They are living in tents. There is no arrangement for their meals. No medical facilities are provided to them if they fall ill. I had been to Gujarat. A good number of them in Sabarkantha came to see me. Their condition is quite deplorable, I want to know what steps are being taken by Rehabilitation Ministry in this regard ? May I know if the hon. Minister has been there to see them ?

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह ठीक नहीं है । यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको इसका पूरा-पूरा ब्यौरा दे सकता हूं कि शिबिरों में इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उन्हें क्या क्या राशन में दिया जाता है, तथा उन्हें कितना भत्ता दिया जाता है—लगभग प्रत्येक परिवार को 40 रुपये भत्ता दिया जाता है और यदि आप अनुमति दें तो मैं सम्पूर्ण वक्तव्य पढ़ सकता हूं । परन्तु मैं आपको आश्वासन देना चाहता हुं . . .

अध्यक्ष महोदय : अच्छा यही होगा कि आप इसे सभा-पटल पर ही रख दें ।

Shri Jagannathrao Joshi : In 1971, more than 50 thousand refugees came to this side. Despite our best efforts to send them back, they have refused to go back. It has been stated by the hon. Minister that they are just the refugees here. I want to bring it toy our notice that they are very highly skilled people and in 1970, Pakistan earned foreign exchange worth 3 crores of rupees from the goods manufactured by these people. So, in one way it is a human problem. But these people are highly skilled, who can earn good foreign exchange. So in view of these facts I would like to know whether Rehabi itation Minister will review this problem from this point of view ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जहां तक शिबिरों में रहने वाले लोगों का सम्बन्ध है, उनके बारे में तो निश्चय ही यह एक मानवीय समस्या है। परन्तु वह हमारा दायित्व नहीं है ; मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं। मैं यह भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान ने अपने पत्र व्यवहार में सैद्धांतिक रूप से यह बात स्वीकार कर ली है। बाद में वह क्या करेंगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उनके पीछे के व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए, मैं कुछ नहीं कह सकता। परन्तु जहां तक कारिगरी योजनाओं का सम्बन्ध है, उनका उपयोग किया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : पहले कई बार यह आश्वासन दिए गए हैं कि उनके पुनर्वास के लिए कार्यवाही की जा रही है और हाल ही में केन्द्र सरकार ने पुनर्वास प्राधिकरण की स्थापना भी की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन शरणार्थियों के स्थाई पुनर्वास के लिए इस प्राधिकरण द्वारा क्या व्यावहारिक कदम उठाये गए हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य की बात संगत नहीं है क्योंकि पुनर्वास प्राधिकर का गठन चम्बल के शरणार्थियों के लिए किया गया है और वह भारतीय नागरिक हैं। यह प्राधिकरण कश्मीर के मुख्य सचिव के तत्वाद्यान में है, वह इसके कार्य को देख रेख कर रहे हैं। हमने यह व्यवस्था की है।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या यह सच नहीं है कि गुजरात के बनासकंठा जिले में सैकड़ों शरणार्थी बहुत दयनीय हालत में रह रहे हैं और उन्हें जीवन की आधारभूत सुविधाओं का अधिकार भी नहीं है ? उन लोगों में डाक्टरों, वकीलों आदि जैसे कुछ व्यावसायिक लोग भी हैं जो भारत में अपना व्यवसाय नहीं कर सकते क्योंकि वह अपने आप को अखिल भारतीय परिषदों में पंजीकृत नहीं करवा सकते। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जहां तक शिबिरों का सम्बन्ध है, कुल लगभग 56,000 शरणार्थियों में से 52,000 ऐसे हैं जो राजस्थान और गुजरात के शिबिरों में रहते हैं और मैं यह भी बता दूं कि इनमें 1,169 ऐसे हैं जो अपने सम्बन्धियों के पास रहते हैं और उन्हें हम कोई सहायता नहीं देते हैं। परन्तु जहां तक लाइसेन्स देने और अन्य बातों का सम्बन्ध है, यदि ये सब बातें हमारे नोटिस में लाई जाती हैं तो हम उन पर विचार करेंगे।

अहमदाबाद में श्रमिक न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामले

*462. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद के श्रमिक न्यायालयों में हजारों मामले अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो विद्यमान स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या तात्कालिक और उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ; और

(ग) अहमदाबाद में ऐसे मामलों की सुनवाई करने के लिए कितने श्रमिक न्यायालय और न्यायाधीश-पद हैं और क्या रिक्तस्थानों पर समुचित रूप से नियुक्ति की जाती है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : राज्यों के क्षेत्र के अन्तर्गत मामलों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। जहां हमें केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र का सम्बन्ध है उत्तर निम्न प्रकार है :—

(क) जी नहीं, 13-8-1974 को अहमदाबाद में केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालय में केन्द्रीय क्षेत्र के केवल 145 मामले लम्बित थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अहमदाबाद में केवल एक केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालय है जिसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33ग(2) के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट किया गया है। यह न्यायालय राज्य सरकार की न्यायालय है परन्तु इस की सेवाओं का उपयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा भी किया जाता है। श्रम न्यायालय केवल व्यक्ति से बना है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मावलंकरजी, आप कृपया एक ही प्रश्न पूछिये। समय शेष नहीं है।

श्री पी०जी० मावलंकर : मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा। यदि मैं उनकी बात ठीक ढंग से समझ पाया हूं तो उन्हों ने आरम्भ में यही कहा है कि राज्य श्रम न्यायालयों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और वह सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यद्यपि प्रश्न 20 दिन पूर्व पूछा गया था तो भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। जानकारी मेरे पास तो उपलब्ध है परन्तु मंत्री महोदय के पास नहीं है। मैंने यह जानकारी गुजरात सरकार से मांगी थी और उन्हों ने मुझे कुछ जानकारी उपलब्ध करवा दी है। मेरा प्रश्न दोनों ही, यथा केन्द्रीय श्रम न्यायालयों तथा राज्य श्रम न्यायालयों से सम्बन्धित है। क्या यह सच नहीं कि सैकड़ों ही नहीं अपितु हजारों मामले अनिर्णीत पड़े हैं और अभी तक सरकार द्वारा अनेक श्रम न्यायालयों के, न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की गई है? अतः क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि रोजाना जो श्रमिक अपनी रोजी छोड़कर श्रम न्यायालयों में आते हैं उनके मामलों का निपटारा हो जाये? अन्यथा वह न्यायालय आते जाते रहते हैं परन्तु उनके मामलों का निपटारा नहीं होता है। क्या वह इस मामले की जांच करके यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके मामलों का निपटारा शीघ्र हो जाये?

श्री बालगोविंद वर्मा : जहां तक राज्य श्रम न्यायालयों का सम्बन्ध है, इस मामले की जांच तो राज्य सरकारों द्वारा ही की जाएंगी। मैंने राज्य सरकार की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कह दिया है। अभी तक यह जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। ज्योंही यह जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी, उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ। अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लिया जाता है।

श्री पी० जी० मावलंकर : श्रीमान जी, प्रश्न 20 दिन पूर्व पूछा गया था और मुझे मालूम नहीं था कि मुझे प्राथमिकता मिले या न मिले। इसी लिए मैंने राज्य सरकार को यह जानकारी देने के लिए कह दिया। गुजरात के राज्यपाल के परामर्शदाता ने मुझे यह जानकारी दे दी है परन्तु भारत सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। यह कैसे हो सकता है कि गुजरात सरकार ने मुझे जानकारी दे दी हो और भारत सरकार को जानकारी न दी हो?

अध्यक्ष महोदय : श्री मावलंकर, मैं पहले ही प्रश्न काल की समाप्ति की घोषणा कर चुका हूं। अच्छा हो कि आप उनके साथ बैठ कर ही उनसे अपना प्रश्न पूछ लें।

श्री पी० जी० मावलंकर : यह आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार का कार्य इस तरह होता है?

Shri Jagannathrao Joshi : Mr. Speaker, Sir, we give notice of many important questions 20 days in advance, but even then we do not get the precise answers. You must do something in this regard.

श्री पी० जी० मावलंकर : जब भी इसे सभा-पटल पर रखा जाएगा हम अनुपूरक प्रश्न पूछना, चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह उपलब्ध नहीं है। मैं उनसे कह दूंगा कि आपको जानकारी दे दें। अब, पत्र सभा-पटल पर रखे जाएंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

न्यूनतम बोनस में वृद्धि करने के बारे में बोनस पुनरीक्षण समिति का सुझाव

*447. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस पुनरीक्षण समिति ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस की न्यूनतम मात्रा में तुरन्त वृद्धि करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि करने का सुझाव दिया है ?

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस समिति की अन्तिम रिपोर्ट कब तक प्रकाशित की जाएगी ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) बोनस पुनरीक्षा समिति ने अभी अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, इस समिति ने, बोनस भुगतान अधिनियम के अधीन देय न्यूनतम बोनस को बढ़ाने से सम्बन्धित विचारार्थ विषय पर सितम्बर, 1972 में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये निष्कर्ष दो अलग-अलग रिपोर्टों में समाविष्ट हैं। एक पर अध्यक्ष डा० एस० डी० पुनेकर, श्री एन० एस० भट और श्री हरिश महेन्द्र ने और दूसरी पर श्री आर० पी० बिल्लीमोरिया, श्री महेश देसाई, श्री जी० रामानुजम और स्वर्गीय सतीश लूम्बा ने हस्ताक्षर किए हैं। इन दो रिपोर्टों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद बोनस भुगतान अधिनियम में संशोधन करने के लिए 23 सितम्बर, 1972 को एक अध्यादेश जारी किया गया ताकि ऐसी व्यवस्था हो सके कि बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों को देय सांविधिक न्यूनतम बोनस को वर्ष 1971 के किसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्ष के लिए 4% से बढ़ा कर $8\frac{1}{3}\%$ हो जाय। अध्यादेश में यह भी व्यवस्था की गई थी कि बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों को $8\frac{1}{3}\%$ तक पूर्ण भुगतान नकद किया जाए। जहां उक्त लेखा वर्ष के दौरान $8\frac{1}{3}\%$ से अधिक भुगतान किए जाने थे वहां उक्त लेखा वर्ष 1970–71 के दौरान किए गए भुगतानों के बीच का अन्तर यदि कोई हो (जहां वे $8\frac{1}{3}\%$ से अधिक थे) बाह्य अर्थात अतिरिक्त राशि लाभ पान वालों के भविष्य निधि खातों में जमा कर दी जाएगी। समिति की रिपोर्टों की प्रतियां और उन पर सरकार का संकल्प (तारीख 19 अक्तूबर, 1972) जो उसी तारीख के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, 13 नवम्बर, 1972 को मेज पर रख दी गई थीं। बाद में इस अध्यादेश को संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

2. वर्ष 1972 के किसी भी दिन को शुरू होने वाले लेखा वर्ष के लिए न्यूनतम बोनस के भुगतान के बारे में वसे ही उपबन्ध बनाने के लिए सितम्बर, 1973 में बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में पुनः संशोधन किया गया था। इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि बोनस के अंश को भविष्य निधि खाते में जमा किए जाने से सम्बन्धित उपबन्ध को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इन अभ्यावेदनों को स्वीकृत करते हुए इस अधिनियम में दिसम्बर, 1973 में संशोधन किया गया जिससे बोनस की समस्त राशि का नकद भुगतान हो सके।

3. वर्ष 1973 के किसी भी दिन से शुरू होने वाले लेखा वर्ष के लिए $8\frac{1}{3}\%$ न्यूनतम बोनस के भुगतान की व्यवस्था करने के लिए, इस अधिनियम में पुनः संशोधन किया जाता है। संशोधन सम्बन्धी आवश्यक विधेयक को संसद में पेश किया जा रहा है।

(घ) जब सरकार को रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी, केवल उसके बाद ही इस पर गौर किया जा सकता है।

वाणिज्यिक स्तर के एल्यूमिनियम के निःशुल्क वितरण पर रोक

*448. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात और खान मंत्रालय में प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों को पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक स्तर के एल्यूमिनियम के निःशुल्क वितरण पर कुछ रोक लगाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख) विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा 1973-74 में तथा चालू वर्ष (1974-75) में एल्यूमिनियम प्रद्रावकों पर लगाई गई भारी बिजली कटौतियों से एल्यूमिनियम के उत्पादन में काफी कमी हुई है इसका धातु की उपलब्धि पर भी प्रभाव पड़ा है और वाणिज्यिक ग्रेड एल्यूमिनियम की कम पूर्ति अथवा पूर्ति न होने की शिकायतें भी आई ह । इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वाणिज्यिक ग्रेड एल्यूमिनियम के पिण्डों का उपयोग करने वाली विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को माल मिलता रहे, वर्ष 1974-75 के लिए वाणिज्यिक ग्रेड एल्यूमिनियम की कुछ मात्रा प्रायोजक प्राधिकरणों, अर्थात्, भारी उद्योग मंत्रालय, डी० जी० टी० डी०, डी० सी० एस० एस० आई०, आदि को नियत कर दी गई है ताकि वे अपने अधीन विभिन्न इकाइयों में उसका वितरण कर सकें । इकाई-वार आबंटन सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है ।

बिजली की कमी के कारण बेरोजगारी

*449. **श्री अरविन्द एम० पटेल** :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 1973-74 में बिजली की भारी कमी के कारण पूरे देश में विशेष रूप से गुजरात में, बड़े पमाने पर बेरोजगारी फैल गई है और हजारो औद्योगिक एककों में श्रमिकों की जबरी छुट्टी कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या हल सोच रही है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) मांगी गई सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है । यह विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

तथापि 1972-73 के दौरान विभिन्न राज्यों में बिजली की कमी से कारखानों के बन्द हो जाने के फलस्वरूप जबरी छट्टी पर भेजे गए श्रमिकों की संख्या के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है ।

राज्य	जबरी छुट्टी पर भेजे गए श्रमिकों की संख्या	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
1. आन्ध्र प्रदेश	22,579 (26-10-72 से 15-4-73 के बीच जबरी छुट्टी पर भेजे गए) ।	आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्ध में सूचना बिजली की कमी से प्रभावित हुए 103 एककों में से 101 से सम्बन्धित है ।

राज्य	जबरी छुट्टी पर भेजे गए श्रमिकों की संख्या	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
2. असम	कुछ नहीं	
3. गुजरात	5,141	1972 में अस्थायी रूप से जबरी छुट्टी पर भेजे गए।
4. हरियाना .	47,490	1-4-72 से 31-3-73 तक जबरी छुट्टी पर भेजे गए।
5. हिमाचल प्रदेश .	कुछ नहीं	
6. जम्मू और कश्मीर	कुछ नहीं	
7. केरल .	कुछ नहीं	
8. मध्य प्रदेश .	2,340	बिजली की कमी के कारण किसी को जबरी छुट्टी नहीं दी गई, परन्तु मध्य प्रदेश में बिजली भंग हो जाने से अप्रैल, 1972 से मार्च, 1973 की अवधि के दौरान विभिन्न समयों पर जबरी छुट्टी दी गई।
9. महाराष्ट्र . .	22,528	अक्तूबर, 1972 से मार्च, 1973 तक।
10. मणिपुर .	कुछ नहीं	
11. कर्नाटक . .	464	1972 के दौरान जबरी छुट्टी दी गई।
12. मिजोराम . .	कुछ नहीं	
13. उड़ीसा . .	कुछ नहीं	
14. पंजाब . .	कुछ कारखानों को श्रमिकों की छंटनी करनी पड़ी या उन्हें जबरी छुट्टी देनी पड़ी। ऐसे श्रमिकों की संख्या ज्ञात नहीं है।	
15. राजस्थान	515	9-3-73 तक जबरी छुट्टी पर भेजे गये।
16. तमिलनाडु .	आंकड़े नहीं भेजे गए क्योंकि संख्या दिन-प्रति-दिन घटती बढ़ती रहती है, जो बिजली का उपयोग करने सम्बन्धी व्यवस्थाओं पर तथा साथ ही कच्चे माल के उपलब्ध होने पर निर्भर करती है।	

राज्य	जबरी छुट्टी पर भेजे गए श्रमिकों की संख्या	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
17. त्रिपुरा .	कुछ नहीं	
18. उत्तर प्रदेश .	50,362	14-8-72 से 31-3-73 तक की अवधि के दौरान जबरी छुट्टी पर भेजे गए ।
19. पश्चिम बंगाल .	3,33,938 (अनंतिम)	1-4-72 से 31-3-73 तक के दौरान जबरी छुट्टी पर भेजे गए ।
20. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	कुछ नहीं	
21. चण्डीगढ़ . .	कुछ नहीं	
22. दादरा और नगर हवेली	कुछ नहीं	
23. दिल्ली	1,405	31-3-73 को समाप्त होने वाले गत छः महीनों के दौरान बिजली के भंग हो जाने कारण जबरी छुट्टी पर भेजे गए ।
24. लक्ष्य द्वीप	कुछ नहीं	
25. नागालैण्ड .	कुछ नहीं	
26. पाण्डिचेरी .	57,260	1 अप्रैल, 1972 से मार्च 1973 के दौरान जबरी छुट्टी पर भेजे गए ।
27. अरुणाचल प्रदेश .	कुछ नहीं	

दिल्ली में प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की स्थापना

*450. **श्री राम प्रकाश :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाल में दिल्ली में एक प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विशेषकर, स्थान और खर्च की रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) प्राकृतिक चिकित्सा सलाहकार समिति ने हाल में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली या उस के आस पास 24 लाख रुपये की लागत से एक सौ पलंगोंवाला अस्पताल खोलने की सिफारिश की है। इस सिफारिश के सभी पहलुओं पर जिस में वित्त सम्बन्धी पहलू भी शामिल हैं, विचार किया जाएगा और उपर्युक्त कार्यवाही की जाएगी ।

आयातित स्टेनलेस स्टील की चादरों के मूल्यों में वृद्धि

*451. **श्री के० मालन्ना** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अपने उपभोक्ताओं के लिए आयातित स्टेनलेस स्टील की चादरों (0.5 मिलिमीटर) का विक्रेय मूल्य बढा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) यह वृद्धि आयात मूल्य में वृद्धि होने के कारण हुई है ।

Seiuzre of Spurious Rum in Defence Canteen

*452. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether bottles of spurious rum were seized in Defence can een recently ;

(b) if so, the names of its manufacturers and the name of the agency having contract therefor ; and

(c) the action taken thereon ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No case of seizure of bottles of suprious rum in any Defence canteen has been reported recently.

(b) and (c) Do not arise.

कोलार स्वर्ण खानों का कुप्रबन्ध

*455. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोलार स्वर्ण खानों (भारत गोल्ड माइन्स) लिमिटेड में हुई दुर्घटनाओं और कुप्रबन्ध के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध कुछ शिकायत/आरोप प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा इनकी छान-बीन की जा रही है ।

खाते में बढ़ाये बिना बेचा गया इस्पात

*456. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जुलाई, 1974 के एक दैनिक समाचार पत्र के उस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 1.30 करोड़ रुपये के मूल्य का इस्पात खाते में चढ़ाये बिना बेचा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं ; और

(ग) जिन आयकर अधिकारियों/विक्रय कर अधिकारियों ने इस्पात के खाते में चढ़ाये बिना बेचे जाने की लेखा पकड़ने के लिए उपर्युक्त समय पर तुरन्त कार्यवाही नहीं की उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि ये छापे बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा मारे गए थे अतः मुख्यतया यह मामला राज्य सरकार का है। जब कभी लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के उल्लघंन के किसी मामले का पता चलेगा तो उचित दाण्डिक कार्रवाई की जाएगी।

हेवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन में छंटनी

*457. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री अनादि चरण दास :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में हाल ही में अनुभवी इंजीनियरों की छंटनी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्दौर में बोगस औषध फर्में

*460. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जुलाई, 1974 के इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि इन्दौर में गत पांच वर्षों में कथित रूप में स्थापित हुई 300 से अधिक औषध फर्मों में से आधी से अधिक फर्में "बोगस" हैं और शेष भी कदाचार में सम्मिलित होने के संदेह से मुक्त नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कुछ मामलों की जांच की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) सात यूनिटों के बारे में केन्द्रीय जांच कार्यालय पहले से ही जांच पड़ताल कर रहा है। अन्य मामलों को केन्द्रीय जांच कार्यालय को सौंपने के बारे में राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है।

अहमदाबाद में श्रमिक न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामले

*462. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद के श्रमिक न्यायालयों में हजारों मामले अनिर्णीत पड़े हैं।

(ख) यदि हां, तो विद्यमान स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या तात्कालिक और उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ; और

(ग) अहमदाबाद में ऐसे मामलों की सुनवाई करने के लिए कितने श्रमिक न्यायालय और न्यायाधीश पद हैं और क्या रिक्त स्थानों पर समुचित रुप से नियुक्ति की जाती है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :(क) जी नहीं। उपलब्ध सूचनानुसार, 13-8-1974 को अहमदाबाद में केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालय में केन्द्रीय क्षेत्र के केवल 145 मामले लंबित थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अहमदाबाद मे केवल एक केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालय है जिसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33ग(2) के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट किया गया है। यह न्यायालय राज्य सरकार की न्यायालय है परन्तु इसकी सेवाओं का उपयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा भी किया जाता है। श्रम न्यायालय केवल व्यक्ति से बना है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

बोनस पुनर्विलोकन समिति की कार्यविधि का बढ़ाया जाना

*463. **श्री रानेन सेन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस पुनर्विलोकन समिति की कार्यविधि बढ़ाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :(क) और (ख)समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, बताया गया है कि इसका काम पूरा होने वाला है और सितम्बर, 1974 के अन्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है।

बोनस अधिनियम के क्षत्राधिकार के बारे में बोनस पुनरीक्षण समिति के विचार

*464. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को बोनस अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाने के प्रश्न पर बोनस पुनरिक्षण समिति में मतभेद है ;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या समिति में कार्मिक संघ के प्रतिनिधियों ने रेल, डाक तथा तार तथा आयुध कारखानों में श्रमिकों को बोनस की अदायगी करने के बारे में जोरदार समर्थन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (रघुनाथ रेड्डी) : (क) बोनस पुनरीक्षा समिति ने अभी अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड मध्य प्रदेश द्वारा मैंगनीज अयस्क का भंडार जमा किया जाना

*465. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश में जमा किए गए मैंगनीज अयस्क भण्डार का निपटान न किए जाने के कारण वह छः हजार मजदूरों को छंटनी करने की बात सोच रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास इन भण्डारों का उपयोग करने के लिए क्या प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में फेरो मैंगनीज, इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइआक्साइड, मैंगनीज मेटल आदि जैसे मैंगनीज अयस्क परिकरण संयंत्र लगाने का है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं ।

(ख) फैरो-मैंगनीज के उत्पादकों से मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि० से अधिक माल खरीदने के लिए कहा जा रहा है ; निर्यात की सम्भावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है ।

(ग) मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम लि० को प्रतिवर्ष 2,500 टन इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज धातु के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में एक कारखाना स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी करने हेतु सिफारिश की गई है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सरकारी क्षेत्र में फेरो-मैंगनीज, इलोक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइआक्साइड अथवा मैंगनीज धातु के निर्माण के लिए कारखाने लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०, लखनऊ में कदाचार और भ्रष्टाचार

*466. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लखनऊ स्थित हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स कारखाना कदाचार और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है ;

(ख) क्या कारखाने का निर्माण कार्य पूरा होने में पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) यह बेबुनियाद आरोप सही नहीं है ।

(ख) और (ग) निर्माण सामग्री की कमी, बाढ़, परिवहन कठिनाइयों आदि के कारण सिविल इमारतों का निर्माण पूरा करने में कुछ विलम्ब हुआ है, परन्तु इसके द्वारा उत्पादन कार्यक्रम पर कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ा है ।

दयानन्द मेडिकल कालेज, पंजाब में केन्द्रीय सरकार के लिये स्थानों का आरक्षण

3130. **श्री मधु लिमये** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने दयानन्द मेडिकल कालेज, पंजाब में उनसे कुछ स्थान आरक्षित कराए थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने स्थान आरक्षित कराये गए हैं ;

(ग) इन रिक्त स्थानों की पूर्ति के मापदण्ड का आधार क्या है ;

(घ) क्या कालेज इस बीच बन्द कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की राज्य सरकार के पास ले जाने का है ताकि केन्द्रीय कोटा की व्यवस्था पुनः आरम्भ की जाये ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, हां ।

(ख) 1964 से 1970 तक सालाना पांच सीटें आरक्षित रखी जाती थीं और 1971 से सात सीटें रखी जाती हैं ।

(ग) ये सीटें बीना मेडिकल कालेज वाले राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के और दूसरे प्राधिकृत वर्गों के छात्रों में से उनकी योग्यता के क्रम में भरी जाती हैं।

(घ) 1-7-74 से यह कालेज सामान्य ढंग से कार्य कर रहा है। छात्रों की हड़ताल के कारण इसे अप्रैल से जून, 1974 तक बन्द कर दिया गया था।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों को वित्तीय सहायता

*3131. **श्री बिश्वनाथ झंझुनवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने वर्ष 1973–74 के दौरान बंगला देश, नेपाल, भूटान और सिक्किम को कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) इस सहायता को इन देशों की किन परियोजनाओं पर खर्च किया जा रहा है ; और

(ग) क्या सहायता के बारे में इन देशों के साथ कोई दीर्घावधि करार किया गया है और यदि हां, तो आगामी तीन वर्षों में कितनी वित्तीय सहायता देने का वचन दिया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) एक ब्यौरा सदन की मेज पर रखा दिया गया है।

विवरण

1. बंगला देश :

1973-74 के दौरान भारत ने बंगला देश को 60 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।

यह धन राशि वस्तु सहायता (छतरी के कपड़े की सप्लाई के लिए), तकनीकी सहायता (व्यवहार्यता अध्ययन आदि), कपड़ा मशीनों की सप्लाई के लिए ऋण, कोच, स्लीपर, बिजली उपकरण आदि के लिए वाणिज्यिक अनुदान और कपड़ों, विशेषकर साड़ियों, और लुंगियों की सप्लाई के लिए उपयोग में लाई जा रही है।

भारत और बंगला देश के बीच बंगला देश को सहायता प्रदान करने के लिए कोई दीर्घ-कालिक करार नहीं हुआ है। लेकिन, पिछली मई में बंगला देश के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान, भारत एक नया सीमेंट कारखाना लगाने, पूंजीगत माल देने, कृषि और कपड़ा मशीने देने, 3 पहियों की गाड़ियों के प्रोजेक्ट के लिए और तैयार कपड़े की सप्लाई के बारे में 28 करोड़ रुपये की सहायता देने को सहमत हुआ था।

2. नेपाल :

1973–74 के दौरान, भारत ने नेपाल को 7.36 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।

यह धनराशि प्रमुख रूप से सड़क निर्माण, सिंचाई और बिजली, दूर संचार, उद्योग, तकनीकी सहायता, बागवानी, पुरातत्व सर्वेक्षण, शिक्षा आदि के लिए उपयोग में लाई गई थी।

भारत ने भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत 1951 में नेपाल को सहायता देने शुरू की थी। तब से लेकर अब तक दोनों सरकारों के बीच विभिन्न प्रायोजनाओं के लिए अलग-अलग करारों/विनिमय पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

पांच वर्षों की अवधि के लिए सहायता की मात्रा निश्चित की जाती है, जो नेपाल की पंचवर्षीय योजनाओं के साथ होती है। 1971–76 (नेपाल की चौथी पंचवर्षीय योजना) की अवधि में 45 करोड़ रुपये दिए गए। लेकिन निर्धारित सीमा के अन्दर सहायता का वार्षिक वितरण कार्य की प्रगति और उस वर्ष विशेष की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

3. भूटान :

1973–74 में भारत ने भुटान को 10.24 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की।

भारत ने भूटान की विकास योजनाओं के अमल में उसकी तीसरी पंचवषीय योजना (1971–76) की अवधि के लिए 33 करोड़ रुपये की धनराशि देने का वचन दिया है। पहले तीन वर्षों (1971–74) में भूटान को 24.35 करोड़ रुपये की राशि सुलभ करा दी गई थी। योजना में सम्मिलित प्रायोजनाएं इस प्रकार हैं :—कृषि कार्यक्रमों का विकास, बिजली उद्योग और खनन, परिवहन और संचार, समाज सेवा आदि।

मार्च, 1974 में भूटान के साथ जिस करार पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसके अन्तर्गत भारत ने 83 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की चुखा पन-बिजली प्रायोजन पर धन लगाने की सहमति प्रदान की है। 60 प्रतिशत राशि अनुदानों के रूप में और शेष राशि ऋणों के रूप में दी जाएगी। इस प्रायोजन को पूरा करने में सात वर्ष लगेंगे। अगले तीन वर्षों में सहायता की राशि योजना की पूर्ति की प्रगति पर निर्भर करेगी।

4. सिक्किम :

1973-74 में भारत ने सिक्किम को 4.41 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दान की।

भारत का सिक्किम की चौथी पंचवर्षीय योजना (1971–76) में योगदान 18.5 करोड़ रुपये का होगा ; जिसमें से 9.66 करोड़ रुपये की राशि 1971–74 में दी जा चुकी थी।

यह धनराशि कृषि उत्पादन, वन विकास, बिजली, बड़े और मध्यम उद्योग, सड़क और परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा आदि के क्षेत्र में उपयोग में लाई जा रही है।

भारत में एज्यूकेशन काउन्सिल फार फोरेन मेडिकल ग्रेज्यूएट परीक्षा के केन्द्र

3132. श्री एस० एम० सिद्य्या : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश में एज्यूकेशन काउन्सिल फार फोरेन मेडिकल ग्रेज्यूएट परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा केन्द्र बनाने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु): (क) और (ख) जी हां। मुख्यत: भारतीय चिकित्सा स्नातकों को अमरीका जाने से निरुत्साहित करने के लिए एज्यूकेशनल काउन्सिल फार फोरेन मेडिकल ग्रेज्युएटस की इस देश में परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है।

भारत गोल्ड माइन्स के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोप

3133. श्री एच० एम० पटेल : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स वर्कर्स यूनियन के प्रधान ने उक्त खानों के प्रबन्ध निदेशक के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के आरोप लगाए हैं और इस बारे में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबन्ध-निदेशक के विरूद्ध कुछ शिकायतें और आरोप प्राप्त हुए और उन पर सरकार विचार कर रही है ।

कोयले से अशोधित तेल निकालने की प्रौद्योगिकी

3134. श्री रोबिन सेन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले से अशोधित तेल बनाने की प्रक्रिया को विकसित करने की प्रोद्योगिकी का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) कोयले से तरल पदार्थ बनाने का तात्पर्य कोयला कणों में हाइड्रोजन मिला कर उसके अणु-भार को कम करने से है । इसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न तकनीकें अपनाई गई हैं जिन्हें मोटे तौर से इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है--(क) कोयला या कोलतार का हाइड्रोजनीकरण, (ख) कोयले का बिलायक निस्सारण और उस निःसतत्व का हाइड्रोजनीकरण, (ग) कोयले के कार्बन मोनाक्साइड और हाइड्रोजन गैसों में बदलना और इन गैसा को उत्प्रेरक संश्लेषण द्वारा तरल पदार्थ में बदलना, तथा (घ) कोयले का ताप द्वारा तरल, गैस और ठोस पदार्थों के रूप में अलग अलग करके कार्बनीकरण करना भारतीय कोयले के उपयुक्त प्रक्रिया के चयन तथा एक बड़े पैमाने पर कोयला से तेल बनाने के कारखाने की स्थापना का फैसला करने से पूर्व विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में प्रोद्योगिक-आर्थिक सहायता अध्ययन कर लेना आवश्यक है । इस कार्य के लिए प्रायोगिक संयंत्र-परीक्षण कर लेना भी आवश्यक होगा ।

मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में निम्न ताप कोयला कार्बनीकरण संयंत्र की स्थापना

3135. श्री हुकम चन्द कछवाय :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ज्यालगौरा ने मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में निम्न ताप-कोयला कार्बनीकरण के लिए एक संयंत्र की स्थापना की सिफारिश की है ;

(ख) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में उक्त संयंत्र की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार के केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संयंत्र की स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) तथा (ख) जी हां ।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार से कहा गया कि वह इस परियोजना के सम्बन्ध में 1969 में कोयला खान प्राधिकरण लि० तथा केन्द्रीय ईन्धन अनुसंधान संस्थान के परामर्श से तैयार की गई साध्यता रिपोर्ट को संशोधित कर उसे नए रूप में 31-10-1974 तक भारत सरकार को प्रस्तुत कर दे । आगे की कार्रवाई संशोधित साध्यता रिपोर्ट मिलने पर तय की जायेगी ।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित दो कानूनों को राष्ट्रपति की अनुमति

3136. **श्री रानेन सेन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोक्ताओं के संगठन ने उनके मंत्रालय से कहा है कि वे राष्ट्रपति को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाल ही में पारित दो कानूनों को कब तक अपनी अनुमति न देने का अनुरोध करें जब तक कि त्रिपक्षीय स्तर पर इन पर चर्चा नहीं की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) नियोजकों के कुछ संगठनों से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं कि पश्चिम बंगाल श्रमिक मकान किराया भत्ता विधेयक और औद्योगिक विवाद (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1974 पर प्रचलित प्रथा का अनुसरण करते हुए पहले एक त्रिपक्षीय गोष्ठी में विचार विमर्श किया जाना चाहिए। सरकार विधेयकों की जांच कर रही है।

जापान से यूरिया का आयात

3137. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :

श्री सी० जनार्दनन् :

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत जापान से यूरिया का आयात करेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) अप्रैल से जून, 1974 के दौरान 100,000 टन यूरिया की प्रदायगी के लिये ठेका दिया गया था। इसमें से 56,845 मी० टन का लदान किया जा चुका है। शेष राशि के लिये जहाज नियत किये जा चुके हैं। अगस्त, 1974 में आरम्भ होने वाले लदान के लिये पी० पी० बोरों में 100,000 मी० टन और प्रपुन्जु में 50,000 मी० टन युरिया का एक अन्य ठेका दिया गया है।

आसूचना एवं कानूनी विंग द्वारा नकली औषधियों के व्यापार का पता लगाना

3138. **श्री विश्वनाथ झुझुनवाला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली औषधियों के व्यापार का पता लगाने के लिये महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के अतिरिक्त दिल्ली सहित किसी भी राज्य में कोई आसूचना एवं कानूनी विंग (इन्टेलीजेंस कम लीगल विंग) नहीं है;

(ख) क्या उक्त कमी के कारण औषध नियंत्रण अधिनियम को ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस खतरे के समाधान के लिये अधिनियम में कोई संशोधन करने का विचार और यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) नकली दवाइयों के विरुद्ध अभियान चलाने तथा कानूनी कार्यवाही करने के लिए केवल महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात व पश्चिम बंगाल राज्यों में ही "कानूनी एवं आसूंचना" (लीगल-कम-इन्टेलीजेन्स) का एक सम्पूर्ण सेल है। तमिलनाडु में इस प्रकार के एक विंग खोलने के प्रस्ताव पर

विचार किया जा रहा है। केरल में इस कार्य के लिए केवल एक औषधि निरीक्षक और एक विधि सहायक है जिसे एक सम्पूर्ण विंग नहीं माना जा सकता है। हैदराबाद में पुलिस का उप माहा निरीक्षक आसूचना विंग का प्रमुख है और एक विधि अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है। दिल्ली में इस कार्य की दो औषधि निरीक्षक और एक सहायक औषधि नियंत्रक देख रहे हैं। अन्य राज्यों के यहां ऐसे कोई विंग नहीं हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन करने के एक प्रस्ताव पर सरकार पहले से सक्रिय रूप से विचार कर रही है ताकि इस अधिनियम के उपबन्धों को और अधिक कठोर बनाया जा सके और संशोधन विधेयक का एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि० द्वारा पिक्चर ट्यूबों की सप्लाई

3139. श्री सो० के० चन्द्रप्पन : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स ने वर्ष 1973 में टेलीविस्टा की लाइसेंस प्राप्त मांग से 50 प्रतिशत अधिक पिक्चर ट्यूबों की सप्लाई की;

(ख) क्या वर्ष 1973 में भारत इलैक्ट्रोनिक्स ने छोटे टी० बी० निर्माताओं को पिक्चर ट्यूबों की सप्लाई नहीं की और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन अनियमितताओं के लिए भारत इलेक्ट्रोनिक्स के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी नहीं, श्रीमन। 10,000 टी० वी० रिसीवरों की लाइसेंस क्षमता की तुलना में टैलीविस्टा को 1973 में 13094 पिक्चर ट्यूबों की सप्लाई की गई थी। इस का कारण यह था कि 1973 की पहली छमाही में टी० बी० रिसीवर निर्माताओं से पिक्चर ट्यूबों की मांग भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० के पास उपलब्ध स्टाक से कम थी। तदनुसार भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० इस अवधि के दौरान विभिन्न ग्राहकों द्वारा पिक्चर ट्यूबों के लिए दिये गये आर्डरों को पूरा करने में सफल हो सका। 1973 की प्रथम छमाही में मैसर्स टैलीविस्टा को उनके आर्डर पर 10,058 पिक्चर ट्यूबें सप्लाई की गई थी। लेकिन 1973 की दूसरी छमाही में भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० के उत्पादन की तुलना में पिक्चर ट्यूबों की मांग बहुत असंगत रुप से बढ़ गई। इसका कारण टी० वी० रिसीवर बनाने के लिए और अधिक यूनिटों को लाइसेंस का दिया जाना है इसलिए विभिन्न यूनिटों द्वारा दिए गए आर्डरों के विरुद्ध टी० वी० पिक्चर ट्यूबों की सप्लाई को नियमित करना पड़ा। 1973 की दूसरी छमाही में मैसर्स टैलीविस्टा को केवल 3036 पिक्चर ट्यूबों सप्लाई की गई थी।

(ख) और (ग) जैसा कि ऊपर बताया गया है कि 1973 की दूसरी छमाही में भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० द्वारा पिक्चर ट्यूबों के वितरण को सीमित करना पड़ा क्योंकि उत्पादन की तुलना में मांग काफी बढ़ गई थी। भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० ने बताया है कि किसी विशिष्ट निर्माता को ट्यूबों की सप्लाई के लिए मना नहीं किया गया था। तथापि भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० से यह सूचना एकत्र की जा रही है कि क्या किसी व्यक्तिगत मामले में भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० को दिये गए आर्डरों के विरुद्ध कोई सप्लाई नही की गई है। भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० से और अधिक सूचना प्राप्त होने के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा कि क्या कोई कार्रवाई करनी आवश्यक है।

बड़ौदा में औषध विश्लेषण (कैमिस्ट्री)/औषध विश्लेषण (मिनीबायोलोजी) में प्रशिक्षण

3140. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री० डी० पी० जदेजा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात का औषधि नियंत्रण प्रशासन शिक्षित बेरोजगार योजना के अधीन बेरोजगार व्यक्तियों को औषध प्रयोगशाला, बडौदा में (एक) औषध विश्लेषण (कैमिस्ट्री) और (दो) औषध विश्लेषण (मिनीबायोलोजी) में प्रशिक्षण देता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972-73 और 1973-74 में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया

(ग) प्रशिक्षण पर कितनी धन राशि खर्च की गई; और

(घ) यह योजना कब तक जारी रखने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में उपमंत्री (श्री ए० के० किरकु) : (क) तकनीकी शिक्षा के निदेशक की ओर से शिक्षित बेरोजगार सहायता योजना के अन्तर्गत इन पाठ्यक्रमों में फरवरी, 1970 से जून, 1973 तक औषध प्रयोगशाला, बड़ौदा में प्रशिक्षण दिया गया ।

(ख) प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

सत्र	औषध विश्लेषण (रसायन शास्त्र)	औषध विश्लेषण (सूक्ष्म जीव विज्ञान)
जनवरी, 72 से जून 72 तक . .	9	8
जुलाई, 72 से दिसम्बर 72 तक	9	9
जनवरी 73 से जून, 73 तक	10	10
जुलाई 73 से दिसम्बर 73 तक .	शून्य	शून्य
जनवरी 74 से जून 74 तक	शून्य	शून्य

(ग) उपर्युक्त सत्रों में इस प्रशिक्षण पर 23,764 रुपये खर्च हुए ।

(घ) जगह की कमी और सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक कक्षाओं के आयोजन में अनुभव की गई कठिनाइयों के कारण इन पाठ्यक्रमो की जुलाई, 1973 से बंद कर दिया गया है ।

पांचवीं योजना में मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में रेडियोथिरेपी यूनिटों द्वारा कैंसर की चिकित्सा

3141. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री बेकारिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में रेडियोथिरेपी युनिटो की व्यवस्था करके कैंसर की चिकित्सा संबंधी सुविधाओ की सुदृढ करन के लिये पाचवी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये कितने परिव्यय की व्यवस्था का विचार है; और

(ग) क्या इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय निकायों की सहायता ली जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) 45 लाख रुपये।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोयला खान प्राधिकरण द्वारा अधिकार में ली गई कोयला खानों के कर्मचारियों को मिलनें वाली वार्षिक वेतन वृद्धि/पदोन्नति

3142. श्री माधुर्य हालदर : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड, द्वारा अधिकार में ली गई कोयला खानों के कर्मचारियों को मिलने वाली वार्षिक वेतनवृद्धि/पदोन्नति कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा उन्हें इस बात पर विचार किए बिना कि गैर सरकारी कम्पनियों ने उन्हें किसी विशेष वेतनमान में स्थायी किया था अथवा नहीं, तब तक दी जाती रहेगी जब तक कि कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा अपने कर्मचारियों के परामर्श से उनकी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : कोयला खान प्राधिकर में शामिल किए गए कर्मचारियों के दो वर्ग हैं: (1) एक वे जो भूतपूर्व कोयला कम्पनियों में नियमित वेतनमान ले रहे थे और (2) दूसरे वे जिनके मामले में वार्षिक वेतन वृद्धि को प्रणाली नहीं थी। पहले वर्ग के मामले में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की व्यवस्थाओं के अनुसार यथासमय वेतन वृद्धि की मंजूरी दी गयी है। दूसरे वर्ग के मामले में उन कर्मचारियों को सहानुभूति के आधार पर 1973 में वेतन वृद्धि की मंजूरी दी गई थी जिनका मामला बातचीत के द्वारा अन्तिम निपटान के लिए विचाराधीन था तथा जिसका निपटान 5-4-74 को हो गया था। इस निर्णय के अनुसार सरकारी नियंत्रण में लिए गए कर्मचारियों को 1-5-74 से वेतन बोर्ड के वेतनमानों की पेशकश की गई है। अधिकाश कर्मचारियों ने वेतन बोर्ड के वेतनमानों को स्वीकार किया है।

देश में सरकार द्वारा चलाये जानें वाले आयुर्वेदिक कालेजों और अस्पतालों त ा औषधालयों की मांग

3143. श्री एम० के० कृष्णन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि समूचे देश में सरकार द्वारा चलाये जाने वाले आयुर्वेदिक कालेजों और अस्पतालों तथा औषधालयों को मांग में काफी वृद्धि हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देशीय औषधालयों के प्रति अधिक ध्यान देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० क० किस्कु) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही इसे सभा को भेज दिया जाएगा।

द्विपक्षीय वार्ता के लिये पाकिस्तान को आमन्त्रित करना

3144. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री पी० गंगादेव :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री अनादि चरण दास :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार, डाक-तार राजनयिक और व्यापार सम्बन्धों को फिर से स्थापित करने के बारे में भारत सरकार ने पाकिस्तान को बातचीत के लिये आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने इसे स्वीकार कर लिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) शिमला समझौते के पैरा 3 के अनुसार संबंधों को सामान्य बनाने के तरीकों को क्रियान्वित करने के लिए पाकिस्तान कोई बिना कोई पूर्व शर्त, लगाये बातचीत शुरू करनी चाहिए, भारत सरकार के इस सुझाव के जवाब में पाकिस्तान ने 10 अगस्त 1974 के अपने संदेश में संचार और यात्रा पर बातचीत शुरू करने की पेशकश की है। इस बातचीत के संबंध में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद जा सकता है और इससे संबंधित ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

विकास सम्बन्धी आयोजन में भारतीय सहायता दिए जाने का तंजानिया सरकार का अनुरोध

3145. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंजानिया सरकार ने अपने देश के विकास संबंधी आयोजन में भारत की सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तंजानिया सरकार ने तंजानिया के सिंगिदा क्षेत्र के विकास के लिए एक समेकित परियोजना तैयार करने में भारत की सहायता मांगी है। इसे स्वीकार कर लिया गया है, और आठ सदस्यों का एक विशेषज्ञ-दल शीघ्र ही तंजानिया जाने वाला है।

रेल वैगनों की सप्लाई के लिये विदेशों के साथ समझौता

3146. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने कितने और किन-किन एवं कितने देशों के साथ रेल वैगनों की सप्लाई के सम्बन्ध मे समझोते कर रखे है ।

(ख) ठेका करने के समय प्रति वैगन निर्माण लागत क्या थी; और

(ग) क्या वैगन निर्माण लागत में 30 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है और उत्पादन लागत में वृद्धि को देखते हुए क्या सरकार का विचार हानियों को पूरा करने के लिये उन देशों के साथ नये मूल्यों पर नये करार करने का है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबिर सिंह) : (क) वैगनों के सम्भरण के लिए निम्नलिखित संविदाएं है :—

क्रम संख्या	देश	संख्या
1	युगोस्लाविया	36000 वैगन
2	ईरान .	492 वैगन
3	ईस्ट अफ्रीकन रेलवे .	100 वैगन
4	मलयेशिया	110 वैगन
5	बंगलादेश	500 वैगन

(ख) उपर्युक्त सभी संविदाओं पर निम्नलिखित प्रति वैगन मूल्यों के आधार पर हस्ताक्षर किये गए थे :—

युगोस्लाविया	खुला वैगन: 98,270 रुपये पुर्जे जोड़ने के कारखाने तक रेल भाड़ा मुक्त ।
	ढका हुआ : 114,200 रुपय पुर्जे जोड़ने के स्थान तक रेलभाड़ा मुक्त
ईरान . . .	85,125 रु० सी० एण्ड एफ०
पूर्वी अफ्रीका	1,34,000 रु० लागत, बीमा और भाडा
मलयेशिया	1,48,650 रु० लागत, बीमा और भाड़ा
बंगलादेश . . .	65,500 रु० दर्शना के लिए (स्वत: समायोजन धारा सहित)

(ग) लागत में आम वृद्धि हुई है। जहां कहीं सम्भव हो, कीमतें पुन: तय करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विभिन्न देशों से भारतीयों की स्वदेश वापसी

3147. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों भारत वापस आये भारतीय मूल के व्यक्तियों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं, जहां से उन्हें चले जाने के लिये कहा गया है;

(ग) वहां से स्वदेश वापस आने वाले व्यक्तियों द्वारा उन देशों में छोड़ी गयी चल और अचल सम्पत्ति का मूल्य कितना है ?

(घ) स्वदेश वापस आये व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनका अभी भी पुनर्वास किया जाना है; और

(ङ) छोड़ी गयी सम्पत्ति और उनके स्थायी पुनर्वास के बारें में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) :(क) माननीय सदस्य संभवतः ऐसे भारतीय राष्ट्रिकों के बारे में पूछ रहे हैं जिन्हें वित्तीय संकट आ पड़ने पर सरकारी खर्च पर स्वदेश प्रत्यावर्तित किया जाता है जो उन्हें लौटाना होता है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्यावर्तित ऐसे लोगों की संख्या इस प्रकार है :

1971	184
1972	138
1973	141

(ख) उपरोक्त प्रश्न के भाग(क) के उत्तर में दिये गए आंकड़ों का ब्यौरा सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1971		1972		1973	
लिबिया	1	संयुक्त राज्य अमरीका	4	थायलैण्ड .	1
सीरिया	1	पश्चिम जर्मनी	4	तुर्की .	5
ईरान .	11	बर्मा . .	1	बर्मा .	2
युगोस्लाविया	2	सीरिया . .	2	काबुल .	8
मस्कत	108	संयुक्त अरब गणराज्य	2	पश्चिमी जर्मनी	3
				फ्रांस .	1
यूनाइटेड स्टेट्स .	3	युगोस्लाविया .	3	अल्जीरिया .	1
इराक .	24	ईरान . .	66	युगोस्लाविया .	2
तुर्की . .	1	मारीशस .	1	आस्ट्रिया .	1
संयक्त अरब गणराज्य .	6	बेल्जियम .	2	स्वीडन .	1
				इराक .	49
नीदरलैण्डस	1	ट्रिनिदाड .	1	बेल्जियम	2
पश्चिम जर्मनी	3	इराक	34	इटली .	3
बैल्जियम .	2	इटली	3	जाम्बिया .	2
सोवियत समाजवादी	2	तुर्की .	6	नीदरलैण्डस .	2
गणतंत्र संघ		अफगानिस्तान	6	संयुक्त अरब .	3
				गणराज्य	
स्वीडन	1	नीदरलैण्डस	1		
फ्रांस .	13	दक्षिण यमन .	1	मस्कत .	52
अफगानिस्तान .	5	हांगकांग .	1	स्पेन .	2
				श्री लंका .	1
कुल .	184		138		141

औद्योगिक संबंध विधेयक

3148. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक को अन्तिम रुप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बाते क्या हैं और उसे कब तक पुर:स्थापित किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) व्यापक औद्योगिक संबंध विधेयक के अन्तर्गत विवादों के निपटारे के लिए तंत्र और कार्यपद्धति, हड़ताल/तालाबंदी से संबंधित कार्यपद्धति, ट्रेड यूनियनों को मान्यता, ट्रेड यूनियन कानून आदि संबंधित मामले लाया जाना संभवनीय है। विधेयक को संसद् में यथा संभव शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

कोयला खान प्राधिकरण द्वारा अधिकार में ली गई खानों के पुराने कर्मचारियों के अधिकार एवं विशषाधिकार

3149. **श्री रोबिन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोयला खान प्राधिकरण, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा अधिकार में ली गई कोयला खानों कर्मचारियों को कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व अपनी भूतपूर्व कम्पनियों में जो अधिकार, विशेषाधिकार और जो अच्छी सेवा की शर्तें प्राप्त थी, उनमें परिवर्तन किए जाने की कोई संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : संभवत: सदस्य महोदय उन शर्तों के परिवर्तनों के बारे में जानना चाहते हैं जिनके आधार पर अधिग्रहीत कर्मचारियों को कोयला खान प्राधिकरण/भारत कौकिंग कोल लि० कम्पनियों में शामिल किया गया था। जहां तक कोयला खान प्राधिकरण का संबंध है उन कर्मचारियों के बारे में यथास्थिति रखी जा रही है, जिन्होंने वेतन बोर्ड के वेतनमान स्वीकार नहीं किए हैं। भारत कोकिंग कोल लि० के संबंध में, शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और उन्हें कर्मचारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था करने हेतु नियोक्ताओं पर सांविधिक बाध्यता

3150. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :

श्री एम० कतामुतु :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में कहा था कि अपने कर्मचारियों के लिय क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये नियोक्ताओं पर सांविधिक बाध्यता लागू की जायगी; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार का क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की 29 मई, 1974 को हुई छटी बैठक में श्रम मंत्री ने अपने अभिभाषण में यह कहा कि यदि अभ्रक खान नियोजक, बोर्ड द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आग नहीं बढ़ते तो सरकार के पास शायद इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं होगा कि वह श्रमिकों के मकानों से संबंधित उपबन्ध को कानून लागू करवाये।

(ख) इस दिशा में कोई कार्यवाही करने से पहले मकानों से संबंधित कार्य की प्रगति पर नजर रखी जा रही है।

राजस्थान में इंजीनियरिंग श्रमिकों द्वारा हड़ताल

3151. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजस्थान में इंजीनियरिंग श्रमिकों द्वारा 12 जून, 1974 से प्रारम्भ की गई अनिश्चित कालीन हड़ताल की ओर दिलाया गया है।

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों की मांगें क्या हैं; और

(ग) श्रमिकों की मांगे पुरी करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्रम मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) यह मामला आवश्यक रूप से राज्य के कार्य क्षत्र में आता हैं। उपलब्ध सूचनानुसार राजस्थान के भागों में लगभग 10,000 इंजीनियरी श्रमिक बढी हुई मजदूरी से सम्बन्धित अपनी मांग के समर्थन में जून 12, 1974 से हड़ताल पर चले गए।

पुनर्वास उद्योग निगम, कलकत्ता को पुनः क्रियाशील बनाना

3152. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता के पुनर्वास उद्योग निगम को पुनः कार्यशील बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या पांचवीं योजनावधि में भावी विस्तार एवं नये उद्योगों की स्थापना के लिये कोई धनराशि आवंटित की गई है; और यदि हां, तो कितनी; और

(ग) पुनर्वास उद्योग निगम के सम्बन्ध में गठित समिति ने अब तक क्या प्रगति की है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए निगम के लाभ और हानि का अनुमान लगाने तथा निगम के एककों के सर्वोत्तम प्रबंध और निगम की भावी रुपरेखा की सिफारिश करने के लिए अधिकारियों की एक समिति स्थापित की गई है।

(ख) पांचवीं योजनावधि के लिए पुनर्वास उद्योग निगम को कोई निधि आबंटित नहीं की गई है। नीचे दिए गए प्रयोजन के लिए निगम को ऋण के रुप में 40 लाख रुपए का गैर योजना **तदर्थ** आवंटन किया गया है :—

(i) सुकुमार इंजीनियरिंग वर्क्स, शीट मेटल यूनिट, कास्ट आयरन फाऊंडरी तथा औद्योगिक बस्तियों में शेड़ों के निर्माण के बारे में पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए।	14.00 लाख रुपए
(ii) कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए .	26.00 लाख रुपए
योग .	40.00 लाख रुपए

(ग) ऐसा मालूम हुआ है कि उपरोक्त (क) में उल्लिखित समिति ने अपने कार्य में पर्याप्त प्रगति की है और इसकी रिपोर्ट निकट भविष्य में प्राप्त होने की आशा है।

गुजरात औषध नियंत्रण विभाग द्वारा नकली दवाइयों की जालसाजी का पता लगाना

3153. श्री डी० डी० देसाई : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात औषध नियंत्रण विभाग ने बड़े पैमाने पर नकली दवाइयों की जालसाजी का पता लगाया है जैसा कि दिनांक 26 मई, 1974 के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

1974-75 में कोयले का उत्पादन

3154. श्री डी० डी० देसाई : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1974-75 में कोयले के उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : वर्तमान ऊर्जा संकट के परिणाम स्वरुप उत्पन्न कोयले की बढी हुई मांग को पूरा करने के लिए 1974-75 के दौरान कोयले के उत्पादन के लिए 950 लाख टन का लक्ष्य रखा गया था। कोयला उत्पादक एजेंसियों द्वारा जोरदार प्रयास किए जाने पर भी, चालू वर्ष के प्रथम चार महीनों, अर्थात् अप्रैल से जुलाई 1974 तक केवल लगभग 270 लाख टन उत्पादन हुआ है। यद्यपि यह उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन से लगभग 14 लाख टन अधिक है तथापि यह 950 लाख टन के लक्ष्य को पूर्ति की तुलना में कम है। ऐसा बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों में बिजली की कमी, संयंत्र तथा मशीनरी जैसी आवश्यक मदों के न मिलने, रेल परिवहन की, अपर्याप्तता, कानून तथा व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति आदि के कारण हुआ है। अब तक के उत्पादन की प्रवृत्ति तथा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों को ध्यान में रखते हुए यह आशा की जाती है कि चालू वर्ष मे लगभग 880 लाख टन कोयले का उत्पादन होगा, जब कि पिछले वर्ष 780 लाख टन उत्पादन हुआ था। परन्तु, यदि अभी से उपर्युक्त अड़चनों को पूरी तरह या आंशिक रूप में दूर कर लिया जाता है तो चालू वर्ष में कायले का उत्पादन 880 लाख टन से भी अधिक हो सकता है।

दिल्ली के रक्त बैंक

3155. श्री डी० डी० देसाई :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 27 मई, 1974 को एक स्थानीय समाचारपत्र में प्रकाशित हुये एक समाचारपत्र के अनुसार दिल्ली के रक्त बैंकों में रक्त की कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजधानी के रक्त बैंक कभी भी मांग की पूर्ति करने योग्य नहीं हुये।

(ग) यदि हां, तो इसकी मांग की पूर्ति के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) क्या अस्पताल केवल उसी अवस्था में रोगियों को खून चढ़ाते हैं जब कि चढ़ाये गये खून की प्रतिस्थापना के लिये रोगी स्वयंसेवी रुप से खून देनेके लिये किसी को लाये ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) दिल्ली के रक्त बैंकों में रक्त की भारी कमी नहीं है ।

(ख) जीवन रक्षा के लिए जब भी रक्त की तुरंत आवश्यकता पड़ी है इन रक्त बैंकों ने रक्त की मांग को पूरा किया है ।

(ग) स्वैच्छिक रक्त दान को बढावा देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

कोयले के ढेर (डम्प)

3156. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० डी० देसाई :

श्री हुकमचन्द कछवाय :

श्री डी० पी० जदेजा :

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनन प्राधिकरण द्वारा राज्यों में स्थापित किए जाने वाले कोयले के ढेरों (डम्प) संबंधी काम चालू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ये कहां-कहां पर खोले गए हैं और कोयले के वितरण का क्या तरीका है; और

(ग) इस प्रबन्ध से छोटे एवं मध्यम श्रेणी के उपभोक्ताओं को कठिनाइयां कहां तक दूर हुई हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) तथा (ख) कलकत्ता (हावड़ा) में सोफ्ट कोक को मौजूदा कोयला स्टाल के अतिरिक्त, कोयला खान प्राधिकरण लिमिटटद्वारा उत्तर प्रदेश में बनारस, कानपुर, गोरखपुर तथा लखनऊ में कोयले की टालें खोली गई हैं। मेरठ में भी ऐसी टालें खोलने के प्रबंधों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन टालों से कोयला और सौफ्ट कोक का वितरण उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी संघ तथा राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों के माध्यम से किया जाएगा। हावड़ा की टाल से कोयले का वितरण पश्चिम-बंगाल सरकार की सिफारिश पर किया जाता है।

(ग) इन टालों से प्राप्त परिणामों का अभी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। क्योंकि इनमें से कुछ तो हाल ही में खोली गई हैं तथा कुछ अन्य अभी खोली जा रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें ग्रामीण अस्पताल बनाना

3157. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री वकारिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के परामर्श से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढा कर उन्हें ग्रामीण अस्पताल बनाने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस परामर्श को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा;

(ग) क्या इस प्रकार दर्जा बढाये गये अस्पताल ग्रामीण जनता को औषधि, शल्य-चिकित्सा आवस्टेट्रिक्सज, जिनेकोलाजी आदि की विशिष्ट सेवायें प्रदान करेंगे; और

(घ) चालू वर्ष में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०के०किस्कु) : (क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें 30 पलंगों वाले ग्राम अस्पताल में बदलने की योजना को अन्तिम रुप दे दिया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) 78।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने उत्पादन में विविधता लाना

3158. **श्री वनमाली बाबू** : क्या भारी **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की संख्या कितनी है जिन्हें अपने उत्पादन विविधता लाने की अनुमति दी गई थी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : आवश्यक जानकारी निम्न प्रकार है :

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के एकक का नाम	वह वस्तु जिनमें विविधीकरण की अनुमति दी गई है
1	2	3
1	हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलोर	(1) हीरोलोजिकल मशीनें (2) न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनें (3) बडे टाईप मिलिंग मशीनें (4) टूल रुम डाई शाप और हाइड्रोलिक तत्व तथा पावर पेक्स (5) विशेष उद्देश्यों के लिए मशीनी क्षमता में वृद्धि करना (6) एल्यूमिनियम को टयबों को दीवारों को दबाने और कठोर करने के लिए एक्सट्रूजन मशीनें (7) प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीनें (8) बेब आफ सेट मशीनें (9) स्वचालित वातानुकूलित उपकरण (10) कृषि मशीनें और उपकरण

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के एकक का नाम	वह वस्तु जिनमें विविधीकरण की अनुमति दी गई है
1	2	3
		(11) धातु बनाने की मशीनें, ट्रांसफर ऐलिमेंटस और सम्बद्ध उपकरण
		(12) प्रसिजन मशीन टूल्स बियरिंगें
		(13) बाल और रोलर बियरिंगों का निर्माण करने के लिए प्रेसिजन मशीनें
		(14) लाइनो टाइप हाट मेटल स्लग का स्टिंग मशीनें
		(15) पैकेजिंग मशीनें, कम्पोजिंग मशीनें, टाईप सेटिंग बुक बाईंडिंग और स्टिचिंग मशीनें और प्रोसेस कैमरे
		(16) प्रैसिजन इस्ट्रूमेंटेशन, कैमरे, टाइमर्स आदि
		(17) इलेक्ट्रो डिसचार्ज टयूबें।
2	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरो कारपोरेशन लिमिटेड दुर्गापुर।	(1) बंदरगाहों/विद्युत गृहों/उर्वरक उद्योग जैसे स्टैकर्स, रिक्लेमर्स, शिप लोडर्स साल स्ट्रेयर और हैवी ड्यूटी कन्वेयरों के लिये अधिकांश मात्रा में कच्चे माल को उठाने के उपकरण
		(2) खानों के लिए सैंड प्लांटस
		(3) रेलवे के लिए फोरजिंग्स
		(4) हैवी ड्यूटी गियर बोक्स (500 अ० श० तक) और फ्लैइड़ कोयलिंग्स
		(5) फोडर्स, स्पेशल पम्प, टेक्नो-लीजिकल ढ़ाचे इस्पात संयंत्रो के लिए विभिन्न प्रकार को ढ़लाई और गढ़ाई
		(6) हाइड्रोलिक पोटस]
		(7) कोयला साफ करने के कारखाने के लिए उपकरण और पुर्जे
		(8) केबिल उद्योग के लिए विशेष मदें जैसे केबिल स्ट्रडिंग मशीनें
		(9) इस्पात उद्योग के लिए एनिलींग भट्ठियां।
3	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड।	आयल ग्रिलिंग रिगों का संगठित निर्माण।
4	मे० जेसप एण्ड कं० लि०	(1) स्टील वर्क्स ड्यूटी क्रेने (2) ऐरियल रोवेपज (3) क्रोलर टैक्टर्स (4) कागज बनाने की मशीनें।
5	मे० रिचार्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लि०	बायलर, प्रेशर वैसेल्स और अन्य संबंध उपकर

Establishing A Multipurpose Hospital in Almora District of U. P.

3159. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Central Government and the Government of Uttar Pradesh have received representations to the effect that keeping in view the necessity of the region and the lagging behind in the matter of medical facilities, multipurpose hospitals be established in various areas of District Almora ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b) The information is being collected and will be furnished as soon as it becomes available.

Coal Stock Caught Fire in Raniganj

3160 **Shri Hukumchand Kachwai** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether a huge quantity of coal was burnt in Raniganj-Jharia coal mines as a result of fire; and

(b) the value of coal burnt there and the future scheme and policy of Government to check such loss ?

The Deputy minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) Coal stocks in the coal mines in the Raniganj coalfield caught fire in May-74. No such fire took place in Jharia.

(b) It is not possible to make a precise assessment of the amount of loss suffered. Various steps have been taken to check such loss in future, which include provision of water pipe lines, lowering the height of coal stocks and coordinating with the Railways for regular clearance of coal produced by provision of matching rail transport facilities.

तमिलनाडू में बिजली में कटौती के कारण बेरोजगारी हुए श्रमिक

3161. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू में संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले 5 लाख श्रमिकों में अधिकांश श्रमिक मई, 1974 से राज्य में उच्चवोल्टता वाले सभी उद्योगों पर लागू 60 प्रतिशत बिजली-कटौती के कारण सप्ताह में से चार दिन के लिए बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें कहां तक सच्चाई है; और

(ग) इस सम्बद्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) यह मामला आवश्यक रूप से राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है। तथापि, सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

इंजीनियरिंग उद्योग में पूंजी निवेश में कमी

3162. **श्री मधु लिमये** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग उद्योग में आमतौर पर पूंजी निवेश में कमी होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रवृत्ति का इंजीनियरिंग माल के उत्पादन तथा विशेषकर उनके निर्यात पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अभी तक नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

इस्पात का 'रिटेन्शन' मूल्य नियत करना

3163. श्री मधु लिमये : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात का "रिटेन्शन" मूल्य नियत करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या इस प्रकार प्राप्त समूची अतिरिक्त राशि उत्पादक को दे दी जायेगी; और

(ग) क्या यह सुझाव दिये गये हैं कि मूल्यों में अन्तर की राशि एक विकास निधि में रखी जाये और उसका उपयोग गैर-सरकारी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों के इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता और उत्पादन में विस्तार के लिये किया जाये ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्तर्स्त अतिरिक्त धन राशि सम्बन्धित उत्पादकों को मिलेगी और उसे स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के पास केन्द्रीय निधि में जमा कराना होगा। कारखाने के आधुनिकीकरण तथा इस्पात उत्पादों के विकास से सम्बन्धित स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा योजना आयोग से परामर्श कर के अनुमोदित की गई योजनाओं के लिए उत्पादक इस निधि से उतनी राशि निकाल सकते हैं जितनी उन्होंने जमा की है।

मध्य प्रदेश के मंत्रियों एवं योजना आयोग के सदस्यों द्वारा स्कूटरों 'ग्रेब' का कथित समाचार

3164. श्री मधु लिमये : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के मंत्रियों और योजना आयोग के सदस्यों द्वारा "स्कूटर ग्रैब" के समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) तथा (ख) अपनी इच्छा से व्यक्तियों, मंत्रियों को आवंटन करने के लिए राज्य सरकारों तथा प्रशासनों इसमें मध्य प्रदेश सरकार भी शामिल है की कुछ स्कूटर दिए जाते है, इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने मंत्रियों को किया गया स्कूटरों का आवंटन नियमानुसार है।

एक स्कूटर योजना आयोग के एक सदस्य को आवंटित किया गया था जिसने उस दिन तक केन्द्रीय सरकार के कोटे से कोई कार या स्कूटर नहीं लिया था। यह आवंटन नियमानुसार था।

डीजल जनरेटिंग सेटों का निर्माण

3165. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता आवश्यकता की तुलना में बहुत हीं कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कम से कम इस उद्योग की आवश्यकत को पूरा करने के लिये देश में डीजल जनरेटिंग सेटों का निर्माण करने तथा उसमें वृद्धि लाने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये क्या योजना बनाई गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह):(क) 31-3-74 को विद्युत जनित्रण के लिये अधिष्ठापित क्षमता 18.5 मिलियन किलोवाट थीं जबकि चौथी योजनावधि के अंत तक 21.2 मिलियन किलोवाट क्षमता की अनुमानित आवश्यकता थी।

(ख) और (ग) बिजली की कमी को देखते हुए सरकार ने सार्वजनकि सम्भरण से बिजली को उपलब्धता अनुपूरित करने के लिए औद्योगिक एककों को आपाती डीजल जनित्रण सेट स्थापित करने की अनुमति दी है। उत्पादन बढ़ाने के लिए डीजल इंजनों और जनरेटरों तथा डीजल जनित्रण सेटों के निर्माताओं को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके डीजल जनित्रण सेटों का देशी निर्माण बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। उच्चतर रेंजों के सेटों का निर्माण प्रारम्भ करने के लिए विद्यमान देशी निर्माताओं के प्रस्ताव और जनित्रण सेटों का निर्माण प्रारम्भ करने के लिए नई पार्टियों के प्रस्तावों पर अनुकुल दृष्टि से विचार किया जा रहा है। एक निश्चित क्षमता से अधिक के जनित्रण सेटों के आयात की भी अनुमति दी गई है।

राजस्थान में लघु इस्पात संयंत्र

3166. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिये केन्द्र द्वारा दिये गये लाइसेंसों को धन की कमी के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से आई० डी० बी० आई० के माध्यम से इन परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा कितनी मांग की गई है और आई० डी० बी० आई० के माध्यम से यह कहां तक पूरी की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) पता चला है कि कुछ उद्यमकर्ताओं को जिनके पास राजस्थान में छोटे इस्पात कारखाने लगाने के लाइसेंस है, अपेक्षित धन इकट्ठा करने में कठिनाई हो रही है।

(ख) और (ग) राजस्थान वित्त निगम ने इन परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था की पात्रता के प्रश्न पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से लिखा पढ़ी की है। निःसंदेह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपने विचार राजस्थान वित्त निगम को बतायेगा। फिर भी जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में मेडिकल कालज खोलना

3167. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में 30 मार्च, 1974 को मेडिकल कालेजों की संख्या राज्य की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और कालजों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं। स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार प्रत्येक 50 लाख की आबादी के पीछे 100 सीटों वाला एक मेडिकल कालेज होना चाहिय। केरल राज्य में जिसकी आबादी लगभग 2 करोड 10 लाख है, 4 मेडिकल कालेज हैं जिनकी वार्षिक प्रवेश-क्षमता लगभग 540 है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

केरल में बाढ़ से प्रभावित हुए मछुओं और भूमिहीन श्रमिकों की सहायता

3168. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल राज्य में बाढ़ से प्रभावित हुये मछुओं और भूमिहीन श्रमिकों को तत्काल सहायता देने के लिए राज्य सरकार को कोई अनुदेश जारी किये हैं; और

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को कितनी सहायता देने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं। किसी नैसर्गिक विपदा से प्रभावित होने वाले लोगों को राहत प्रदान करना मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को कोई अनुदेश देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, प्राकृतिक विपत्ति सम्बन्धी राहत के लिए खर्च हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने संबंधी पिछली योजना का 1-4-1974 से निरसन कर दिया गया है। इस लिए इस वर्ष (1974–75) में बाढ़ राहत खर्च की बाबत केरल सरकार को कोई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

केरल सरकार को, उसके उपाय और साधनों की स्थिति पर गौर कर के वित्तीय वर्ष 1974–75 के अन्दर-अन्दर वसूल किया जानेवाला एक करोड़ रुपये का एक अर्छोपाय ऋण वित मंत्रालय द्वारा दिया गया है ताकि बाढ़ राहत और अन्य कार्यवाहियों को खर्च वहन करने में उनके आर्थिक साधनों पर बहुत भार न पड़े

1972-73 में रुक-रुक कर बिजली की सप्लाई करने के कारण जनदिवसों की हानि

3169. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1972–73 वर्ष में रुक रुक कर बिजली की सप्लाई करने के कारण प्रत्येक मास, राज्य वार कितने जनदिवसों की हानि हुई;

(ख) क्या रुक रुक कर बिजली की सप्लाई एवं कच्चे माल की कमी के कारण अधिकतर लघु उद्योग या तो बन्द हो गये हैं अथवा बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यह प्राप्त होने के बाद सभा की मेज पर रख दी जायगी।

राष्ट्रीयकरण के पहले और बाद में कोयले की बिक्री से आय

3170. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री राष्ट्रीयोकरण के पहले और बाद में कोयले की बिक्री से आय के बारे में 14 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3131 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बीच राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि के दौरान कोयले की बिक्री और बिक्री से हुई आय के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड ने राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि अर्थात 1973–74 के अपने लेखे अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किए है।

युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं को वित्तीय सहायता

3171. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई योजना जिसके अन्तर्गत ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को वित्तीय सहायता दी जायगी जो परिवार पेंशन योजना के आरम्भ होने से पूर्व युदध में वीरगति प्राप्त हुए थे; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस श्रेणी के अन्तर्गत आनेवाली ऐसी विधवाओं को वित्तीय सहायता देने के सुझाव पर विचार करेगी ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी नहीं श्रीमन। नई पारिवारिक पेंशन योजना 1-1-64 को लागू हुई थी और इसका पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है ।

(ख) तथापि जो विधवाएँ आर्थिक संकट में होती हैं उन्हें गुणावगुण के आधार पर एक अथवा दूसरे फंड से एक समय ही आर्थिक सहायता दी जाती है ।

ईरान और अफगानिस्तान के बीच समझौता

3172. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान तथा अफगानिस्तान के बीच एक समझौता कराने के बारे में भारत प्रयास कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं। फिर भी, भारत सरकार इन दोनों देशों के बीच विद्यमान अच्छे संबंध तथा अनेक क्षेत्रों में उनमें वापस में बढ़ते हुए सहयोग को देख कर प्रसन्न है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

'एयर डिफेन्स ग्राउन्ड एनवरनमेन्ट सिस्टम'

3173. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'एयर डिफेंस ग्राउन्ड एनवरमेन्ट सिस्टम' का विकास करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) कार्यक्रम के रास्ते में क्या मुख्य कठिनाइयां हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) एयर डिफेन्स ग्राउन्ड एनवरनमेन्ट सिस्टम को एक चरणवार कार्यक्रम के अनुसार स्थापित किया जा रहा है । कार्यक्रम का जो चरण इस समय हाथ में है उसके कार्यान्वयन में काफी प्रगति कर ली गई है । एयर डिफेन्स ग्राउन्ड एनवरनमेंट सिस्टम के ट्रापो स्केटर संचार प्रणाली के बारे में दिसम्बर 1971 में अमेरिका द्वारा लगाई गई रोक के अधीन प्राइवट पार्टियों से ठेके पर ली गई पूर्तियों के लिए अमेरिका द्वारा निलम्बन के कारण काफी विलम्ब हो गया था। इस रोक को अब उठा लिया गया है और कार्य को भी फिर चालू कर दिया गया है ।

नियंत्रित प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण

3174. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना के लिये नियंत्रित प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : सेना और वायुसेना के लिए निम्नांकित इष्टपथी प्रक्षेपणास्त्रों का पहले ही देश में निर्माण किया जा रहा है :—

(1) सेना के लिए टैंक भेदी प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण भारत डाइनामिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है ।

(2) वायुसेना के लिए आकाश से आकाश में प्रक्षेपणास्त्र ।

नौसेना के लिए इस समय देश में किसी इष्टपथी प्रक्षेपणास्त्र का निर्माण नहीं किया जा रहा है ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अधीन मै० ऐनुल हक बीडी-व्यापारी मधुपुर के विरुद्ध दायर आपराधिक मामला

3175. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि निरीक्षक द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अधीन वर्ष 1969 में एस० डी० ओ० देवघर के न्यायालय में मैसर्स ऐनुल हक बीडी, व्यापारी, मधुपुर (एम० पी०) के विरुद्ध दायर किये गये बहुत से मामले अभी भी पता नहीं लगाये जा सके और भविष्य निधि निरीक्षक ने उक्त मामलों की प्रगति के बारे में कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रादेशिक भविष्य निधि, आयुक्त बिहार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है । यह यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अधीन चम्पारन और मुजफ्फरपुर जिलों में आपराधिक मामले

3176. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन चम्पारन और मुजफ्फरपुर जिलों के विभिन्न न्यायालयों में अनेक प्रतिष्ठानों/फैक्टरियों के विरुद्ध वर्ष 1967 में लगभग 150 आपराधिक मामले आधारहीन कहे जाते हैं और मामलों की प्रगति के बारे में प्रादेशिक कार्यालय बिहार को कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्राधिकारियों का इस मामले में कोई जांच करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है । यह यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

स्थानीय निकायों से खाद्य कानूनों के क्रियान्वयन का कार्य हस्तान्तरित किया जाना

3177. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :**

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य मानक समिति और अन्य निकायों ने यह सुझाव दिया है कि उन स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में से खाद्य कानूनों के क्रियान्वयन की अलग कर दिया जाय, जिनके पास उक्त कार्य के लिये सुविधायें अथवा धन उपलब्ध नहीं होता; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) इस मामले पर विचार किया गया। सरकार का यह विचार है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को कार्यान्वित करने के मामले में इस समय स्थानीय निकायों को पूर्णतः अलग नहीं रखा जा सकता।

संश्लिष्ट तेल परियोजना संबंधी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

3178. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० जे० सी० घोष की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त की गई संश्लिष्ट तेल परियोजना संबंधी विशषज्ञ समिति ने फरवरी, 1956 में अपना प्रतिवेदन दे दिया था;

(ख) क्या समिति ने भारत में परिवहन और औद्योगिक कार्य में काम आने वाले ईंधन तेल के स्थान पर संश्लिष्ट तेल के प्रयोग किए जाने की संभावना के बारे में ब्योरेवार अध्ययन किया था ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन के फरवरी 1956 में प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात से अब तक इसे प्रकाश में क्यों नहीं लाया गया है;

(घ) प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ड़) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अत्यधिक बढ़ जाने की स्थिति में क्या उस प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) घोष समिति ने अपनी रिपोर्ट में संयुक्त परियोजना की अनुशंसा की थी जिसके लिए प्रारम्भिक चरण में 20 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय होगा और जो रानीगंज कोयला क्षेत्र के जम्बाद कजोरा एरिया के कोयले पर आधारित होगी। उसमें 12 लाख टन अकोककर कोयले के निम्न-तापीय कार्बनीकरण तथा हाइड्रोजनीकरण की बाष्पीय अवस्था से प्राप्त हल्के तारकोल के हाइड्रोजनी-करण की व्यवस्था थी ताकि निम्नलिखित की पैदावार ले सके :—

(1) 660,000 टन धुंआ रहित घरेलू ईंधन,

(2) 130,000 टन छोटा कोक/चार कोल,

(3) 120,000 टन से 125,000 टन मोटर ईंधन,

(4) 2,000 टन फेनोल और

(5) 40,000 टन से 45,000 टन सड़क तारकोल

(ग) विदेशी मुद्रा सहित पूंजी स्रोतों पर भारी दबाव तथा तेल के अब तक कम कीमत पर मिलने से उत्पन्न प्रतिकूल मितव्ययिताओं के कारण इस योजना को हाथ में नहीं लिया जा सका।

(ड़) तथा (च) जे० सी० घोष समिति की रिपोर्ट अब पुरानी हो गई है। परन्तु सरकार कोयले से तेल तैयार करने की गुंजाइश का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों के एक दल का गठन कर रही है।

वर्ष 1974-75 में एम० बी० बी० एस० में दाखिले के लिये दिल्ली का कोटा

3179. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974–75 के लिये एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में दाखिले के लिये दिल्ली के कोटे में ऐसे छात्रों को शामिल किया गया है जिन्होंने केवल दिल्ली विश्वविद्यालय से प्री-मेडिकल की परीक्षा पास की है और अन्य छात्रों को, यद्यपि वे भी दिल्ली के हैं, शामिल नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस असंगति के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु): (क) जी, हां। एम० बी० बी० एस० की कुछेक सीटें केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई हैं।

(ख) इस स्थिति को अनियमित नहीं कहा जा सकता क्योंकि दिल्ली राज्य के अन्य विद्यार्थी अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ आम सीटों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकते हैं।

सेलम इस्पात संयंत्र

3180. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेलम इस्पात संयंत्र के लिये दस्तूर एण्ड कम्पनी की फर्म के साथ तकनीकी परामर्शदाता समझौता किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंन्धी मोटी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) सेलम स्टील लि० द्वारा विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम मेसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी प्रा० लि० को दिया गया है। आशा है यह प्रतिवेदन वर्ष 1974 के अन्त तक प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्हें सेलम इस्पात प्रायोजना के प्रथम चरण में इंजीनियरी सेवाओं का काम भी सौंपा गया है। इस चरण में खरीद किये गये गर्म बेलित स्टाक से 30,000 से 35,000 टन ठंडी बेलित बेदाग इस्पात की चादरें और स्ट्रिप बनाने की परिकल्पना की गई है।

प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं को इस्पात वितरण

3181. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं को इस्पात का वितरण उस अवधि में नहीं हो रहा, जिस अवधि में उसको वह मिल जाना चाहिये था; और

(ख) यदि हां, तो इस्पात की ढुलाई खराबी की दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) संभवत: अभिप्राय: इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किए गए आबंटनों की इस्पात सामग्री की सप्लाई में विलम्ब से है । वास्तव में अवधि विशेष में आबंटन के लिए दी गई प्राथमिकताओं का माल सामान्यत: उसी अवधि में प्रषित किया जाता है । फिर भी यदि अपर्याप्त उत्पादन, रेल यातायातों में विलम्ब आदि के कारण कुछ माल प्रेषित नहीं किया जाता है तो आगामी उपलब्ध अवधि में प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई किए जाने वाले माल में ऐसे माल के प्रेषण को प्राथमिकता दी जाती है ।

कोयला खान दुर्घटनायें

3182. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में देश की विभिन्न कोयला खानों में दुर्घटनाओं से कुल कितनी मौते हुईं; और

(ख) क्या वर्ष 1972–73 की तुलना में इस संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) पहली अप्रैल, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक की अवधि के दौरान देश की विभिन्न कोयला खानों में खान दुर्घटनाओं के कारण हुई मौतों की कुल संख्या 201 है ।

(ख) जी, नहीं । यह संख्या पहली अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1973 तक की अवधि के दौरान हुई मौतों की संख्या जो कि 261 थी, से कम है ।

मैसर्स जयश्री उद्योग, पटना के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत दायर किए गए मामले

3183. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स जयश्री उद्योग, पटना के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत दायर किए गए 3 अपराधिक मामलों में, उस इन्स्पेक्टर के हाजिर न होने के कारण जिसे यह कार्य सौपा गया था, अभियुक्तों को बरी कर दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो दोषी इन्स्पेक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है । यह यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

बिहार में कारखानों/संस्थानों/खानों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम का पालन न किया जाना

3184. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में 700 से अधिक कारखानों/संस्थानों जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 तथा उसके अन्तर्गत बनाई गई योजना लागू है, उक्त अधिनियम के उपबन्धों तथा योजनाओं के उन पर लागू होने की तिथि से ही पालन नहीं कर रहे हैं ।

(ख) यदि हां, तो उन एककों के नाम क्या हैं तथा उनका पालन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) उनके द्वारा उनका समय पर पालन कराए जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है । यह यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

आणविक क्षेत्र में भारत-फ्रान्स सहयोग

3185. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री वीर भद्र सिंह :
श्री एम० एस० सन्जीवी राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और फ्रांस के अधिकारियों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान आणविक क्षेत्र में दोनों देशों में सहयोग के प्रश्न पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। परस्पर हित के मामलों पर दोनों विदेश कार्यालयों के बीच विचारों के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच अधिकारी स्तर की द्विपक्षीय सावधिक वार्ताएं हुआ करती हैं । जून 1974 की द्विपक्षीय वार्ता में दोनों पक्षों ने और बातों के अलावा आणविक क्षेत्र में अपने दीर्घकालिक सहयोग का स्वागत किया।

केरल के चाय बागान श्रमिकों के मामले

3186. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के चाय बागान श्रमिकों के ऐसे कितने मामले हैं जो श्रम न्यायालयों अथवा किसी अन्य स्थानों पर लंबित हैं; और

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जो चाय बागान मालिकों के साथ विचार विमर्श करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने निपटा दिए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) यह मामला आवश्यक रूप से राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है ।

पुंछ सेक्टर में भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तानी सेना द्वारा अपने कब्जे में लिया जाना

3187. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पुंछ सेक्टर में मेंधार क्षेत्र के दारा खां गांव के सभी निवासियों को पाकिस्तानी सेना जबरदस्ती पाकिस्तान ले गई है;

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार हुआ और उन लोगों की स्थिति क्या है; और

(ग) पाकिस्तान सरकार के नोटिस में यह बात लायी गई है और इस बारे में उन्होंने यदि कोई स्पष्टीकरण दिया है तो वह क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) डारा खां गांव नियंत्रण रेखा के पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। अत: डारा खां गांव के निवासियों को पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर की ओर ले जाने का प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात का आयात

3188. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :**

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष आयात किये गये 7.4 लाख टन इस्पात की तुलना में इस वर्ष इस्पात का आयात बढ़ा कर 11.1 लाख टन किया जा रहा है और इस बारे में निश्चित क्रयादेश पहले ही दिये जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो देशीय उत्पादन से इस मांग को पूरा न करने के क्या कारण हैं और इस आयातित इस्पात के वितरण का तरीका क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) चालू वर्ष में दिये गये आर्डरों पर लगभग 11.3 लाख टन इस्पात आयात करने की सम्भावना है।

ऐसा माल आयात किया जा रहा है जिसका या तो देश में उत्पादन नहीं होता है अथवा जिसकी सप्लाई कम है। आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अधीन वास्तविक उपयोक्ताओं को आयात करने की अनुमति है। माध्यम अभिकरणों द्वारा आयात किया गया माल उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास रिलीज आर्डर होते हैं।

भिलाई इस्पात संयंत्र में बिजली संकट

3189. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के अन्त में कोरबा एल्यूमिनियम प्रदावक (स्मेलटर) के चालू हो जाने से बिजली की कम सप्लाई होने के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र को गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा क्यों कि भिलाई इस्पात संयंत्र के बजाय बिजली कोरबा एल्यूमीनियम प्रदावक में भी भेजी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो बिजली की इस कमी के कारण भिलाई में उत्पादन की कितनी हानि होगी; और

(ग) क्या इस संयंत्र को बिजली की नियमित तथा अतिरिक्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस प्रकार के विघटन की आशंका नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चिकित्सा शिक्षा को ग्रामोन्मुख बनाने के लिये योजना

3190. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सा शिक्षा को अधिक ग्रामोन्मुख बनाने के लिए एक योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोग इस समस्या पर गहराई से विचार करेगा तथा चिकित्सा शिक्षा को और अधिक ग्रामोन्मुख बनाने के लिए उचित योजना सुझायेगा ।

इस्पात उत्पादन में वायु प्रक्रम (एयर प्रोसेस)

3191. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के एक उदयोगपति ने चीन तथा चेकोस्लावेकिया में इस्पात के निर्माण के लिये व्यापक रूप से अपनाये गये "एयर प्रोसेस" के प्रयोग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) वायु प्रक्रम से इस्पात बनाने की विधियां सर्वविदित हैं । फिर भी, केरल के उद्योगपति द्वारा प्रयुक्त की गई प्रक्रिया के बारे में मालूम किया जा रहा है ।

अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

3192. **श्री मूल चंद डागा** :

श्री गोविन्द दास रिछारिया :

श्री फतेह सिंह राव गायकवाड :

श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक उनके मंत्रालय को प्राप्त अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नवीनतम आंकड़ क्या हैं और पिछले बारह महीनों के तत्संबंधी औसत आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : अन्तिम महीना, जिसके संबंध में 1960-100 आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोगता मूल्य सूचकांक उपलब्ध है, जून 1974 है और उस महीने के लिए सूचकांक 301 है । एक विवरण जो गत बारह महीनों के लिए बारह मासिक औसत के ब्यौरे देता है, संलग्न है ।

विवरण

औद्योगिक श्रमिकों संबंधी अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(आधार 1960=100)

महीना	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	समाप्त हुई अवधि के लिए 12 महीनों का औसत
(1)	(2)	(3)
जुलाई, 1973	243	217.33
अगस्त, 1973	247	220.67
सितम्बर, 1973	248	224.00
अक्तूबर, 1973	254	227.75
नवम्बर, 1973	259	231.83
दिसम्बर 1973	260	236.00
जनवरी, 1974	264	240.50
फरवरी, 1974	267	245.00
मार्च, 1974	275	249.92
अप्रैल, 1974	283	255.08
मई, 1974	294	260.58
जून, 1974	301	266.25

औद्योगिक मशीनों की मांग

3193. श्री एम० कत्तामुत्तु : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या विभिन्न प्रकार की औद्योगिक मशीनों की मांगें निरन्तर बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाय जा रहे हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार की नीति एक समन्वित ढंग से विद्यमान औद्योगिक एककों की सहायता करने की रही है जिससे अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके । बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुउद्देशीय इंजीनियरी सुविधाओं वाल एककों को कमी वाले क्षेत्रों में विविधीकरण करने या अपनी क्षमता का विस्तार करन के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है । व्यवस्थित ढंग से नई क्षमताएं भी उत्पन्न की जा रही है जिससे पांचवीं योजनावधि के लक्ष्य पूरे किय जा सकें ।

Geneva Graduate Study Programme

3194. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether a meeting of Geneva Graduate Study Programme was held in Geneva in July August, 1973 and whether India had also participated in it ; and

(b) the measures suggested in this meeting to check growth of population and which of these suggestions have been implemented or proposed to be implemented by Government of India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa) : (a) The meeting of the Graduate Study Programme was held in Geneva from the 17th July to the 3rd August, 1973. Out of the candidates nominated by the United Nations Students Association of India, Dr. A. P. Vilas was selected by the United Nations for participation in the programme.

The Government of India did not sponsor any candidate for the above Study Programme.

(b) The Government are not aware of the recommendations made in the meeting.

Amendment of Trade Union Act

3195. Shri M. C. Daga :

Sardar Swaran Singh Sokhi :

Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that certain professional leaders from outside join the rade unions and work there for their vested interests ;

(b) whether certain complaints to this effect have been received between the years 1971 to 1974 and if so, the number thereof and the action taken thereon ; and

(c) whether Government propose to amend the relevant sections of the Trade Union Act 1926 so that only the bonafide workers may join the trade unions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) The Trade Union Act, 1926 al ows outsiders to become office-bearers of the unions The National Commission on Labour in its assessment of outsiders as the office beaers of trade union has stated that "the total effect of out siders has not been such as should bar them altoghether from trade union counse s".

(b) No statistics are available regarding the number of complaints on this subject.

(c) The role of outsiders in Trade Unions will be kept in view while finalising the proposed comprehensive legislation on industrial relations.

हरियाणा में लघु इस्पात संयंत्र

3196. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा में एक लघु इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिये लाइसेंस दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखा क्या है और इसमें कब तक उत्पादन शुरू हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) सम्भवत: अभिप्राय हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, चण्डीगढ को जारी किये गये

औद्योगिक लाइसेंस से है । यदि यह ठीक है तो उन्हें प्रतिवर्ष 50,000 टन इस्पात के बिलेट तैयार करने के लिए हिसार में एक उपक्रम स्थापित करने हेतु एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है । यह उपक्रम संयुक्त क्षेत्र में "हरियाणा पोलीस्टील लि०" के नाम से लगाया जा रहा है । वर्तमान संकेतों से पता चलता है कि यह कारखाना, मार्च, 1975 की समाप्ति से पहले चालू कर दिया जाएगा ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत मेसर्ज यूनाइटेड प्रिंटिंग प्रेस, भागलपुर के खिलाफ आपराधिक मामलों को दर्ज करना

3197. **श्री के० एम० मधुकर :**

श्री भोला मांझी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत मैसर्ज यूनाइटेड प्रिंटिंग प्रेस, भागलपुर के खिलाफ 48 आपराधिक मामलों को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय बिहार, पटना की प्रवर्तन शाखा में दर्ज कराने में असाधारण रूप से विलम्ब हुआ था; और

(ख) क्या प्रबंधकों के खिलाफ दर्ज किए उपरोक्त मामले न्यायालय में अभी तक मिल नहीं रहे हैं और क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इन मामलों के पुनर्विलोकन के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियोंने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रबन्धकों के खिलाफ दायर किए गए मामले न्यायालय में अभी तक मिल नहीं रहे हैं । इन मामलों को फिर से चालू करने के लिए कार्यवाही की गई है । मामले की उपमण्डलीय अधिकारी, भागलपुर के साथ पैरवी की जा रही है ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत मेसर्ज गया जनता कोल्ड स्टोरेज, गया के खिलाफ आपराधिक मामले

3198. **श्री के० एम० मधुकर :**

श्री भोला मांझी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत मसर्ज गया जनता कोल्ड स्टोरेज, गया के खिलाफ दर्ज दिए गए अनेक आपराधिक मामलों को अन्त में छोड़ दिया गया है जिसका कारण यह है कि इन मामलों में मुख्य गवाह इंस्पेक्टर द्वारा गलत गवाही दी गई है तथा संचालक इंस्पेक्टर द्वारा इन मामलों को ठीक ढंग से पेश नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और विशेष टिप्पणियों सहित इस रिपोर्ट की रूपरेखा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है । यह यथासमय सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी।

बंगलौर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

3199. **श्री के० लकप्पा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक तथा अन्य पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में आवेदन-कर्ता होने के बावजूद भी बंगलौर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय न खोलने के क्या कारण है ; और

(ख) क्या बंगलौर में शीघ्र ही एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने की कोई योजना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) कार्यालय को स्थापना के खर्च के संदर्भ में कार्यभार को ध्यान में रखते हुए, बंगलौर में पासपोर्ट कार्यालय खोलने के प्रस्ताव की सावधानी से जांच की गई थी लेकिन यह पाया गया कि अभी काम इतना नहीं जिससे बंगलौर में एक अलग कार्यालय खोलना न्यायोचित सिद्ध होता हो। यह प्रस्ताव निरन्तर विचाराधीन है ताकि काम की मात्रा में जब भी उचित वृद्धि हो जाये तभी इस पर अमल करने पर विचार किया जा सके।

प्राण रक्षक औषधियों की खरीद के लिये सरकारी अस्पतालों को निदेश

3200. **श्री सी० के० जाफरशरीफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कालेजों को यह निदेश देने का है कि वे प्राण रक्षक औषधियों को समस्यत: टेंडर मांग कर खरीदने की बजाय औषध निर्माता सरकारी उपक्रमों से सीधे खरीद लें; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कार्बनीकरण प्रक्रिया का विकास

3201. **श्री एम० एस० पुरती** :

श्री० एन० ई० होरो :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोक के उत्पादन के लिए कार्बनीकरण (एल० टी० सी०) प्रक्रिया का विकास करने के बारे में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रगति की रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) देश में घरेलू उपयोग के लिए, शहरी गैस व सौफ्ट कोक मुहैय्या करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर अनेक निम्नतापीय कार्बनीकरण संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है । शुरुआत के रूप में सिंगरैनी कोयले पर आधारित ऐसे ही एक संयंत्र की आंध्र प्रदेश में स्थापना के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है ।

शरीरशास्त्र विषयक विज्ञानों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ द्वारा इजरायल और ताइवान को आमंत्रण

3202. श्री डी०बी० चन्द्र गौड़ा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शरीर शास्त्र विषयक विज्ञानों के अंतर्राष्ट्रीय संघ को लगभग 2 वर्ष पूर्व इजरायल और ताईवान को भारत आमंत्रित करने की अनुमति दी थी और उसे इस वर्ष रद्द कर दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 26 वीं अंतर्राष्ट्रीय शरीरक्रिया विज्ञान कांग्रेस, जो अक्तूबर 1974 में भारत में होने वाली है, एक गैर सरकारी सम्मेलन है और इसकी स्वरूप रचना पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और इसमें भाग लेने वालों को निमंत्रण भेजने पर।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लौह अयस्क पर उपकर

3203. श्री गजाधर माझी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने लोह अयस्क उद्योग के विकास हेतु वित्तीय व्यवस्था करने के लिए प्रति टन लौह अयस्क पर एक रुपये का उपकर लगाने का सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके सुझावों और इसके क्रियान्वयन की मुख्य बातें क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) 2 जूलाई, 1974 को लौह अयस्क बोर्ड की वार्षिक सामान्य बैठक में बोलते हुए इस्पात और खान मंत्री ने यह सुझाव रखा था कि लौह अयस्क उद्योग के विकास हेतु धन का प्रबन्ध करने के लिए देश में उत्पादित लौह अयस्क पर इस प्रयोजन के लिए उपकर लगाया जाय। लौह अयस्क बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया जा रहा है। सरकार को अभी तक कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

दक्षिण अफ्रीका में मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में संयुक्त राष्ट्र एसेम्बली द्वारा जांच

3204. श्री गजाधर माझी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र असेंबली द्वारा दक्षिण अफ्रीका में मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के बारे में जांच पड़ताल करने के लिये कोई जांच कराई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) दक्षिण अफ्रीका में मानव अधिकारों के उल्लंघन के प्रश्न पर मख्य रूप से मानवाधिकार आयोग द्वारा विचार किया जाता है। आयोग के प्रस्ताव 2 (तेईस) द्वारा गठित एक तदर्थ कार्यकारी विशेषज्ञ दल अन्य बातों के साथ साथ मानव अधिकार से संबधित प्रश्नों की सामान्य रूप से एवं दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक कैदियों के साथ व्यवहार की विशेष रूप से जांच पड़ताल कर रहा है।

इन रिपोर्टों पर आयोग में विचार किया जाता है। इस विषय पर विभिन्न पहलुओं से महा सभा की तीसरी समिति में भी विचार किया जाना है।

संयुक्त राष्ट्र ने ऐसे कई प्रस्ताव स्वीकार किये है जिनमें पृथग्वासन की नीति के विरोधियों के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा अमानवीय तरीकों को और तेज किये जाने पर गंभीर चिन्ता प्रगट की गई है । इन प्रस्तावों में उन राज्यों की गतिविधियों की भी निन्दा की गई है जो दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी सरकार को राजनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक सहयोग देकर उन्हें जातीय पृथग्वासन नीति पर निरंतर चलते रहना तथा जातीय भेदभाव के अन्य रूपों का बनाये रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ।

गुडूर (आंध्र प्रदेश) में अभ्रक खानों के श्रमिकों में क्षय रोग के मामले

3205. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुडूर (आंध्र प्रदेश) में अभ्रक खानों में श्रमिकों में क्षय रोग के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने श्रमिक क्षय रोग से पीड़ित हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिस से कि यह संकेत मिले कि अभ्रक खानों में तपेदिक की घटनाएं दिन प्रति दिन बढ़ रहीं है, इसके विपरीत यह बताया गया है कि खानों में वेट ड्रिलिंग के कार्यान्वयन के कारण ये घटनायें कम हो रहीं हैं ।

(ख) अभ्रक खान श्रमिक कल्याण संगठन तपेदिक से पीड़ित श्रमिकों आदि उनके आश्रितों के इलाज के लिए अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश कर रहा है । 20 पलंगों वाला एक तपेदिक वार्ड केन्द्रीय अस्पताल, कालीचेडु के साथ संलग्न है । तपेदिक अस्पताल नेल्लोर में भी अभ्रक खान श्रमिकों के लिए छ पलंग आरक्षित किए गए हैं। केन्द्रीय अस्पताल में श्रमिकों का एक्सरे भी किया जाता है । इस रोग से ग्रस्त श्रमिकों को निर्वाह भत्ता दिया जाता है ।

सुरक्षा अधिकारियों की व्यवस्था के लिए फैक्ट्री अधिनियम का संशोधन

3206. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत 1000 या इससे अधिक कामगारों वाले फैक्टरियों में अथवा खतरनाक कामों में लगे कामगारों वाले फैक्टरियों में सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए फक्टरी अधिनियम में व्यवस्था की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी जिम्मेदारियां तथा सुरक्षा संबंधी बातों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) जी हां । सामान्यत: उन कारखानों से, जिनमें एक हजार या अधिक श्रमिक नियोजित हैं या जहां पर जारी रखी गई कोई निर्माण प्रक्रिया या कार्रवाई, इसमें नियोजित किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट, विषाक्तता या बीमारी के गंभीर जोखिम के लिए अनावृत्त रखती है, सुरक्षा अधिकारियों को नियोजित करने की अपेक्षा रखने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति देने के विचार से कारखाना अधिनियम, 1948 को संशोधित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

छोटे इस्पात संयंत्र का कार्यकरण

3207. **श्री एन० ई० होरो :**

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की संख्या तथा उनके नाम क्या है जिन्हें 1973–74 के दौरान छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिये लाइसेंस दिये गये; और

(ख) क्या सरकार उनके कार्यकरण से संतुष्ट है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) उन राज्य औद्योगिक विकास निगमों के नाम नीचे दिये गये हैं जिनको इस्पात के बिलेट/पिण्ड तैयार करने के लिए वर्ष 1973–74 में आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं।

क्र० संख्या	उपक्रम का नाम	आशय–पत्र/ लाइसेंस की तारीख	बिलेटों की वार्षिक क्षमता (टन)	स्थान	प्रायोजना के काम की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
*1.	दि स्टेट इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र लि० बम्बई।	20-12-73 औद्योगिक लाइसेंस	75,000	चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	संयंत्र और उपस्करों के मुख्य मुख्य मदों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। सिविल कार्य चल रहा है।
**2.	हरियाणा पोलिस्टीलस लि० चंडीगढ।	8-5-74 औद्योगिक लाइसेंस	50,000	हिसार (हरियाणा)	कारखाने मे मार्च 1975 से पहले उत्पादन आरम्भ हो जाने की संभावना है।
**3.	दि आन्ध्रप्रदेश इन्डिस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लि० हैदराबाद।	30-7-74 औद्योगिक लाइसेंस	50,000	पोलन्चा कोठागूडम आंन्ध्र प्रदेश	भट्टियों के लिए आर्डर मार्च, 74 में दे दिए गए थे।
**4.	दि आसाम इन्डस्ट्रियल डिवलपमेंन्ट कारपोरेशन लि० गुहाटी।	27-8-73 आशय-पत्र	50,000	स्थल अभी बताया नहीं गया है।	अभी हाल ही में आशय-पत्र दिया गया है। पता चला है कि उनके सलाहकारों ने स्केप के लिए बाजार का सर्वेक्षण कर लिया है।

*लोह अयस्क पर आधारित।

**स्क्रैप पर आधारित।

1	2	3	4	5	6
**5.	दि गुजरात इन्डस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन, अहमदाबाद ।	27-8-73 आशयपत्र	50,000	भावनगर (गुजरात)	नई कम्पनी का गठन किया गया है। स्थान चुन लिया गया है। सलाहकारों ने शक्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । संयंत्र और मशीनरी के लिए आर्डर देने हेतु आगे कार्रवाई की जा रही है ।

चूंकि अभी ये इकाइयां कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं अतः उनके कार्यकरण का मूल्यांकन करना अभी समय पूर्व होगा ।

कोयले से तेल का उत्पादन करने के लिए विदेशी फर्मों की सहायता मांगना

3208. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले से संश्लीष्ट तेल का उत्पादन करने की परियोजना के संबंध में किन्हीं विदेशी फर्मों की सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या है; और

(ग) क्या जिन फर्मों ने संश्लिष्ट तेल का उत्पादन करने के बारे में 1955 में घोष समिति को रिपोर्ट तैयार करने में सहायता की थी उनसे भी परामर्श किया जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला के हाइड्रोजनीकरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की योजना

3209. **श्री समर गुह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कोयले के हाइड्रोजनीकरण के लिए एक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस प्रकार कोयले के उत्प्रेरकीय भंजन द्वारा तेल का अनुमानतः कितना उत्पादन होगा; और

(घ) ऐसी परियोजना कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

**स्कैप पर आधारित ।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने पं० बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में कोयले पर आधारित एक कृत्रिम पैट्रोलियम संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया है । उन्होंने यह प्रस्ताव 25 लाख टन कृत्रिम पैट्रोलियम की वार्षिक उत्पादन क्षमता के संयंत्र के लिए किया है जिसके लिए सालाना 150 लाख टन कोयले की जरूरत होगी और आशा है कि प्रारंभ में एक छोटे आकार के संयंत्र की स्थापना पर विचार कर लिया जाएगा ।

(घ) कोयले से कृत्रिम पैट्रोलियम के उत्पादन के प्रौद्योगिकी आर्थिक पहलूओं के बारे में अध्ययन किया जा रहा है ।

भारत में कोयले से अशोधित तेल को निकालने के लिए विदेशों का रुचि लेना

3210. **श्री वसंत साठे :**

श्री प्रबोध चंद्र :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सहित अनेक देशों ने कोयले से अशोधित तेल को निकालने के लिए सरकार को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और वे क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनमें रुचि दिखाई गई है; और

(ग) उन देशों द्वारा किये गए प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिजली की कमी को दूर करने के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता प्राप्त करना

3211. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने देश में बिजली की बहुत अधिक मांग को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा का लाभ उठाने हेतु अपेक्षित प्रौद्योगिकी संबंधी आधुनिकतम विधि और निर्माण संबंधी विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो देश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कब किया जायेगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) जी, हां । भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने मद्रास परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए स्टीम जनरेटर के अनुरूप स्टीम टर्बाइन और 235 मेगावेट की क्षमता के टर्बोजनरेटर का निर्माण कर लिया है और इस परियोजना के पहले एकक को चालू वर्ष के दौरान सम्भरण पुरा किया जायेगा ।

(ख) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड परमाणु ऊर्जा आयोग से मिलकर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए भविष्य में उपकरणों की आवश्यकताएं पूरी करने के प्रबन्धों की जांच कर रहा है ।

इस्पात व्यापार

3212. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मुद्रास्फिति रोकने सम्बन्धी घोषित एवं प्रस्तावित उपायों के परिणाम स्वरूप इस्पात व्यापार में मन्दी आ गई है और इसका देश में इस्पात के उत्पादन और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का देश में थोक व्यापारियों, वितरकों, इस्पात व्यापार और इस्पात उद्योग को बचाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एच० ए० एल० की निर्यात से आय

3213. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच० ए० एल० की 1973–74 में विदेशों को दी गई मरम्मत और 'ओवर हाल सेवाओं' सहित निर्यात आय का मूल्य क्या है, और

(ख) यह आय इससे पूर्व की दो वर्षों की आय से कितनी न्यूनाधिक है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) वर्ष 1972–73 और 1971–72 में क्रमश: 19.89 लाख रुपए और 11.27 लाख रुपए की निर्यात आय के प्रति हिन्दस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने वर्ष 1973–74 के दौरान 16.74 लाख रुपए की आय प्राप्त की ।

Non-Ferrous Steel Plants

3214. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of non-ferrous steel plants in the country and whether demand for various types of non-ferrous steel is fast increasing ; and

(b) whether Government propose to set up a non-ferrous steel plant at Bhilai ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) and (b) Since iron forms a constituent element in all types of steel, it is not clear as to what is referred to by the Hon'ble Member in the description "Non-Ferrous Steel".

इस्पात के मूल्य में और वृद्धि

3215. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974–75 के बजट में 75 से 80 करोड रुपये तक के घाटे को पूरा करने के लिए इस्पात का मूल्य पुन: बढाया जायेगा जैसा कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया ने मांग की है; और

(ख) क्या इस्पात की और अधिक मूल्य वृद्धि से देश की अर्थव्यवस्था और इस्पात व्यापार पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा ।

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) द्वारा इस्पात के मूल्य में वृद्धि के लिए कोई मांग नहीं की गई है । जब कभी आवश्यक होता है इस्पात के मूल्यों में संशोधन किए जाते है और ऐसा निर्णय लेते समय सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखा जाता है ।

Opening of Mental Clinics in the 4th Five Year Plan

3216. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether a provision for opening 54 mental clinics and hospitals under a central scheme was made in the Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the number of mental clinics and hospitals opened ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) Yes.

(b) and (c) 23 Psychiatric clinics have been actually established in the various medical colleges and district hospitals during that period. Shortage of trained personnel, lack of accommodation and various other difficulties are being experienced by the State Government .

Industrial Licences to War Widows and Disabled Soldiers

3217. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of industrial licences granted to war widows and to those disabled during the last war ;

(b) the reasons for not providing these facilities to the retired soldiers ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) to (c) The most significant rehabilitation assistance made available to war widows in the liberalised pensionary awards. Under these awards a widow of a jawan is entitled to, for life a monthly payment equal to the emoluments drawn by her deceased husband immediately before death. In the case of an officer, the widow has been enabled to receive a pension equal to 3/4 of the pay drawn by the husband at the time of death till his deemed date of retirement or seven years whichever is later and thereafter the normal retiring pension of the rank held at the time of death.

These concessions have been considered adequate. Other facilities offered are supplementary to these main benefits and efforts are made in deserving cases to help war widows. No war widow has applied to the Ministry of Defence for industrial licence.

Research in Barrenness

3218. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether no step has been taken by the Government of India for undertaking research in regard to barrenness ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondaji Basappa): (a) Research in sterility is given due importance, and various aspects necessary for establishing a normal pregnancy are being investigated.

(b) Question does not arise.

Inadequate Financial Assistance to Cancer Research Centres

3219. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether there are less number of research centres of cancer in India because they do not get adequate financial assistance; and

(b) if so, the number of such centres in the country and amount of the Financial assistance given to them in 1973-74?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) Yes, Sir.

(b) At present, Cancer Research is being carried out at six Centres in the country. The Central Government is giving financial assistance to two of them. The total amount of grant given to them during 1973-74 amounts to Rs. 19,41,687.

बम्बई हाई से समुद्री पाईप लाइन के लिए उपकरण बनाया जाना

3220. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बम्बई हाई तट दूर क्षेत्र से तेल उत्पलावन के लिए समद्री पाइप लाइन हेतु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के परामर्श से उपकरण बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाइप लाइन स्वदेशी रूप में अथवा विदेशी सहयोग से बनाई जायेगी;

(ग) इस पर कितना खर्चा होने की संम्भावना है;

(घ) क्या पूर्वी क्षेत्र में भी ऐसी पाइप लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ड़) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कच्चे तेल के तट दूर छिद्रण और उत्पादन कार्यक्रम के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ ड्रिलिंग लेटफार्म, समुद्री पाइप लाइनों और स्टोर करने की सुविधाओं आदि जैसी वस्तुओं की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाये, इस पर विचार करने के लिए 2 जुलाई, 1974 को अंत: मंत्रालय विचार विमर्श हुए थे। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने भी इनमें भाग लिया था।

(ख) जहां तक पाइपों का संबंध है, पाइप लाइनों का निर्माण देश में ही उपलब्ध होने की संभावना है । यह संभव है कि पाइप लाइन बिछाने के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) ठीक-ठीक ब्यौरा और कार्य की मात्रा अभी तैयार नहीं की गई है इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि इस पर कितना खर्च होगा।

(घ) अभी इस प्रकार का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयला वितरण प्रणाली से बिचौलियों का समाप्त किया जाना

3221. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की खानों से प्राप्त कोयले की वितरण प्रणाली बिचौलियों को समाप्त कर के अपने हाथ में लिए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के कोयला उत्पादक संगठनों द्वारा पहले से ही अधिकांश उत्पादित कोयला, बिना किसी मध्यस्थ के, सीधे उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जा रहा है ।

आदिवासी क्षेत्रों में नेत्र रोग

3222. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विशेष रूप से मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों में बहुत से व्यक्ति नेत्र रोगों से पीड़ित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या के राष्ट्रीय स्तर पर हल करने क लिए कोई केन्द्रय सहायियत योजना तैयार की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में नेत्र रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के बारे में सर्वेक्षण करने और नेत्र रोगों को दूर करने के विचार से उनके कारण जानने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) मध्य प्रदेश में खासकर मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के लोगों में आंखों की सभी किस्म की बीमारियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । किन्तु 1958 में भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधान परिषद ने रोहे के संबंध में एक सर्वेक्षण किया था और इस सारे राज्य में रोहे का प्रकोप 40 प्रतिशत बतलाया था ।

(ख) मार्च, 1963 से इस राज्य में रोहे नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक एक केन्द्र घोषित योजना चलाई जा रही है और इसके अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले ही 50 लाख लोगों को लाया जा चुका है तथा 90 लाख लोगों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधाएं देने की योजना है ।

(ग) फिलहाल नहीं । रोहे नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम की कार्य प्रणाली की पुनरीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकन दल गठित किया जा रहा है और इस दल की रिपोर्ट मिल जाने पर सर्वेक्षण क सवाल पर निर्णय लिया जायेगा ।

Demands of Indian Medical Association

3223. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have received a charter of demands from the Indian Medical Association; and

(b) if so, the outlines thereof and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) Yes.

(b) The Charter of Demands contains several suggestions regarding rural health, medical education, pay, status and service conditions of doctors and private medical practitioners. These are under consideration of the Government.

सोवियत संघ द्वारा भारत को राजनीतिक साहित्य की सप्लाई

3224. **श्री समर गुह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस तथा अन्य कम्युनिस्ट देशों द्वारा प्रति वर्ष भारत की लाखों की संख्या में राजनीतिक साहित्य भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

(ग) क्या इस साहित्य का कुछ भाग उपहार के रूप में और कुछ भाग बिक्री के लिए भेजा जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ङ) आयातकर्ताओं अथवा अन्य प्राप्तकर्ताओं के नाम क्या है ?

(च) क्या ऐसा राजनीतिक साहित्य वाणिज्यिक आयात के रूप में न होकर आमतौर पर राजनीतिक प्रयोजनों के लिये होता है;

(छ) क्या इस प्रकार के साहित्य का आयात करने के लिये सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा 500 मैगावाट के सेटों का निर्माण

3225. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के भोपाल एकक के अनुसन्धान एवं विकास संगठन ने 500 मैगावाट के सैटों का निर्माण करने के लिए समय नियत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां। 500 मैगावाट के तापीय जनित्र सेटों (थर्मल जनरेटिंग सेटों) के प्रथम आद्य रूप के 1980 में तैयार हो जाने की आशा है।

भिलाई रिफ्रेक्टोरीज

3226. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई रिफ्रेक्टोरीज के निर्माण में क्या प्रगति हुई है तथा उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ख) यह कारखाना सम्भवत: कब तक व्यापारिक उत्पादन आरम्भ कर देगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने भिलाई में एक ऊष्मसह कारखाना स्थापित करने के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन अनुमोदित कर दिया है और इसे सरकार को अनुमोदनार्थ भेज दिया है।

अब तक मेटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स आफ इंडिया लि० ने शक्यता प्रतिवेदन, प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने और आर्डर देने के लिए विशिष्टियां तैयार करने के काम के लिए भिलाई कारखाने को 8 लाख रुपए का बिल भेजा है।

(ख) समय अनुसूची को अभी अन्तिम रुप दिया जाना है। आशा है यह फैक्टरी प्रायोजना के अनुमोदन की तारीख से 39 महीनों के बाद उत्पादन करना आरम्भ कर देगी।

एशियन रिफ्रेक्टोरीज का उपादन

3227. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिए जाने के पश्चात् 'एशियन रिफ्रेक्टोरीज' का कुल वार्षिक उत्पादन क्या है ;

(ख) 30 जून, 1974 को समाप्त होने वाली तिमाही में कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) इस्पात मिलों को अपने उत्पाद सप्लाई करने वाले देश के 'रिफ्रेक्टोरीज' एककों की कुल निर्धारित क्षमता क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) भूतपूर्व एशियन रिफ्रेक्ट्रीज लि० के उष्मसह कारखाने का प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के बाद की अवधि का कुल वार्षिक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	अवधि	फायर ब्रिक्स	मार्टर
			(टन)
1972–73	मई 72 से मार्च 73 . . .	6,226	897
1973–74	अप्रैल 73 से मार्च 74 . . .	13,465	3,084
1974–75	अप्रैल 74 से जुलाई 74 . . .	4,147	1,537

(ख) अप्रैल से जून, 1974 की तिमाही के दौरान, 3,137 टन फायर ब्रिक्स और 1,067 टन मार्टर का उत्पादन हुआ था।

(ग) महानिदेशक तकनीकी विकास की किताबों में दर्ज 50 उष्मसह इकाइयां की कुल लाइसेंसीकृत क्षमता 14 लाख टन प्रतिवर्ष है। इनमें से 13 ईकाइयों इस्पात कारखानों की लगभग 80% आवश्यकताओं को पूर्ति करती है और इनकी क्षमता 815,000 टन है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बिजली उत्पादन एककों तथा तटदूर तेल छिद्रण उपकरणों की मांग का पूरा किया जाना

3228. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के भोपाल, हैदराबाद, हरिद्वार और तिरुचिरापल्ली स्थित चार प्रमुख प्रतिष्ठानों ने बिजली उत्पादन एककों और तटदूर छिद्रण उपकरणों की मांग निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्णतः पूरी कर दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास अभी तक कितने क्रयादेश के निपटान लिए पड़े हुए हैं ; और

(ग) इन क्रयादेशों की कब तक पूरा किय जाने की सम्भावना है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि में भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स ने यदि पूर्ण रुप से विचार किया जाय तो स्थल की आवश्यकताओं के अनुसार विद्युत्संयंत्र उपकरण की सप्लाई की है। यद्यपि 13 सटों के भेजने में कुछ विलम्ब हुआ, जिनमें से 10 सेट भेज दिये गये हैं और शेष 3 सेटों की डिलीवरी भी चालू वर्ष में पूरी हो जायेगी। सरकार ने हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से तेल का पता लगाने के लिए आधारभूत ड्रिलिंग रिगो का निर्माण करने के लिए कहा है; उन्होंने अभी कार्य आरंभ नही किया है।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर को लाभ

3229. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर को 1965 में इसके चालू होने के पश्चात् 1972-73 में पहली बार 12.42 लाख रुपये का कुल लाभ हुआ है ; और

(ख) क्या 1972-73 में हुए लाभ के स्तर को बनाये रखा जा रहा है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1973–74 के लिये कम्पनी के वित्तीय परिणामों का अभी पता नहीं लगा है, क्योंकि इस वर्ष का कम्पनी का लेखा परिक्षण का कार्य पूरा नहीं हुआ है। वर्तमान संकेतो से पता चलता है की वर्ष 1973–74 में यह प्रवृत्ति बनी रहेगी।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विद्युत जनन उपकरण के निर्माण का नया कीर्तिमान स्थापित करना

3230. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 228 करोड़ रुपये मूल्य का विद्युत् जनन उपकरणों का निर्माण करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। वर्ष 1973–74 में 231 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरणों का निर्माण किया गया है, जो कि अभी तक एक वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटड द्वारा किया गया अधिकतम उत्पादन है।

(ख) वर्ष 1973–74 में लगभग 116 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

रूसी भूवैज्ञानिकों द्वारा भारत का दौरा

3231. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी-भूवैज्ञानिकों का एक दल दक्षिण क्षेत्र में खनिज की संभावनाओं का पता लगाने के लिए शीघ्र ही भारत का दौरा करेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या बताया गया है कि इस दल ने खनिज के निक्षेपों का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का तथा पुराने विन्ध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र का अध्ययन हमारे अपने भूवैज्ञानिकों और खनिज वैज्ञानिकों से कराने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पहले से ही भूवैज्ञानिक मानचित्रण तथा क्षेत्रीय खनिज अन्वेषण कर रहा है। संम्बद्ध राज्य सरकारों ने भी कुछ चुने हुए स्थानों पर यह काम शुरू किया है ।

कार निर्माताओं द्वारा डीजल से चलने वाले इंजनों का प्रयोग

3232. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार कार-निर्माताओं को यह कहने का है कि देश में पेट्रोल की खपत में बचत के लिये पेट्रोल से चलने वाले इंजनों के स्थान पर डीजल से चलने वाले इंजनों की कारें बनायें ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के कर्मचारी

3233. **श्री रोबिन सेन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता गोदी श्रमिक बार्ड के कर्मचारी/स्टाफ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत आते हैं; और

(ख) उक्त कर्मचारियों/स्टाफ का नियोजक प्राधिकरण कौन सा है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) 1963 की दीवानी अपील संख्या 2113 (विशाखापत्तनम गोदी श्रम बार्ड बनाम नौभरक एसोसिएशन विशाखापत्तनम और अन्य) में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि गोदी श्रमिक (रोज़गार का विनियमन) अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई योजना के अन्तर्गत काम करने वाले गोदी श्रम बोर्ड ऐसा कोई उद्योग नहीं चलाए जिस से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के उपबन्ध समाकर्षित हों ।

(ख) यदि 'कर्मचारी-वर्ग/कर्मचारी' शब्दों से गोदी श्रमिकों की बजाय वे श्रमिक अभिप्रेत हैं जो बोर्ड द्वारा उसके कार्य को चलाने के लिये नियोजित किये गये हैं तो कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड नियोजक होगा ।

कलकत्ता में गोदी श्रमिकों के कार्मिक संघ के अधिकारों की रक्षा

3234. श्री समर मुखर्जी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास और कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के श्रमिको की पंजीकृत यूनियनें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार अपने कार्मिक संघ के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने विवादों को अधिकारियों के पास उठा सकती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) यदि ट्रेड यूनियनों के अधिकारों का संरक्षण मान्यता और सम्बद्ध मामलों का निर्देश करता है, तो वे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (के) में यथा परिभाषित 'औद्योगिक विवाद' की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते । परन्तु यदि यह किसी औद्योगिक विवाद में 'वकालत करने के अधिकार' का निर्देश करता है, तो यह अधिनियम के अन्तर्गत उठाया जा सकता है ।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर द्वारा एरियल रज्जु मार्गों का उत्पादन

3235. श्री बनमाली बाबू : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर 'एरियल' रज्जु मार्गों का भी उत्पादन कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में काम करने वाले ड्रेसरों को सिलेक्शन ग्रेड दिया जाना

3236. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में काम करने वाले ड्रेसरों की संख्या कितनी है और कितने ड्रेसरों को सिलेक्शन ग्रेड दिया गया है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में ड्रेसरों को किस आधार पर सिलेक्शन ग्रेड दिया गया है ;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में कितने ड्रेसरों को सिलेक्शन ग्रेड दिए जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या सब प्रकार से पात्र कुछ व्यक्तियों को सिलेक्शन ग्रेड देने में विलम्ब किया जा रहा है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसका क्या औचित्य है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क)

ड्रेसरों की संख्या	142
सिलेक्शन ग्रेड ड्रेसरों की संख्या	18

(ख) उन स्थायी ड्रेसरों की वरिष्ठता के आधार पर सिलेक्शन ग्रेड में नियुक्त किया जाता है जिन की दस वर्ष की लगातार सेवा हो परन्तु यदि किसी को अनुपयुक्त पाया गया तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है ।

डीजल जेनेरेटर सेटों के आयात पर से प्रतिबंध का हटाया जाना

3237. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल जेनेरेटर सेटों के आयात पर से प्रतिबंध हटाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और कब तक इस प्रतिबंध को हटाये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या इन आयातित सेटों के लिये डीजल की सप्लाई की समस्या पैदा हो जाने की सम्भावना है ;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ;

(ङ) कितने मूल्य के सेटों का आयात किया जायेगा और इस संबंध में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ; और

(च) इन जेनेरेटरों के आयात के पश्चात देश में बिजली के उत्पादन में कितनी वृद्धि हो जाने का अनुमान है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (च) डीजल जनित्रण सेटों के आयात पर लगा प्रतिबन्ध 1 अप्रैल, 1973 से 31 अक्तूबर, 1973 की अवधि के दौरान हटा दिया गया था। ऐसी ही अवधि के लिए प्रतिबन्ध में फिर से ढ़ील देने का प्रश्न विचाराधीन है। जिस अवधि में 31 अक्तूबर, 1973 तक प्रतिबन्ध हटा दिया गया था उस में 300 के वी ए और 1500 के वी ए के बीच की श्रेणियों में जनित्रण सेटों के आयात हेतु 535 आयात लाइसेंस जारी किए गए थे। जारी किए गए लाइसेंसों का कुल मूल्य लगभग 32 करोड़ रुपये था। यदि सभी सेटों का आयात किया जाता है और वे लगाए जाते हैं तो देश में विद्युत जनित्रण की क्षमता लगभग 0.48 मिलियन के वी ए तक बढ़ जायेगी।

31 अक्तूबर, 1973 के बाद आयात पर पुनः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। प्रतिबन्ध में और आगे ढ़ील देने के प्रश्न की विद्युत शक्ति की सतत कमी को ध्यान में रख कर जांच की जा रही है और ऐसा करने में सभी संबद्ध बातों जिनमें जनित्रण सेटों को चलाने के लिए डीजल तेल की उपलब्धता भी सम्मिलित है, को ध्यान में रखा जायेगा।

इस्पात उत्पादन कार्य में सुधार करने के लिए समन्वित प्रयास

3238. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इस्पात उत्पादन में सुधार करने की दृष्टि से इस्पात मिलों, कोयला खानों तथा रेलों के कार्य में घनिष्ट समन्वय लाने के लिए प्रयास किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) प्रत्येक इस्पात संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ; और

(घ) गत तीन वर्षों से कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां। बिजली की सप्लाई के बारे में सिंचाई और बिजली मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों और संबन्धित राज्य सरकारों से सतत संपर्क भी रखा जा रहा है।

(ख) अप्रैल-जुलाई 1974 के महीनों में पांच मुख्य इस्पात कारखानों का विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन इस अवधि के लिए निश्चित किए गये लक्ष्य से कुछ अधिक रहा है।

(ग) इस्पात पिण्ड और विक्रेय इस्पात के रूप में इन पांच मुख्य इस्पात कारखानों में से प्रत्येक कारखाने की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता नीचे दी गई है :—

(हजार टन)

कारखाना	अधिष्ठापित क्षमता	
	इस्पात पिण्ड	विक्रेय इस्पात
भिलाई इस्पात कारखाना . . .	2500	1965
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	1600	1239
राउरकेला इस्पात कारखाना . . .	1800	1225
टिस्को	2000	1500
ईस्को	1000	800

(घ) वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 के दौरान क्षमता का प्रतिशत उपयोग नीचे दिया गया है :—

कारखाना	क्षमता का प्रतिशत उपयोग					
	1971–72		1972–73		1973–74	
	इस्पात पिण्ड	विक्रेय इस्पात	इस्पात पिण्ड	विक्रेय इस्पात	इस्पात पिण्ड	विक्रेय इस्पात
भिलाई . . .	78	80	84	90	76	86
दुर्गापुर . . .	44	35	45	38	49	30
राउरकेला . . .	46	49	65	62	60	60
टिस्को . . .	85	92	85	97	76	80
इस्को . . .	62	62	43	43	44	45

सिक्किम को आर्थिक सहायता

3239. श्री समर गुह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम के विकास-कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या सिक्किम की शिक्षा, कृषि, सड़क और परिवहन, आवास, विद्युतीकरण, ग्राम-उद्योग, खनिज पदार्थों का निकालने सम्बन्धी योजनाओं और अन्य विकास कार्यों को प्रारम्भ किया गया है, और यदि हां, तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या भारतीय सेना में सिक्किमी लोगों की भर्ती करने का भी प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) भारत सरकार ने अपने 9.65 करोड़ रु० के सहायता-अनुदानों द्वारा सिक्किम सरकार की प्रथम सप्तवर्षीय विकास योजना (1954–61) तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1961–66) के पूरे वित्त का प्रबन्ध किया था। 9.50 करोड़ रु० की तृतीय पंचवर्षीय योजना (1966–71) के वित्त का भी पूरा प्रबन्ध भारत सरकार ने किया था जिसमें 8.90 करोड़ रु० अनुदान के रूप में थे तथा 60 लाख रु० ऋण के रूप में। सिक्किम सरकार की चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना (1971–76) जिसपर इस समय अमल हो रहा है, 20 करोड़ रु० की लागत की होगी। इसमें भारत सरकार 18.5 करोड़ रु० के वित्त का प्रबन्ध करेगी।

(ख) उपर्युक्त सहायता से किए जाने वाले विकास कार्यों के अन्तर्गत संचार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, समाज सेवा, प्रशिक्षण आदि के क्षेत्रों की भांति-भांति की परियोजनाएं तथा कार्यक्रम आते हैं। तृतीय योजना (1971) के अन्त तक वस्तुतः प्राप्त लक्ष्यों का तथा चतुर्थ योजना (1976) के अन्त तक प्राप्तव्य लक्ष्यों का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जा रहा है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8254/74]**

(ग) सिक्किम निवासी पहले ही से भारतीय सेना में भर्ती के योग्य पात्र माने जाते हैं।

भारत और अफगानिस्तान के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तानी आरोप

3241. श्री बनमाली बाबू :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल में राष्ट्रसंघ के महासचिव से सम्पर्क किया और भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा लगाये गये निराधार आरोपों के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के आरोप लगाये गये और इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार कार्यालयों में वैज्ञानिकों का पंजीकरण

3242. श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री बक्शी नायक :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश में, राज्यवार, रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है ;

(ख) गत दो वर्षों में वर्षवार और राज्यवार कितने वैज्ञानिकों को रोजगार उपलब्ध किया गया ; **और**

(ग) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शेष वैज्ञानिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8255/74]**

(ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, कृषि; कृषि-सेवा केन्द्रों; बड़ी, मध्यम एवं छोटी सिंचाई; कमांड क्षेत्र विकास; बिजली उत्पादन; बड़े, मध्यम तथा लघु उद्योगों; शिक्षा और जन स्वास्थ्य आदि जैसे क्षेत्रों में मुख्य रूप से विभिन्न खंड कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ वैज्ञानिकों के लिए बड़ी संख्या में रोज़गार अवसर सृजित होंगे। इनके अतिरिक्त स्व-नियोजन पर बल देते हुए 1974-75 में रोज़गार वर्धन कार्यक्रम चालू किया गया ; इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, स्व-नियोजन उपक्रमों को स्थापित करने के इच्छुक वैज्ञानिकों को अपेक्षित वित्तीय सहायता दी जाएगी।

वैगनों का निर्माण

3243. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार इस वर्ष कुल कितने वैगन बनाने का है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : वर्तमान अनुमानों के अनुसार वर्ष 1974 में वैगनों (चार पहियों वाले) का उत्पादन निम्न प्रकार होने की आशा है :—

रेल कार्यालयों द्वारा	2000
अन्य निर्माताओं द्वारा	10,000/11,000

सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए जाली प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत किया जाना

3244. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की सशस्त्र सेनाओं में (थल, नौ, और वायु सेना) शिक्षा संबंधी अर्हताओं और जन्मतिथी के बारे में जाली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके भर्ती होना सरकार को धोखा देने का अपराध नहीं है ;

(ख) क्या सशस्त्र सेनाओं में इस प्रकार के उम्मीदवारों की भर्ती के बाद सरकार को धोख-धड़ी के ऐसे मामलों का पता चला है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे मामलों को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की है और इस प्रकाश के गम्भीर अपराध करने के लिए क्या दंड दिया जाता है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) शिक्षा संबंधी अर्हताओं और/अथवा जन्मतिथी के जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर सेना, नौसेना अथवा वायु सेना में भर्ती होना एक अपराध है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) ऐसे सभी मामलों में सेना/नौसेना/वायुसेना अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की उपयुक्त धाराओं के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। इस अपराध के लिए इन कानूनी व्यवस्थाओं के अधीन निर्धारित दण्ड 5 वर्ष तक का कठोर कारावास होता है। दण्ड दिए जाने के अतिरिक्त, अपराधी को सेवा से सेवा-मुक्त/हटाया बरखास्त कर दिया जाता है।

जिन मामलों में इन कानूनी व्यवस्थाओं के अधीन कार्रवाई करना सम्भव नहीं है उन मामलों को सिविल पुलिस को सौंप दिया जाता है।

भारी इंजीनियरी निगम, रांची की क्षमता का किसी अन्य देश में उपयोग किया जाना

3245. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरी निगम, रांची की क्षमता का किसी अन्य देश में उपयोग करने के लिये एक प्रस्ताव सरकार के संयुक्त विशेषज्ञों के एक दल के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सोवियत सहायता प्राप्त किसी तीसरे देश की परियोजनाओं की भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड, रांची द्वारा इस्पात संयंत्र उपकरणों के निर्यात की संभावनाओं का पता सोवियत प्राधिकारियों के परामर्श से लगाया जा रहा है। अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

कारों की कीमतों में वृद्धि

3246. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**
श्री सतपाल कपूर :
श्री रामरतन शर्मा :
श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कार निर्माताओं को पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी बार कार की कीमतों में वृद्धि करने की अनुमति दी गई और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कारों की कीमतों में वृद्धि होने से कारों की मांग में कमी हुई है और यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान मांग में कितनी कमी हुई है ;

(ग) क्या उत्पादन में कमी होने की वजह से कार निर्माताओं ने अपने कर्मचारियों की संख्या में कमी करना शुरू कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सरकार हर छः महीने कारों की कीमतें पुनर्निधारित कर रही है। वर्ष 1973 में संशोधित कीमतें क्रमशः 1-1-73 और 1-7-73 को अधिसूचित की गई थीं और अम्बेसडर कार की कीमत में पश्चिम बंगाल में इंजीनियरी श्रमिकों के लिए त्रिपक्षीय मजूरी समझौते के अन्तर्गत निर्माताओं द्वारा अपने श्रमिकों को दी जाने वाली बढ़ी हुई मजूरी के कारण 10-9-1973 से और आगे संशोधन किया गया था। इसी प्रकार वर्ष 1974 में संशोधित कीमतें क्रमशः 1-1-74 और 1-7-74 को अधिसूचित की गई थीं।

(ख) नवम्बर, 1973 से पेट्रोल की कीमत में भारी वृद्धि और कारों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण यह बताया गया है कि नई कारों की बिक्री में ग्राहकों ने कुछ प्रतिरोध किया है जिसके परिणामस्वरूप विशेष मेकों की बिक्री कम हो गई है।

(ग) सरकार की जानकारी में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स के उत्पादन में कमी होना

3247. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड के उत्पादन में भारी कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कितनी कमी हुई है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिये उत्पादन की रफ्तार बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं, गत दो वर्षों में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड के उत्पादन में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

चेचक के उन्मूलन के लिए अनिवार्य रूप से टीका लगाने के लिये कानून बनाया जाना

3248. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 जुलाई, 1974 के दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में चेचक का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने सम्बन्धी अपने अभियान में प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से टीका लगाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके उन्मूलन के लिये सरकार का कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, हां।

रत्नागिरी में एल्यूमिनियम संयंत्र लगाने के लिए धन का नियतन

3249. **श्री मधु दंडवते** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में रत्नागिरी में एल्यूमिनियम संयंत्र लगाने के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(ख) क्या यह धनराशि पर्याप्त है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) रत्नागिरी परियोजना की स्वीकृत अनुमानित लागत 78.825 करोड़ रुपए के विपरीत, पांचवीं योजना में इस परियोजना के लिए केवल 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अतः यह परियोजना विभिन्न प्रावस्था-क्रम से छठीं पंचवर्षीय योजना के शुरू के वर्षों में पूरी हो पाएगी।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सेवामुक्त कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये पदों का आरक्षण

3250. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सेवामुक्त कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये पदों के आरक्षण सम्बन्धी नियम वर्ष 1966 और 1967 में समान थे ;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1966 की तुलना में वर्ष 1967 में उन नियमों में क्या अन्तर था ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बाबत की ओर दिलाया गया है कि वर्ष 1967 में संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के आधार पर भर्ती किये गये कुछ सेवामुक्त कमीशन प्राप्त अधिकारियों को वर्ष 1966 के आधार पर इसी प्रकार के अधिकारियों को जी० डी० ओ० ग्रेड-2 में वरिष्ठ माना गया है ;

(घ) इस विषमता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) अनुसूचित जाति के कितने सेवामुक्त कमीशन प्राप्त अधिकारियों को इस कठिनाई का सामना करना पड़ा है जो वर्ष 1966 में संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के आधार पर भर्ती किये गये थे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, हां

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 1966 में जारी किये गये विज्ञापन के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग ने यदि किसी आपातकालीन कमीशन प्राप्त अथवा अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की हो तो उनकी नियुक्ति सामान्य खाली पदों पर की थी न कि आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए आरक्षित पदों पर जिन उम्मीदवारों को 1967 में आरक्षित पदों के लिए चुना गया था उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के आधार पर अभी तक वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया गया है। इस बारे में कोई सख्ती नहीं बरती गई है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

केडला झारखण्ड कोयला खान में बेरोजगार हुए श्रमिक

3251. श्री देवेन्द्र नाथ महाता :

श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग जिले में केडला झारखण्ड कोयला खान में लगभग 6000 श्रमिक गत कुछ महीनों से बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) लगभग 2,200 कामगारों, जिन्हें 30-6-74 तक शुष्क मौसम के लिए पूर्णत: नैमित्तिक/अस्थायी आधार पर भरती किया गया था, की सेवाओं को उनकी नियुक्ति संबंधी शर्तों के अनुसार 1-7-74 से समाप्त कर दिया गया है। उनको फिर से काम पर लगाने के सवाल पर नवम्बर के महीने में विचार किया जाएगा।

कोयला खान प्राधिकरण और स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती

3252. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण और स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड जैसे नये संगठनों में सेवा की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई विशेष आदेश जारी किए गए हैं, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त संगठन बनने के बाद से इसमें खान श्रमिकों के अतिरिक्त श्रेणी III और IV में कोई भर्ती की गई है ;

(ग) क्या उनके लिए कोई विशेष कोटा आरक्षित है और यदि हां, तो इन पदों को किस प्रकार भरा जायेगा और यह कोटा कब तक पूरी तरह भरा जाएगा ; और

(घ) कोयला खान प्राधिकरण और स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और कुल कितने रिक्त पद (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित) अभी रिक्त हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में बर्मा से आये भारतीय नागरिक

3253. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा से इस समय कितने भारतीय नागरिक उड़ीसा में आ रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने सभी विभागों तथा मंत्रालयों को व्यापार और वाणिज्य सहित सभी मामलों में बर्मा से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों को सहायता दिये जाने के लिये एक परिपत्र जारी किया था ; और

(ग) क्या सरकारी विभाग इस नीति का अनुसरण कर रहे हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) उड़ीसा राज्य के 325 व्यक्तियों के 128 बर्मा प्रत्यावासी परिवार चालू वर्ष में बर्मा से आये हैं और उन्हें उड़ीसा में भेज दिया गया है। भावी वर्षों में स्वदेश लौटने वालों में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में, जो उड़ीसा राज्य के होंगे जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) (1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रोजगार के बारे में, 1-6-63 को या उसके पश्चात् बर्मा से भारत लौटे प्रत्यावासियों तथा अक्तूबर 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत 1-11-1964 को या उसके पश्चात् श्रीलंका से भारत लौटे प्रत्यावासियों के लिए समय-समय पर निम्नलिखित रियायतें दी गई हैं और ये फिलहाल 28-2-1975 तक वैध हैं :—

(i) केन्द्रीय सरकार के अधीन रोजगार कार्यालय के जरिए रोजगार के मामले में अपने राज्य में सर्वोच्च अग्रता (अग्रता III) और अन्य राज्यों में अग्रता II दी जाती है। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों एवं बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों को, जहां कहीं एक ही अग्रता में शामिल किया गया हो, पंजीकरण की तारीख के अनुसार सामान्य सूची में स्थान दिया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा में (अर्थात् श्रेणी III और श्रेणी IV के पदों के लिए, जिनकी भर्ती सामान्यतः रोजगार कार्यालय के जरिए की जाती है) 45 वर्ष तक की छूट दी जाती है।

(iii) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों के लिए सामान्य ऊपरी आयु-सीमा में 3 वर्ष तक छूट दी जाती है बशर्ते कि उम्मीदवार को किसी सेवा या सेवाओं के ग्रुप में भर्ती के लिए सामान्य आयुसीमा के अधीन किसी अन्य साधारण उम्मीदवार को स्वीकृत अवसरों से अधिक अवसरों का लाभ उठाने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

(iv) संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाने वाली अन्य नियुक्तियों के बारे में सरकारीसेवा में प्रवेश तथा उस में स्थायी खपत के लिए अधिकतम आयुसीमा में 45 वर्ष तक छूट दी जाती है ।

(v) उपरोक्त उप-पैरा (ii), (iii) और (iv) में उल्लिखित आयु-सीमा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष तक और छूट दी जाती है ।

नोट :—रक्षा सेवाओं में नियुक्तियों के मामले में ऊपरी आय-सीमा की रियायत लागू नहीं होगी ।

(vi) संघ लोक सेवा आयोग को उन मामलों में जिनमें उसे यह संतुष्टि हो कि आवेदक **वास्तव** में प्रत्यावासी है और निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है, निर्धारित आवेदन या परीक्षा शुल्क लौटाने का अधिकार दे दिया गया है।

(2) अक्तूबर, 1965 में राज्य सरकारों को, राज्य सेवाओं/पदों के लिए बर्मा और श्रीलंका के प्रत्यावासियों की नियुक्ति के लिए ऐसी हिदायतें जारी करने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया था।

(3) दिसम्बर, 1965 में, सारी राज्य सरकारों से निम्नलिखित मामलों में प्रत्यावासियों को अग्रता देने के लिए अनुरोध किया गया था :—

(क) राज्य सरकारी और स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन दुकानों/स्टालों का आबंटन;

(ख) व्यवसाय या व्यापार के मामले में, जहां अपेक्षित हों, लाइसेंसों, परमिटों आदि का दिया जाना।

(4) अक्तूबर, 1965 में, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से संबंधित भारत सरकार के सारे मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में फालतु घोषित किए गए कर्मचारियों या परियोजनाओं के लिए अर्जित की गई भूमि से निकाले गए व्यक्तियों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में 25 से 33-1/3% रिक्त स्थानों को बर्मा और श्रीलंका से लौटे प्रत्यावासियों को उपलब्ध किया जाए, किन्तु ऐसे राज्यों में जहां भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासी भी रोजगार के लिए उम्मीदवार हों, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों और बर्मा तथा श्रीलंका से आए प्रत्यावासियों के लिए, कुल मिलाकर, आरक्षण रिक्त स्थानों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(5) प्रत्यावासियों को लघु व्यापार या व्यवसाय चालू करने में समर्थ बनाने के लिए व्यवसाय और आवासीय ऋणों की निम्न योजना चालू है :—

(i) लघु व्यापार तथा व्यवसाय के लिए अधिक से अधिक 5,000 रुपये प्रति परिवार ऋण मंजूर किए जाते हैं, वास्तविक धनराशि व्यापार या व्यवसाय के स्वरूप पर निर्भर करती है।

(ii) प्लाट खरीदने तथा घर बनाने के लिए निम्नलिखित ऋण दिए जाते हैं :—

	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
	रु० ऋण	रु० ऋण
(क) प्लाट की लागत	600	200
(ख) मकान के निर्माण पर लागत . . .	6000	1250
(ग) भूमि सुधार	1500	600 (अनुदान)
(घ) कारोबार के स्थान का निर्माण . . .	500	200

योजना राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित की जाती है। ऋण और अनुदान के रूप में धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उपलब्ध की जाती है।

(ग) (1) जहां तक केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रोजगार का संबंध है, उम्मीदवारों की योग्यता एवं उपयुक्तता को देखते हुए हिदायतों का पालन किया जा रहा है।

(2) भूतपूर्व सैनिकों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण तथा आरक्षण से संबंधित कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान बर्मा और श्रीलंका से आए प्रत्यावासियों के लिए रिक्त स्थानों का कोई अलग भाग रखने में असमर्थ रहा है।

(3) जहां तक राज्य सरकारों के कार्यालयों में रोजगार और व्यवसाय और व्यापार के लिये अपेक्षित परमिटों एवं लाईसेंसों का संबंध है, यह अनुमान है कि राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर उचित ध्यान दिया जा रहा है।

(4) लघु व्यापार और व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता की योजना सारे राज्यों में चालू है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को कोयले का संकट

3254. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**

श्री एस० एन० सिंह देव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि कोयला संकट का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा इस मामलों मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) समाचार-पत्र में प्रकाशित इस प्रकार के किसी समाचार की ओर अभी तक सरकार का ध्यान नहीं दिलाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रैक्टरों के उत्पादन के लिये भारतीय फर्म का रूस के साथ करार

3255. **श्री पी० के० देव :**

श्री बख्शी नायक :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टरों के उत्पादन के लिये एक भारतीय फर्म ने रूस के साथ एक करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त फर्म द्वारा रूस के साथ किये गये करार की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस कार्य के लिय सरकार ने इस फर्म को कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) करार 5 वर्षों की अवधि के लिए जानकारी शुल्क और आवर्ती रायल्टी की अदायगी के आधार पर भारत में टी-25 (25 अ० श०) के ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी प्राप्त करने से संबंधित है।

पुनः बातचीत आरम्भ करने के लिये पाकिस्तान द्वारा निर्धारित की गई परिस्थितियां

3256. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने एक अन्य पत्र भेजा है जिसमें दोनों देशों के बीच पुनः बातचीत आरम्भ किये जाने के लिये आवश्यक परिस्थितियों का उल्लेख किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुए पत्र का सार क्या है तथा इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार नियोजन के लिए विदेशों से सहायता

3257. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73, 1973–74 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्र संघ की एजेन्सियों सहित विदेशों से सरकार को कितनी सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ख) इससे परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में कितनी सहायता मिलेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा): (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8256/74]**

(ख) ऐसी अधिकांश सहायता योजना परिव्यय में शामिल नहीं होती। फिर भी यह सहायता कार्यक्रम को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए लाभदायक है।

सैनिक स्कूल, कपूरथला के छात्रों को दी गई रियायतें

3258. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूल कपूरथला के विद्यार्थियों को रियायतें देने की नीति में कोई परिवर्तन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पूर्व वर्षों में लागू नीति में क्या परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ग) क्या ऐसे विद्यार्थियों में कोई भेद किया गया है जिनके माता-पिता की मासिक आय 500 रुपया तक है और जिनके माता-पिता की आय 500 रुपया से अधिक है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कलकत्ता स्थित डी० जी० ओ० एफ० कार्यालय की इमारत के किराये में वृद्धी

3259. श्री शंकर नारायण सिंह देव :

श्री देवेन्द्र नाथ महाता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता स्थित 27 वर्ष पुराने डी० जी० ओ० एफ० कार्यालय भवन का किराया 50,000 रुपए से बढ़ा कर 80,000 रुपए प्रतिमास कर देने का निर्णय किया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने डी० जी० ओ० एफ० के कार्यालय के लिए 10-ए, ऑकलैंड में एक भवन बनाने का निर्णय किया था परन्तु धन की कमी के कारण निर्माण कार्य न करने का निर्णय किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) डी० जी० ओ० एफ० के कार्यालय के कुछ भाग को ध्यान देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 1-4-1968 को 53,910 रुपए प्रति मास के मासिक किराए पर 44 पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता में एक भवन किराए पर लिया था। 31 मार्च 1974 की अन्तिम पट्टेदारी समाप्त हो गई। देय किराए के नियमन और पट्टेदारी के नवीकरण पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) 10-ए ऑकलैंड रोड, कलकत्ता में प्रस्तावित भवन निर्माण की आधार शिला रखी जा चुकी है। प्रारम्भिक कार्य के लिए इस वर्ष के बजट में 5 लाख रुपये की धन राशि की व्यवस्था की गई है। भवन के निर्माण के लिए अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की ड्रिलिंग मशीनों का निपटान

3260. **श्री एस० एन० सिंह देव :**

श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के पास वर्ष 1970 के आरम्भ तक लगभग 115 ड्रिलिंग मशीनें थी और उसके बाद बड़ी संख्या में मशीनों का रद्दी के मूल्य पर या तो बेच दिया गया था अथवा उनकी नीलामी कर दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के पास मार्च, 1964 के अंत में 118 ड्रिलें थीं। इनमें से 2 ड्रिलें जून, 1964 में असम सरकार को बेची गई। एक सर्वेक्षण समिति द्वारा 1965 तथा 1968 के दौरान कुल 96 ड्रिलें फालतू घोषित की गई। इस समिति ने प्रत्येक ड्रिल का आरक्षित मूल्य भी निर्धारित किया। इस समिति की अनुशंसाओं के अनुसार सभी 96 फालतू ड्रिलों का ब्यौरा विभिन्न सरकारी संगठनों में प्रचालित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 41 ड्रिलें आरक्षित मूल्य पर विभिन्न सरकारी संगठनों, जसे, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था, तेनूघाट परियोजना, राजस्थान सरकार, हिन्दुस्तान कापर लि०, आदि, को बेची गई। शेष ड्रिलों में से, जिनमें सरकारी संगठनों ने रुचि नहीं दिखाई, 39 आम नीलामी द्वारा विभिन्न गैर-सरकारी पार्टियों को बेच दी गई। शेष 16 ड्रिलों में से बाद में 4 उपयोग में ले ली गई और अब 12 का निपटान किया जाना है।

केरल, पंजाब और गुजरात को भेजा गया कोयला

3261. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल, पंजाब और गुजरात को कितना-कितना कोयला भेजा गया है और सम्बन्धित राज्यों में वह किस भाव पर बेचा जाता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रम ब्यूरो में इकानामिक इन्वेस्टिगेटरों को स्थायी बनाया जाना

3262. **श्री वसंत साठे :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम ब्यूरो में बड़ी संख्या में ग्रेड I और ग्रेड II के इकानामिक इन्वेस्टिगेटरों और कम्प्यूटरों को स्थायी बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या क्या हैं ;

(ग) उपरोक्त श्रेणियों में ऐसे कर्मचारियों की, श्रेणीवार संख्या कितनी है जिनकी पांच वर्ष की सेवा पूरी हो गई है परन्तु जिन्हें अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है ; और

(घ) ऐसे कर्मचारियों को शीघ्र स्थायी बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सलग्न है।

(घ) प्रत्येक वर्ग में उपलब्ध स्थायी पदों पर कुछ कर्मचारियों को यथा शीघ्र स्थायी करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

वर्ग	17-8-74 को विद्यमान कर्मचारियों की संख्या	स्थायी कर्मचारियों की संख्या	अब तक मंजूर किए गए स्थायी पदों की संख्या	ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने सेवा के पांच साल पूरे कर लिए हैं परन्तु जिन्हें अभी तक स्थायी घोषित नहीं किया गया
1	2	3	4	5
अन्वेषक ग्रेड I	43	1	8	20
अन्वेषक ग्रेड II	159	25	33	49
संगणक	131	8	27	62

प्रतिदिन 8000 टन कोयले की हानि होना

3263. श्री वसंत साठे : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जुलाई, 1974 के समाचारपत्रों में '8000 टन ए डे कोल आउटपुट लास' शीषक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) यह सही है कि कोयला खान प्राधिकरण लि० के पूर्वी प्रभाग तथा केन्द्रीय प्रभाग के बोकारो कारगली क्षेत्र में बिजली की कमी, विशेषकर दामोदर घाटी निगम पद्धति से हुई बिजली की कमी से उत्पादन में भारी हानि हुई है। यद्यपि इस हानि का स्पष्ट रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता तथापि, केवल पूर्वी प्रभाग में ही प्रतिदिन लगभग 8,000 टन से 10,000 टन तक की हानि हुई है।

पूर्वी प्रभाग में कोयला उद्योग को अधिक बिजली सुलभ कराने की दृष्टि से इस मामले पर पहले ही संबंधित बिजली उत्पादन प्राधिकरणों, जिनमें दामोदर घाटी निगम भी सम्मिलित है, से बातचीत की जा रही है ।

श्रम ब्यूरो में अनुसंधान कार्यक्रम

3264. श्री धामनकर : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक/ग्रामीण श्रमिकों के लिए श्रम ब्यूरो/मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किए जाने वाले कार्यवाही/क' प्रधान अनुसंधान कायक्रमों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या चौथी योजना के दौरान प्रारम्भ किए गए इसी प्रकार के कार्यक्रमों को पांचवीं योजना के दौरान नीति निर्धारण के लिए उपयोगी नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अधिक संख्या में अनुसंधान कार्य परियोजनाओं को प्रारंभ किए जाने को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है जिससे नीति निर्धारण/सुधारात्मक कार्यवाही में सहायता और मार्गदर्शन मिल सके ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जो, अपेक्षित ब्यौरे देता है।

विवरण

अनुसंधान कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची

श्रम ब्यूरो, शिमला—चौथी योजना से जारी योजनाएं

1. द्वितीय ग्रामीण श्रमिक जांच ।
2. तीसरा व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण ।
3. भारत में ग्रामीण श्रमिक संबंधी गहन प्रकार के अध्ययन (दूसरा दौर तथा पहले दौर का शेष बचा कार्य) ।
4. श्रम आंकड़ों में त्रुटि की सीमा का अनुमान और उसके अंतर्गत अनुवर्ती कार्यवाही ।
5. उद्योगों के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के संबंध में रोजगार और मजदूरियों से सम्बद्ध आंकड़ों का एकत्रीकरण ।
6. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों की कार्य की दशाओं और रहने की दशाओं से संबंधित सर्वेक्षण ।
7. 60 केन्द्रों में मजदूर वर्ग परिवार आय और व्यय का सर्वेक्षण ।

5 वीं योजना में शामिल की गई नई योजनायें

8. अनुसंधान प्रायोजना (उद्योग में महिला श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशायें) ।
9. औद्योगिक विवादों संबंधी आंकड़ों का एकत्रीकरण ।
10. श्रम सम्बन्धी आंकड़ों में सुधार—प्रशिक्षण-एवं-सम्पर्क योजना ।
11. उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत श्रम सम्बन्धी आंकड़ों का एकत्रीकरण—नमूना क्षेत्र (कारखाने) बागान और खनन क्षेत्र ।
12. प्रतिष्ठानों की केन्द्रीय निदेशिका ।

चौथी योजना में आरंभ की गई अधिकांश योजनाएं अभी भी जारी हैं । इनमें से कुछ योजनाएं सन्दर्भिका सर्वेक्षण हैं और नई योजनाओं का उद्देश्य आंकड़ों को अद्यतन बनाना है । अन्य योजनाओं का उद्देश्य नये पहलुओं और क्षेत्रों के सम्बन्ध में नये आंकड़े देना है । इन अध्ययनों के पूर्ण होने से वर्तमान सांख्यकीय आधार मजबूत बनेगा जो कि स्थिति के सही मूल्यांकन पर आधारित नीति के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है । यह एक सतत् प्रक्रिया है ।

खान महानिदेशालय, धनबाद—पांचवीं योजना में सम्मिलित

1. दुर्घटना उन्मुख खानों का सर्वेक्षण ।
2. खान सम्बन्धी आंकड़ों का विकास ।

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली

प्रयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम, जिसमें दासनगर, हावड़ा में केन्द्रीय स्टाफ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में व्यावसायिक प्रशिक्षण के निम्नलिखित क्षेत्र का विकास अन्तर्ग्रस्त है :—

(1) व्यवसाय पाठ्यक्रम विकास ।

(2) प्रशिक्षण प्रणालियां और तकनीकी विकास ।

(3) प्रशिक्षण साधन और उपकरण विकास ।

चौथी योजना के दौरान चलाए गए कार्यक्रमों का उपयोग पांचवीं योजना के दौरान नीति निर्धारण के लिए किया जा रहा है ।

मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय), नई दिल्ली

1. विभिन्न राज्यों में औद्योगिक विवादों के निपटान के लिए प्रवृत्तियों, तकनीकों और तंत्र का अध्ययन (चौथी योजना से जारी है) ।

(भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली)

2. सूती कपड़ा उद्योग और कोयला खान उद्योगों में यूनियन बनाने, विविधता और मान्यता के विशेष सन्दर्भ में ट्रेड यूनियनों का अध्ययन ।

श्रम ब्यूरो में इकानामिक इन्वेस्टीगटर ग्रेड-2 की भर्ती

3265. श्री धामनकर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम ब्यूरो में इकानामिक इनवेस्टीगेटर ग्रेड-2 के पद पर भर्ती रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा विज्ञापन के माध्यमिक से नहीं की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ऐसे पदों के लिए उम्मीदवारों के नाम भेजने में रोजगार कार्यालयों में गड़बड़ी होती है और वर्तमान प्रक्रिया से व्यापक प्रचार सुनिश्चित नहीं होता और हेराफेरी हो सकने की की गुंजाइश रह जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इकानामिक इनवेस्टीगेटर ग्रेड-2 के लिए भर्ती को वर्तमान प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) आर्थिक अन्वेषक ग्रेड-II भर्ती करने के लिए श्रम ब्यूरो, विभिन्न क्षेत्रों से उम्मीदवारों के नामों को मंगाने की आवश्यकता का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए, केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली को मांग भेजता है । केन्द्रीय रोजगार कार्यालय रिक्त स्थानों को सभी रोजगार कार्यालयों में यह सलाह देते हुए परिचालित करता है कि वे उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम भेजें । केन्द्रीय रोजगार कार्यालय ऐसे रिक्त स्थानो को ही विज्ञापित करता है जिनके लिए या तो आम कमी है या नियोजकों द्वारा विहित योग्यताएं तथा अनुभव इस प्रकार के हैं कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों में ऐसे व्यक्ति सामान्यत: उपलब्ध नहीं होते । श्रम ब्यूरो में अन्वेषक ग्रेड -II के पद के लिए केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों से प्राप्त हुई सूचियों के आधार पर काफी संख्या में उम्मीदवार भेज सकता है । इसलिए ऐसे रिक्त स्थानों को समाचार-पत्रों में विज्ञापित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार को चालाकी करने या भ्रष्टाचार के किन्हीं मामलों की कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

देहरादून और पूना अकादमियों का नाम बदलना

3266. **श्री समर गुह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देहरादून और पूना डिफेंस अकादमियों का नाम बदल कर नेताजी डिफेंस अकादमी और शिवाजी डिफेंस अकादमी रखेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ; और

(ग) अकादमियों के ब्रिटिश काल के नामों को भारत के महान सैनिक नेताओं के नामों पर न रखने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) इन्डियन मिलिटरी अकादमी, देहरादून तथा नेशनल डिफेन्स अकादमी पूना के पुनः नामकरण करने का कोई प्रस्ताव नही है । वर्तमान नाम उपयुक्त समझे गये हैं ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों द्वारा भाग लेना

3267. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रबन्ध-व्यवस्था में कर्मचारियों द्वारा भाग लेने की योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जहां तक भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र से उपक्रमों का संबंध है, अनेक प्रकार से प्रबंध में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कदम उठाये गये हैं । भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसैल्स और इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड में औद्योगिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए संयुक्त परामर्शदायी समितिया गठित की गई हैं । भारी इंजीनियरी निगम के प्रबंधक ने संयंत्र स्तर पर संयुक्त परामर्शदायी समितियां स्थापित करने के बारे में यूनियन के साथ हाल ही में एक करार किया है । मशीन टूल कारपोरेशन में श्रमिक समितियां गठित की गई हैं । माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन और भारी इंजीनियरी निगम में द्विपक्षीय समितियां जैसे, कार्य समितियां, उत्पादन समितियां और उत्पादिता समितियां कार्य कर रही है; भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड, जसप एण्ड कंपनी, स्कूटर्स इंडिया लि० और भारी इंजीनियरी निगम में कार्य परिषदों और कार्यशाला परिषदों (शाप कौंसिल्स) का गठन किया गया है । भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड में कल्याण विषयों, कर्मचारी के आपसी संबंधों आदि पर विचार-विमर्श करने के लिए एक कर्मचारी परिषद का भी गठन किया गया है जिसमें प्रबंध तथा कर्मचारी यूनियन का प्रतिनिधित्व समान अनुपात में हैं । त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड का विचार एक परामर्शदायी समिति की स्थापना करने का है तथा इस उद्देश्य के लिए तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस् लिमिटेड का विचार भी एक औद्योगिक संबंध समिति के गठन करने का है ।

दिल्ली/नई दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में पार्श्ववर्ती खाली पड़े प्लाटों की बिक्री

3268. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **पुर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में पार्श्ववर्ती मकान मालिकों को निश्चित कीमतों पर कुछ खाली पड़े प्लाटों को बेचने का प्रस्ताव किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्लाटों का रकबा कितना है और इन प्लाटों को किस दर पर बेचने का प्रस्ताव किया गया है तथा उक्त प्लाटों की संख्या कितनी है और प्रत्येक मामले में कालोनी का नाम क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) पहले एलाट/हस्तान्तरित किए गए मकानों/प्लाटों के साथ लगने वाले भूमि के कुछ टुकड़े सम्बन्धित एलाटियों/हस्तान्तरियों को देने की पेशकश की गई है ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में पुनर्वास बस्तियों में अलाट किये गये मकानों के लिये भुगतान की प्राप्ति

3269. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में विभिन्न पुनर्वास बस्तियों में बस्तीवार उन प्लाटों/मकानों की संख्या कितनी है जिनके लिए पूरी धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ;

(ख) उपर्युक्त जिन मकानों का भुगतान नहीं किया गया उनमें से सरकार ने कितने मकानों को अपने कब्जे में ले लिया है और उनकी दुबारा बिक्री करदी है अथवा उन्हें नीलाम कर दिया है ; और

(ग) जिन अन्य मकानों का अभी तक पूरा भुगतान नहीं किया गया उनके बारे में सरकार ने क्य कार्यवाही की है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ग) बाकीदारों को निर्दिष्ट तारीख तक देय राशि का भुगतान करने के लिए मांग-नोटिस जारी किए जाते हैं और भुगतान न किए जाने पर संपत्तियों का नियमों के अनुसार पुनग्रहण करके निपटान किया जाता है ।

दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में अनधिकृत रूप से कब्जा किये गये प्लाटों का खाली करवाया जाना

3270. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सभी प्लाटों को खाली करवा लिया है जिन पर दिल्ली और नई दिल्ली में विभिन्न पुनर्वास बस्तियों में अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) अनधिकृत रुप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) विगत में अनधिकृत कब्जेदारों को नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई हैं । कुछ मास पहले, दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में निष्क्रांत सम्पत्ति के अभिरक्षक के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सम्पत्तियों या विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954, के अधीन केन्द्रीय सरकार के अधिकार में आने वाली सम्पत्तियों के संबंध में अतिक्रमण की समस्या की जांच करने तथा उन्हें खाली कराने एवं भावी अतिक्रमणों को रोकने के लिए उपाय सुझाने के लिए अधिकारियोंकी एक समिति नियुक्त की गई थी । इस समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है और दिल्ली की शहरी एवं शहरी बनाये जाने वाली सीमाओं के अन्तर्गत ऐसी सारी भूमियों के निपटान के बारे में समूची नीति को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न परीक्षाधीन है ।

भावनगर में मशीन टूल परियोजना का स्थापित किया जाना

3271. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भावनगर में जिस मशीन टूल परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव था, उसे अब पांचवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या उस समय इंजीनियरी उद्योग में मन्दी के कारण इस परियोजना को स्थगित किया गया था और

(घ) क्या भावनगर में मशीन टूल परियोजना स्थापित करने के लिए अब स्थिति अधिक अनकुल है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) वर्ष 1967 में, जब कि मशीनी औजारों की मांग में अत्यधिक गिरावट आ गई थी और सरकारी क्षेत्र के मौजूदा एकक जो मशीनी औजारों का निर्माण कर रहे थे और जिनमें पूरी तरह काम नही हो पा रहा था, मन्दी की प्रवृत्तियों से संबंधित स्थिति को देखते हुए भावनगर में मशीनी औजार परियोजना स्थापित करने का निर्णय आस्थगित कर दिया गया था। इस समय इस निर्णय पर तुरन्त पुर्नविचार करने का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, सरकार ने भावनगर में मशीनी औंजार परियोजना की स्थापना के लिए गुजरात सरकार के एक उपक्रम गुजरात निवेष निगम द्वारा किये गये प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

आधारभूत धातु अयस्क से विभिन्न धातुओं को पृथक् पृथक् करने के लिए संयंत्र

3272. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने उत्तर गुजरात में अम्बाजी के समीप पाये जाने वाले आधारभूत धातु अयस्कों में से विभिन्न धातुओं को पृथक्-पृथक् करने के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी स्थापना बड़े संयंत्रों की स्थापना की तैयारी के रूप में की जायेगी ; और

(ग) ऐसे प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना की क्या आवश्यकता है तथा इससे क्या लाभ होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) खनिजों की खोज पर राज्य सरकार की एजेंसी गुजरात खनिज विकास निगम, एक प्रायोगिक परिष्करण-संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है ताकि समन्वेषी खनन की स्थिति में अम्बामाता के बहुधातु निक्षेप से प्राप्त खनि-अयस्क द्रव से विभिन्न धातु-सांद्रक प्राप्त हो सके।

(ख) और (ग) इस प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना मुख्यत: वाणिज्यिक अयस्क परिष्करण संयंत्र की रूप-रेखा और स्थापना से पूर्व, अयस्क की महत्वपूर्ण परिष्करण विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए की जा रही है।

छोटी कार बनाने के लिए लाइसेंस का दिया जाना

3273. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटी कार के उत्पादन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को लाइसेंस देने का निर्णय अन्तिम रूप से कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं और उनके वित्त-साधन क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में एक पार्टी अर्थात् मे० मारुति लिमिटेड, गुड़गांव की प्रतिवर्ष 50,000 यात्री कारों का निर्माण करने के लिए 25-7-74 को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है। इसके अलावा, एक दूसरी पार्टी अर्थात मे० सनराइज इण्डस्ट्रियल्स, बंगलौर को प्रतिवर्ष 3,000 तीन पहिए वाली यात्री कारों का निर्माण करने के लिए 13-6-1974 को एक पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया गया है। इन फर्मों द्वारा किए गए वित्तीय प्रबन्ध के ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों को भारी हानि

3274. श्री स्वर्ण सिंह सोढी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत कोयला खानों और विशेषकर कोयला खान प्राधिकरण क सट्रल जोन मे कुप्रबन्ध के कारण उत्पादन में भारी हानि हुई है।

(ख) क्या श्रमिकों की जबरन छुट्टी की गई है और कोयले को लाने ले जाने का काम अस्त व्यस्त हो गया है और स्टाक में लगभग 10 लाख टन कोयले का लदान नहीं किया गया था;

(ग) क्या कुछ अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके भूतपूर्व ठेकेदारो द्वारा उस क्षेत्र मे गैर कानूनी ढंग से खनन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कोयला खान प्राधिकरण के अधिकारियों और उसके प्रबन्धकों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) कामगारों को कोई जबरन छुट्टी नहीं दी गई है, केवल केडला झारखण्ड के लगभग 2200 नैमित्तिक/अस्थायी शुष्क मौसम कामगारों की सेवाओं को, उनकी नियुक्ति की अवधि बीत जाने की बाद, 1-7-74 से समाप्त कर दिया गया है। कोयले की ढुलाई में किसी ऐसी कोई रुकावट नहीं आई है, हां ढुलाई संबंधी सामान्य कठिनाइयां है जिनपर लगातार ध्यान दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) यह कहना ठीक नहीं है कि अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ से भूतपूर्व ठेकेदारों द्वारा गैर कानूनी ढंग से खनन कार्य किया जा रहा है। हां, हजारीबाग जिले के कुछ क्षत्रों में गैर कानूनी खनन कार्य हो रहा है, जिसे राज्य सरकार के सहयोग स रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

दिल्ली प्रशासन क कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की सुविधाएं

3275. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ नहीं उठा सकते;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना आरम्भ किये जाने क बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० क० किस्कु) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना मुख्यत: केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये है । क्यों कि दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी कन्द्रीय सरकारी कमचारी नहीं है इसलिए वे केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत नहीं आते। फिर भी, विशेष मामले के रूप में दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को इस योजना के लाभ दे दिए गए हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

रायरंगपुर में फेरो-वनाडियम कारखाना

3276. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या रायरंगपुर (उडीसा) में स्थापित को जाने वाली फरो-वनाडियम कारखान की व्यापक परियोजना रिपोर्ट को सरकार ने अन्तिम रूप द दिया है;

(ख) परियोंजना की अनुमानित लागत कितनी है और वर्ष 1974-75 में परियोजना पर खर्च किये जाने के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) परियोजना की सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने में कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं। उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम लि० के परामर्शदाता इंजीनियरों ने केवल शक्यता प्रतिवेदन ही तैयार किया है ।

(ख) लागत के अनुमान अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किए गये हैं। फिर भी 480 टन फरो वनेडियम और 47,500 टन फाउन्ड्री लोहे के प्रोडक्टस मिक्स की अस्थाई अनुमानित लागत लगभग 14 करोड रुपये है । 1974-75 में इस प्रायोजना के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

(ग) उडीसा सरकार ने सूचित किया है कि 1973-74 के अन्त तक इस प्रायोजना पर लगभग 9.10 लाख रुपये व्यय किये गए है जिसमें शक्यता प्रतिवेदन तैयार कराने का खर्च भी शामिल है ।

सैनिक समाचार पत्रिका (जर्नल) कार्यालय के हिसाब-किताब में दुर्विनियोग

3277. **श्री के० लकप्पा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी समिति या रक्षा मंत्रालय की ओ एण्ड एम डिविजन ने सैनिक समाचार पत्रिका (जर्नल) के कार्यों की जांच की है;

(ख) क्या सैनिक समाचार पत्रिका (जर्नल) कार्यालय द्वारा रखे जाने वाले धनराशि के हिसाब-किताब में बड़े पैमाने पर दुर्विनियोग हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं श्रीमन् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रिफ्रेक्टरियों (उष्मसह) की कमी

3278. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रम समिति (1973-74) के 41 वें प्रीतवेदन के पैरा 13 में उल्लिखित सिफारिश पर की गई कार्यवाही की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या देश में गैर सरकारी रिफ्रेक्टरी निर्माता रिफ्रेक्टरियों की भारी कमी का अनुचित लाभ उठाते हुए सरकारी क्षेत्र की इस्पात मिलों से अत्यधिक मूल्य ले रहे हैं; और

(ग) इस्पात कारखानों में रिफ्रैक्टरियों की पर्याप्त और निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) ने भिलाई मे लगाये जाने वाले ऊष्मसह संयंत्र के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवदन स्वीकार कर लिया है और उसे सरकार को प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) जी, नहीं । फिर भी, यह ठीक है कि ऊष्मसह निर्माताओं ने इस वर्ष के लिए जो मूल्य मांग है वे पिछले वर्ष के मूल्यों से अधिक हैं। इसका कारण यह बताया जाता है कि कच्चे माल, मजदूरी, इंधन और यातायात का खर्च बढ़ गया है ।

(ग) भिलाई में लगाये जाने वाले ऊष्मसह संयंत्र के अलावा तामिलनाडु, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के राज्य लघु उद्योग निगमों को दक्षिण भारत मे लगाये जा रहे तीन नये इस्पात कारखानों के निकटवर्ती क्षेत्रों में ऊष्मसह संयंत्र स्थापित करने के लिए आशय पत्र दिये गये हैं। सरकार ने 1972 में एशियन रिफ्रेक्टरीज प्लाण्ट का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया था । अब यह कारखाना 'भारत रिफ्रैक्टरीज' के नाम से बोकारो इस्पात कारखाने क एक सहायक कारखाने के रूप म चलाया जा रहा है ।

सरकार ने मैसर्स आसाम सिलिमिनाइट लि० के ऊष्मसह कारखाने का प्रबन्ध भी अपने हाथ में ले लिया है । कुछ विशेष श्रेणियों की तापसह ईंटों की कमी को पूरा करने के लिए इनका उचित मात्रा में आयात करने को भी अनुमति दी जाती है । आशा है इन सभी उपायों से इस्पात कारखानों के लिए तापसह ईंटों को नियमित और पर्याप्त उपलब्धि सुनिश्चित की जा सकेगी ।

भिलाई रनर बनाये जाने वाले 'रनर' और 'कास्ट' स्क्रैप

3279. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात संयंत्र को कुछ स्थानीय फर्मों की 'रनर' और 'कास्ट' स्क्रैप बेचने के लिय अधिक उत्सुक है;

(ख) क्या राज्य के वास्तविक उपभोक्ता भी उपरोक्त सामग्री की मांग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सीमित संख्या में खरीदार होने के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) रनर और कास्ट स्क्रैप की बिक्री का कार्य हिन्दुस्तान स्टील लि० का केन्द्रीय बिक्री संगठन करता है ।

भिलाई में तथा इसके आसपास कई ढलाई कारखाने है जो भिलाई और दूसरे ईस्पात कारखानों क आर्डरों का माल सप्लाई करते हैं। ये ढलाई कारखाने कच्च माल को कमी अथवा अनुपलब्धि के कारन कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं। चूंकि भिलाई इस्पात कारखाने के पास रनर स्क्रैप की केवल थोड़ी मात्रा ही उपलब्ध थी इसलिए केन्द्रीय विक्रय संगठन ने यह माल भिलाई के आस पास ऐसे कारखानों को देने की पेशकश की थी जो इसे लेना चाहते थे । बाद म इस माल की पेशकश दी अन्य ढलाई कारखानों को भी की गई थी। जिन्होंने इस मामले में विक्रेय कार्यालय से लिखा पढी की थी। इनमें से एक ढलाई कारखाने मध्य प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र का था।

स्थानीय निकवर्ती ढलाई कारखानों तथा वास्तविक उपभोक्ताओं को ही इस माल की पेशकश करने का कारण यह था कि उपलब्ध माल की मात्रा सीमित थी और जो कोई भी इसे खरीदता उसे इसको सडक द्वारा ही ले जाना पड़ना था क्यों कि ऐसा माल ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे उपलब्ध होने की सम्भावना न थी।

रेलवे में इनगोट मोल्ड और बाटम प्लेट स्क्रैप की बुकिंग

3280. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी रलवे में इनगोट मोल्ड और बाटम प्लेट स्क्रैप की बकिंग नहीं करा सक रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और संयंत्र के अहाते में कुल कितनी मात्रा में सामान पड़ा है;

(ग) क्या दो वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि बीत जाने के पश्चात हिंद गाल्वेनाईजिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता को इसकी बिक्री की अभूतपूर्व पेशकश की गई है; और

(घ) उसका ब्यौरा तथा कारण क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी, 1972-73 में भिलाई इस्पात कारखाने को अस्वीकृत इनगोट मोल्ड/बाटम प्लट से भरें डिब्बों को स्क्रैप के वर्गीकरण के अनुसार भाडे की प्रयोजता के बारे म स्पष्टीकरण देने के कारण बुक करने में कठिनाई हुई थी। रेलवे से अपेक्षित स्पष्टीकरण अप्रैल 1973 में प्राप्त हुआ था ।

इसके पश्चात डिब्बों की कमी के करण सभी विक्रय उत्पादों का स्टाक बढ़ गया और कारखाने को अपना ध्यान विक्रय बेलित इस्पात उत्पादों तथा कच्चे लोहे के प्रेषणों पर केन्द्रित करना पड़ा ।

वर्ष 1973-74 में अस्वीकृत मोल्डों का स्टाक घटता गया परिणाम स्वरूप अब भिलाई इस्पात कारखाने के पास फालतू इनगोट मोल्ड नहीं है । 20-8-74 को कारखाने के पास लगभग 3,000 टन अस्वीकृत इनगोट मोल्ड/बाटम प्लट थी जिनका उपयोग तोड़कर अन्तत: कारखाने की आन्तरिक खपत के लिए किया जाना था।

(ग) और (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बसन्त विहार, नई दिल्ली में मिलावट वाली खाद्य वस्तुओं की बिक्री

3281. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री वसन्त विहार, नई दिल्ली में मिलावट वाली खाद्य वस्तुओं की बिक्री के बारे में 27 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4349 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के उपबंधों के उल्लंघन करने वाली फर्म के विरुद्ध शुरू किये गये मुकद्दमों का परिणाम क्या रहा;

(ख) क्या मिलावट वाली खाद्य वस्तुओं की बिक्री वहां अभी तक जारी है; और

(ग) कितने मामलों में मुकदमें चलाये गये है और इस समय वे किस अवस्था में हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन इस फर्म के खिलाफ केवल एक मामला था। इस मामले में इस फर्म को केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता की रिपोर्ट के आधार पर बरी कर दिया गया ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अगस्त 1973 में और उसके बाद वसन्त बिहार में दुकानों से लिये गए सभी नमूने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरुप पाए गए ।

वसन्त विहार, नई दिल्ली में औषधियों और श्रृंगार सामग्री की बिक्री

3282. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली की वसन्त विहार कालोनी में आयातित और भारतीय औषधियां और श्रृंगार सामग्री बेची जा रही है;

(ख) क्या इन फर्मों ने इन वस्तुओं के बेचने के लिये लाइसेंस प्राप्त कर लिये है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी वस्तुओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) औषधि और प्रशासन सामग्री अधिनियम तथा नियमों के अधीन वसन्त बिहार, नई दिल्ली में 12 फर्मों को लाइसेंस दिये गये है ।

प्रसाधन सामग्री को स्टाक करने तथा बिक्री के लिये औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

ट्रैक्टरों के परीक्षण परिणाम को बढ़ा चढ़ा करके इनके अधिक मूल्य लगाना

3283. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या परीक्षण परिणाम को बढ़ा चढ़ा करके 37.40 अश्व शक्ति के देश में निर्मित ट्रैक्टरों तथा 43.43 अश्व शक्ति के आयातित ट्रैक्टरों का अधिक मूल्य लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ट्रैक्टरों के वास्तविक परीक्षण परिणाम के आधार पर इनके मूल्य की सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंगरौली कोयला क्षेत्र निक्षपों से कोयला निकाला जाना

3284. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सिंगरोली कोयला क्षेत्र के निक्षेपो से कोयला निकालने सम्बन्धी योजनाओं का वर्ष वार ब्योरा क्या है; और

(ख) निकाले गये कोयले का किन कार्यों के लिये और किन स्थानों पर उपयोग किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) सिंगरोली कोयला क्षत्र से अगले पांच वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन का कार्यक्रम इस प्रकार है :-

(लाख टनों में)

1974–75	75–76	76–77	77–78	78–79
27.50	29.00	37.50	52.50	72.10

इस समय उत्पादित कोयले का उत्तर प्रदेश के ओबरा और रेणुसागर बिजली घरों में उपयोग हो रहा हैं। उस क्षेत्र में स्थापित होने वाले अन्य बिजली घरों में भी सिंगरोली कोयले का उपयोग होगा ।

सैनिक स्कूलों क छात्रों के संरक्षकों के अन्य वर्ग

3285. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री सैनिक स्कूलों के छात्रों के संरक्षकों के अन्य वर्ग के बारे में 25 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8205 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूलों में सरकार की ओर से दो जाने वाली छात्रवृत्ति के 'आय साधन' आधार में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(ख) अदि हां, तो क्या संशोधित आधार इस वर्ष दाखिल हुए छात्रों पर लागू होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) इस विषय पर छात्रवृत्ति मंजूर करने वाले प्राधिकारी अभी विचार कर रहे है, अर्थात् राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र और रक्षा मंत्रालय ।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम परियोजना

3286. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम परियोजना के बारे में 25 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8087 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार को "रायल्टी डैड रेन्ट—सरफेस रेन्ट" की गैर अदायगी के कारण राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का कार्य बन्द हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे खतरे को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में पंजीकृत बेरोज़गारों के आयु-सीमा में छट

3287. श्री भालजी भाई परमार : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे अभ्यावेदकों को, जिनका नाम दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में पांच वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत है और जिन्हें रोजगार नहीं मिला है, आयु सीमा म छूट देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली/नई दिल्ली में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति

3288. श्री भालजी भाई परमार : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 से दरियागंज, दिल्ली और कर्जन रोड़, नई दिल्ली के रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत मेट्रोकुलेट और ग्रेजुएट उम्मीदवारों की संख्या कितनी हैं ;

(ख) अब तक उपर्युक्त रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ऐसे कितने व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध किया गया है ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन्हे रोज़गार कार्यालयों ने कोई भी पत्र नहीं भेजा है और 'काल लेटर' जारी करने के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है ; और

(घ) इन व्यक्तियों को रीज़गार उपलब्ध करने के लिए सरकार ने क्या कायवाही की है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) सामान्यत: सृजित होने वाले रोज़ गार अवसरों के अतिरिक्त, सरकार ने रोज़गार प्रदान करने दो विशेष स्कीमें आरम्भ की, जो कि 'पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम' और 'रोज़गार वर्धन कार्यक्रम' हैं। दिल्ली में 1973–74 के दौरान लगभग 2,700 शिक्षित बरोज़गार व्यक्तियों को 'पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम' के अन्तर्गत रोज़गार दिलाया गया । इसके अतिरिक्त 862 औद्योगिक शेडों का निर्माण किया जा रहा है जिनके पूर्ण होने पर 1200 इंजीनियरों सहित लगभग 10,200 व्यक्तियों को रोज़गार मिलने की संभावना है । 1974-75 में 'रोज़गार वर्धन कार्यक्रम' शुरू किया गया और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संघशासित प्रदेश दिल्ली के लिए 60 लाख रुपए का आबंटन किया गया है ।

विवरण

जनवरी, 1972 से 17-8-1974 तक दरियागंज रोज़गार कार्यालय, दिल्ली और कस्तूरबा गांधी मार्ग रोज़गार कार्यालय, नई दिल्ली में पंजीकृत और रोज़गार में लगाए गए मैट्रिक्युलेटों एवं स्नातकों की संख्या ।

(क), (ख) और (ग) :–

	दरियागंज रोजगार कार्यालय		कस्तूरबा गांधी मार्ग रोज़गार कार्यालय (कर्जन रोड़)		ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें 'काल लेटर' नहीं भेज गए	
	1972 से पंजीकृत	नियुक्त कराए गए	1972 से पंजीकृत	नियुक्त कराए गए	दरियागंज रोज़गार कार्यालय	कस्तूरबा गांधी मार्ग रोज़गार कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7
(i) मैट्रिकुलेट	1,17,347	6,142	26,788	680	46,974	7,379
(ii) स्नातक	50,151	1,369	*	*	10,310	*

'काल लेटर' जारी करने के लिए अपनाया गया मानदंड

पंजीकरण की अवधि की वरीयता के अनुसार, अधिसूचित रिक्त स्थानों के विरूद्ध ऐसे उम्मीदवारों का सम्प्रषण किया जाता है जिनके पास नियोजकों द्वारा निर्धारित योग्यताएं हैं।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में लोहे और छीलन का इकट्ठा हो जाना

3289. श्री अतादि चरण दास : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुगपुर इस्पात संयंत्र में लोहे और छीलन का भार मात्रा में जमाव हो गया है जिसका बिक्री द्वारा निपटान किया जाना है।

(ख) यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधिकारी शीघ्रतापूर्वक बिक्री कर पाने में असमर्थ है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और छीलन सामग्री का निपटान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते । बाजार की स्थिति तथा जो पार्टिया स्क्रैप के लिए प्रोसैसिंग सुविधाएं स्थापित करनेहेतु सामग्री खरीदना चाहती है उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर समय समय पर स्क्रैप के निपटान के लिए प्रबन्ध किए जाते हैं।

*इस रोज़गार कार्यालय में स्नातक पंजीकृत नहीं किए जा रहे हैं ।

हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधिकारियों के दौरे

3290. श्री अनादि चरण दास : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लि० कलकत्ता के अधिकारी विमान और रेलगाडी से काफी संख्या में दौरे करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अनिवार्य की स्थिति के कारण टिकटों और दोरों को रद्द करने पर भारी मात्रा में धनराशि खर्च की जाती है ; और

(ग) जुलाई, 1974 से पुर्ववर्ती छः महीनों के दौरान टिकटों और दौरों के रद्द किए जाने पर खर्च की गई धनराशि और दौरों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं। कम्पनी के कलकत्ता स्थित विक्रय और परिवहन संगठन के अधिकारी दौरे पर जाते हैं और वह भी तभी जब कम्पनी के काम और हित में दौरा करना आवश्यक होता है।

(ख) और (ग) दौरे कम्पनी के काम से किय जाते हैं। इनमें इस्पात कारखानों और देश के विभिन्न भागों में स्थित स्टाकयार्डों के सावधिक दौरे और शासकीय किस्म के दूसरे दौरे शामिल हैं। जनवरी-जुलाई 1974, की अवधि में दौरों पर खर्च की गई कुल धनराषि लगभग 2.43 लाख रुपये ह। इस अवधि में दौरों टिकटों के रद्द होने के कारण 265 रुपय खर्च हुय हैं।

सेन्ट्रल व्हीकल डिपो, दिल्ली के केन्द्र में 'व्हीकल' घोटाला

3291. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल व्हीकल डिपो, दिल्ली केन्ट के कर्मचारियों का एक समूह कुछ अधिकारियों की सांठ-गांठ से ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए अच्छी सरकारी गाड़ियों के चुनने के प्रबन्ध करत है जो बाद में उन्हें कबाड़ियो को बेंचने को सहमत हो और तब उनके काफी धन लेते हैं परन्तु नादान भूतपूर्व सनिकों को इसमें से बहुत कम पैसा देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस व्हीकल घोटाले को रोकने की दृष्टि से इस समूह का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सरकारी संगठन म फार्मासिस्टों द्वारा हड़ताल

3292. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री दिल्ली में सरकारी संगठन में फार्मासिस्टों द्वारा हड़ताल के बारे में 7 मार्च, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 223 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मासिस्टों की वेतन मानों, चयन ग्रेडों तथा पदोन्नति आदि के सम्बन्धी मांगों पर निर्णय कर लिया गया है जैसा कि उन्होंने 12 फरवरी, 1974 को आश्वासन दिया था ;

(ख) क्या उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे अपना निर्णय 21 मार्च, 1973 तक उन्ह प्रेषित कर लेंगे; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) जैसा कि 12 फरवरी, 1974 को आश्वासन दिया गया था, इस मामले को सम्बन्धित अधिकारियों के साथ उठाया गया इस में किसी सम्मत निर्णय पर पहुचना अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है क्यों कि भारत सरकार के दो अन्य मंत्रालयों ने जो का कि संख्या में फार्मासिस्टों की सेवाओं का प्रयोग करते हैं, इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है ।

खनिजों के विदोहन पर राजस्थान सरकार को रायल्टी

3293. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में निकलने वाले खनिजों पर रायल्टी में वृद्धि करने के प्रस्ताव भेजे है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) खनिजों पर रायल्टी में वृद्धि के प्रश्न पर सामान्य रूप से और इन प्रस्तावों पर विशेष रूप से अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई समिति की सिफारिश क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय मेंउप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जी हां, राजस्थान सरकार ने बुनियादी तौर पर अपने राज्य में निकाले जा रहे खनिजों पर रायल्टी दरों में वृद्धि करने क फैसला किया है । रायल्टी की वर्तमान दरों, समिति द्वारा प्रस्तावित दरों और राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित दरों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[ग्रंथालम में रखा गया । दखिये संख्या एल० टी० 8257/74]**

भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बुशिंग का विकास

3294. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल स्थित भारत हेवी इलेक्ट्रीकलस् लिमिटेड द्वारा 22 के० वी० 5500 एम्प्स बुशिंग्स का सफलतापूवक विकास किया गया है जिसका ट्रान्सफार्मर में उपयोग होता है तथा जिनका अभी तक आयात किया जाता था; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिवर्ष 90,000 रुपये ।

मारुति लिमिटेड के आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदला जाना

3295. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :

श्री भोला मांझी :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड ने अपने आश्यपत्र, जिसकी अवधि 30 जून, 1974 को समाप्त हो गई थी, की [औद्योगिक लाइसेंस में बदलने का अनुरोध उनके मंत्रालय] से किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उक्त छोटी कार परियोजना में निर्माण और वित्तीय दृष्टि से अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) मारुति का आशयपत्र प्रतिवर्ष 50,000 कारों का निर्माण करने के लिए 25 जुलाई, 1974 की औद्योगिक लाइसस में बदल दिया गया है।

(ग) मै० मारुति लिमिटेड ने बताया है कि भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और डिजाइन कार्यालय सहित कार्यालय भवन का निर्माण कर लिया गया है। 97.81 लाख रुपय के मूल्य की मशीन लगा ली गई है और लगभग 309 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ।

कुल कर्मचारियों (वर्किंग फोर्स) और मजूरी पर काम करने वालों (वेज अर्नरों) के बीच अनुपात

3296. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में कुल कर्मचारियों (वर्किंग फोर्स) और मजूरी पर काम करने वालों (वेज अर्नरों) के बीच अनुपात क्या था और "वेज अर्नरों" की क्षेत्रवार (सेक्टर वाइज) संख्या क्या है ;

(ख) वर्ष 1960-61 के मूल्य पर कुल राष्ट्रीय आय में क्षेत्रवार वेतन और मजूरी का भाग नवीनतम उपबन्ध वर्ष क लिए कितना कितना है;

(ग) औद्योगिक उत्पादन के कुल मूल्य में नवीनतम उपबन्ध वर्ष के लिए वेतन और मजूरी का भाग कितना कितना है ;

(घ) क्या मूल्य स्तर पर वेतन और मजूरी के पड़े प्रभाव के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) सदन की मेज पर एक विवरण रखा गया है ।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) 1970 में (अन्तिम वर्ष जिसके संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं) विनिर्माण उद्योगों में मजदरियां और वेतन उत्पादन के कुल मूल्य के 13.3% थे ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्रमांक	उद्योग	मजदूरी पर काम करनेवालों (वेज अर्नरों) की संख्या (हजारों में)	कुल मजदूरों (वर्किंग फोर्स) की संख्या (हजारों में)	कुल मजदूरों (वर्किंग फोर्स) की और मजदूरी पर काम करन (वेज अर्नरों) के बीच अनुपात (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कृषि, आखेट वानिकी और मछली पकड़ना	49584**	129963*	38
2.	खनन और पत्थर उत्खनन	797	923	86

(1) (2)	(3)	(4)	(5)
3. विनिर्माण और मरम्मत .	8020	17068	47
4. विद्युत, गैस और जल .	514	532	97
5. निर्माण . . .	1271	2215	57
6. थोक व खुदरा व्यापार, रेस्तरां और होटल	2305	8748	26
7. परिवहन, संग्रहण और संचार .	3396	4401	77
8. वित्त प्रबंधकारी, बीमा वास्तविक सम्पदा और व्यापारिक सेवाएं	926	1290	72
9. सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएँ	11067	14018	79
10. कार्य कलाप जो कि पर्याप्त रूप से वर्णित नहीं किए गये हैं ।	319	1215	26
सभी उद्योग	78198**	180373*	43

टिप्पणी :— उपर्युक्त आंकड़े 1971 की जनगणना की अनुसूचियों के 1% नमूना सारणीकरण पर आधारित अनुमान है :–

*कृषक और खेतिहर श्रमिक सम्मिलित है (1971 की जनगणना की 100% अनुसूचियों पर आधारित)।

**इस में वह खेतिहर मज़दूर सम्मिलित हैं जो नकद अथवा जिन्स के रूप में मज़दूरी पान के लिए अन्यों क लिए कार्य करते हैं (1971 की जनगणना की 100% अनुसूचियों पर आधारित।)

Linking of Wages with Production

3297. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Labour** be pleased to state

(a) whether Government have considered afresh the desirability of linking wages with production ; and

(b) if so, the time by which Government propose to implement this policy

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Verma) : (a) and (b) An important aim of Government's policy is to bring about a close co-relation between increases in wages and increases in productivity.

Coal Caught fire in Vishrampur (Madhya Pradesh) and Ranchi (Bihar)

3298. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether due to negligence on the part of the management of the coal mines in Vishrampur (Madhya Pradesh) and Ranchi (Bihar) coal caught fire during the last three months

(b) the quantity of coal destroyed in fire and the financial loss suffered as a result thereof

(c) whether any inquiry has been made in this regard; and

(d) if so, the results thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) There have been a few cases of coal catching fire due to spontaneous heating but these cannot be attributed to any negligence on the part of the management of coal mines.

(b) to (d) Do not arise.

हिन्दुतान स्टील लिमिटेड में इंजीनियरों की छंटनी

3299. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में अनुभवी इंजीनियरों की छंटनी की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Saving of Petrol by Fixing 'Colour-Tune' Spark-Plug in Cars

3300. Shri Atal Bihari Vajpayee :

Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) Whether about 32 per cent petrol is saved by fixing 'Colour-Tune' spark-plug in the car ;

(b) if so, the complete facts in this regard ;

(c) the action being taken to make available 'colour-tune' spark-plugs to common consumer in India; and

(d) the extent of use of 'colour-tune' spark-plug in the country at present?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) to (d) Colour-tune spark-plug is a garage tool which can be used for proper tuning of the engines for optimum fuel economy as per manufacturers recommendations. It is not a substitute for a conventional spark plug which is used in petrol engines. Such spark-plugs are presently not widely used and since they are deemed to be covered under garage tools, imports could be permitted to established importers for use in garages for the proper tuning of car engines.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा सेतु समुद्रम परियोजना का निर्दिष्ट किया जाना

3301. श्री मुरासोली मारन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने सेतु समुद्रम परियोजना उनके मंत्रालय को निर्दिष्ट की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने 1968 में सेतु समुद्रम परियोजना के अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं पर विदेश मंत्रालय से टिप्पणी मांगी थी, क्यों कि इसका सम्बन्ध भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एतिहासिक जल क्षेत्र से था। विदेश मंत्रालय ने अपनी टिप्पणी दे दी थी।

श्रीलंका के साथ वार्ता के दौरान सेतु समुद्रम परियोजना की चर्चा

3302. श्री मुरासोली मारन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत और श्रीलंका के बीच दोनों देशों की ऐतिहासिक जल सीमा के बारे में समझौते पर वार्ता के दौरान सेतु समुद्रम परियोजना के बारे में कोई चर्चा की गयी थी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : जी, नहीं।

इस्पात की छड़ों और इस्पात की अन्य वस्तुओं की मांग में कमी

3303. श्री वयालार रवि : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की छडों और इस्पात की अन्य वस्तुओं की मांग में स्थानीय मंडियों में भारी कमी होने के कारण छोटी मिलों क लिये काम करना कठिन हो गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन वस्तुओं के मध्य पूर्व और अरब देशों में निर्यात की भारी गुंजाईश है लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार की नीति के कारण ऐसा सम्भव नहीं हो सका है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) छड़ों और गोल छड़ों की मांग में कुछ कमी होने के संकेत हैं। देश में मांग और उपलब्धि को देखते हुए इन उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

रूस द्वारा रूसी सहायता से चल रही परियोजनाओं को पुर्जे और उपकरणों की सप्लाई

3304. श्री वीरभद्र सिंह : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस से रूसी सहायता से चल रही परियोजनाओं के लिये पुर्जे और उपकरण सप्लाई करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में रूस सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) रूस की सरकार इस संबंध में हर प्रकार से इन एककों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सहमत हो गई है।

मेडिकल डाक्टरों के प्रव्रजन से भारत को होने वाली हानि के बारे में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा अध्ययन

3305. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल डाक्टरों के अमरीका को प्रव्रजन के परिणामस्वरूप भारत को होने वाली हानि के बारे में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा दिये गये अध्ययन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने "टेकनोलाजी का विपरीत अन्तरण विकासशील देशों से प्रशिक्षित कार्मिकों के बहिर्गमन के आर्थिक प्रभाव" (दि रिवर्स ट्रांसफर आफ टेकनोलाजी : इकोनामिक इफेक्टस् आफ दि आउट फलो आफ ट्रेन्ड पर्सोनेल फ्रोम डिवेलिपग कंट्री) पर एक अध्ययन किया। टेक्नालाजी अन्तरण सम्बन्धी अन्तर-सरकारी समिति की हाल ही में हुई बैठक में इस अध्ययन की तमाम बातें रखी गयीं। अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं मिली है।

चांदी का उत्पादन

3306. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के उदयपुर जिले में जावर खानों में चांदी का वार्षिक उत्पादन कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) नये तरीकों का उपयोग करके चांदी का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या उस क्षेत्र से चांदी तथा अन्य धातुओं की खोज के लिये कोई भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां; तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) राजस्थान में जवार खान मूलतः सीसा – जस्ता खान है जिसमें कुछ मात्रा में चांदी भी है, जो सीसा प्रद्रावण से उपोत्पाद के रूप में निकाली जाती है। जवार से प्राप्त अयस्क में चांदी की मात्रा में कोई खास गिरावट नहीं हुई है। चांदी के उत्पादन में भी कमी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) जवार क्षेत्र में चांदी के समन्वेषण के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है। इस क्षेत्र में, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटे द्वारा सीसा—जस्ता अयस्क खोज का काम चल रहा है जिसके दौरान चांदी और कैड्मियम जैसी अन्य मूल्यवान धातुओं का पता लगाया जाता है।

श्रम ब्यूरो को शिमला से चण्डीगढ़ स्थानान्तरित करना

3307. श्री धामनकर : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानान्तरण पर बहुत अधिक धनराशि व्यय होने को ध्यान में रखते हुए श्रम ब्यूरो कार्यालय को शिमला से किसी अन्य मध्यवर्ती स्थान पर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव कुछ वर्षों के लिए त्याग दिया गया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या श्रम ब्यूरो को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव अनेक वर्षों से कर्मचारियों में तनाव का कारण बना हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार ने शिमला स्थित श्रम ब्यूरों के वर्तमान प्रतिष्ठान को स्थानान्तरित करने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है और इस मामले में पक्का निर्णय कर लिया है, और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) श्रम ब्यूरो का एक भाग अगस्त, 1971 में शिमला से चण्डीगढ़ स्थानान्तरित किया गया था और ब्यूरो के शेष भाग को भी चण्डीगढ़ में स्थानान्तरित करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। ब्यूरो के शेष कार्यालय के लिए चण्डीगढ़ में जगह दिलाने के लिए स्थान की अपेक्षाओं और अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार किया जा रहा है।

गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त किया जाना

3308. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

श्री एस० एम० सिद्दय्या :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने देश में 11 गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त करने के लिये सरकार से सिफारिश की है और यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या निर्णय है;

(ख) यदि इन गैर-सरकारी कालेजों की मान्यता को अंतिम रूप से समाप्त किया जाना है तो इन कालेजों के छात्रों के शैक्षिक जीवन को प्रभावमुक्त रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों की शोचनोय स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी मेडिकल कालेज स्थापित न होने देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् ने कुछेक मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त कर देने का सुझाव भारत सरकार को दिया था। काफी सोच विचार करने के बाद यह महसूस किया गया कि इन कालेजों की मान्यता समाप्त करने से छात्रों को अनावश्यक कठिनाइयां होंगी। अत: यह निर्णय लिया गया है कि परिषद द्वारा पुनरीक्षण लायक अतिरिक्त सुविधाओं के दिये जाने तक संबंधित कालेजों की वार्षिक प्रवेश क्षमता कम कर दी जाय।

(ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : मैं श्री जियाउर्रहमान अन्सारी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) ओम पाराशक्ति मिल्स लिमिटेड, कोयम्बटूर के प्रबन्ध के बारे में सं० सां० आ० 398(ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 जून, 1974 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) मोडल मिल्स नागपुर लिमिटेड, नागपुर के प्रबन्ध के बारे में सां० आ० 433(ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 जुलाई, 1974 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 8249/74]

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अल्युमिनियम (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1974 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० आ० 440(ङ) में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8250/74]**

(2) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड, अहमदाबाद का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8251/74]**

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविदा श्रम (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत संविदा श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) केन्द्रीय (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 870 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8252/74]**

(2) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनबाद के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8253/74]**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

तस्करी में कथित अभूतपूर्व वृद्धि से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को हुई भारी क्षति

अध्यक्ष महोदय : श्री रामगोपाल रेड्डी ! वह उपस्थित नहीं हैं। डा० राव !

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव (बेहलारी) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :

"तस्करी में कथित अभूतपूर्व वृद्धि से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को हुई भारी क्षति।"

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) अध्यक्ष महोदय, हाल के वर्षों में, भारत में तस्कर-आयात के तरीकों में भारी परिवर्तन हुआ है। पहले, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बड़े-बड़े बन्दरगाहों पर पहुंचने वाले संवाहकों द्वारा तस्कर आयात की जाने वाली वस्तुएं जैसे सोना तथा घड़ियां अपने शरीर में छिपाई जाती थीं। इस के अतिरिक्त विभिन्न सीमा-शुल्क पत्तनों पर पहुंचने वाले जहाजों तथा देशी नौकाओं में भी अवैध वस्तुएं छिपाई जाती थीं। अब तस्कर-व्यापारियों की नावें, जिनमें अवैध माल बड़ी मात्रा में भरा होता है, फारस की खाड़ी के कतिपय स्थानों से चलती हैं और चार से सात दिन के अन्दर वे अपने माल को पश्चिमी समुद्र-तट पर पूर्व-निर्धारित किसी भी स्थान पर उतार देती हैं। यद्यपि कुछ क्षेत्र तस्कर-व्यापार के लिये अधिक सुविधाजनक हो सकते हैं तथापि गुप्त-सूचना तथा अभिग्रहणों से प्रकट होता है कि तस्कर व्यापारी अवैध माल को उतारने के लिये पश्चिमी समुद्र तट के सभी हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार, तस्करी-विरोधी कार्यवाही की जो समस्या पहले सीमाशुल्क पत्तनों तक ही सीमित थी, उसके अन्तर्गत अब कहीं अधिक बढ़ गये हैं और तस्कर-व्यापारियों को अपना माल उतारने के लिये सैकड़ों मील लम्बा समुद्रतट उपलब्ध होने से अभूतपूर्व कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। तस्कर-व्यापार के संचालक अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। जो संवाहक पकड़े जाते हैं वे संचालकों के खिलाफ किसी प्रकार के साक्ष्य देने से डरते हैं।

2. देश की अर्थव्यवस्था पर तस्कर-व्यापार के हानिकार प्रभावों को विस्तार से बताकर मैं सदन का समय लेना आवश्यक नहीं समझता। यह कहना पर्याप्त होगा कि तस्कर-व्यापार एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा, अवैध माध्यमों से, भारत में धन भेजा जाता है और तब यह धन देश में प्रचलन में आ रहे काले धन की निधि का एक अंग बन जाता है। यदि तस्कर व्यापार नहीं होता तो विदेशों में रहने वाले भारतीयों की विदेशी मुद्रा की बचत, अत्यावश्यक कच्चे माल तथा पूंजीगत उपकरण के आयात के लिए उपलब्ध हो गई होती।

3. हाल के वर्षों में अनेक उपाय किये गये हैं और इनके परिणामत: तस्कर-आयात की पकड़ी गयी वस्तुएं जो 1966 में 6.6 करोड़ रु० की थी वह 1972 में बढ़कर 25.8 करोड़ रुपये की हो गयी। तब से तस्कर व्यापार विरोधी कार्यवाही ने और अधिक जोर पकड़ लिया है जिसके परिणामत: 1973 में 33.5 करोड़ रु० तक का माल पकड़ा गया और 1974 की पहली छमाही में ही यह रकम 28.7 करोड़ रु० तक पहुंच गई है।

4. तस्कर-व्यापार के नये तरीकों का मुकाबला करने के लिए सरकार ने, तेज गति से चलने वाली मध्यम आकार की 20 नावें मुहैया करने के लिये नावें की फर्म को आर्डर दिये हैं। इन नावों की सप्लाई कुछ महीनों में पूरी की जाने की आशा है। इन नावों को तस्कर-व्यापार विरोधी कार्यवाही में परख लिए जाने के बाद 80 और नावों के लिए आर्डर दे दिये जाएंगे।

5. हाल के वर्षों में निवारक समाहर्ता-कार्यालय खोले गये जिनके प्रधान-कार्यालय बम्बई, अहमदाबाद, मदुरै और पटना में हैं। पश्चिमी समुद्रतट पर निवारक कार्यालयों को सुदृढ़ करने

के लिये एक व्यापक योजना मंजूर की गई है । इस योजना में समुद्रतट रक्षा दलों, मार्ग रोक-थाम दलों तथा नगर निवारक दलों की व्यवस्था है । आवश्यक वाहनों और अग्नेयस्त्रों की भी व्यवस्था की जा रही है । इसके अलावा, बेतार संचार व्यवस्था उपलब्ध करने के लिये एक व्यापक योजना अमल में लाई जा रही है । इस योजना से तस्कर-व्यापार विरोधी कार्यालयों के बीच संचार के गुप्त, विश्वसनीय और तत्काल साधन उपलब्ध होंगे ।

6. दमण और सूरत के आस-पास के क्षेत्रों में, जहां तस्कर-व्यापारी कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर रहे थे, वहां केन्द्रीय आरक्षण पुलीस की कम्पनियां तैनात कर दी गई है। जब कभी कोई विशेष सूचना मिलती है और आस-पास नौसेना के जहाज उपलब्ध होते हैं तो सीमाशुल्क कार्यालयों द्वारा तस्कर-व्यापार विरोधी कार्यवाही में मदद करने के लिये नौसेना प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है । कतिपय अन्य प्रतिरोधक उपायों पर भी विचार किया जा रहा है । आयकर प्राधिकारी भी आयकर और धनकर अधिनियमों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही कर रहे हैं ।

7. स्थिति की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभिन्न उपायों की सतत समीक्षा की जाती है ।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव : मंत्री महोदय के वक्तव्य से भी यह स्पष्ट हो रहा है तथा हम सब भी जानते हैं कि देश किस सीमा तक मुद्रास्फिति का शिकार हो रहा है और इसका एक प्रमुख तथा महत्वपूर्ण कारण काला धन है । गत सात आठ वर्ष पहले की तुलना में अब सातआठ गुणा अधिक तस्करी का माल पकड़ा गया है तथा गत वर्ष 35 करोड़ रुपए के मूल्य को तुलना में इस वर्ष 57 करोड़ रुपए के मूल्य का माल अधिकारियों ने पकड़ा है। मेरे विचार से देश में 300 से 400 करोड़ रुपए के मूल्य का माल तस्करी में आता है । इस से देश को केवल विदेशी मुद्रा की ही नहीं प्रत्युत सीमाशुल्क की भी बड़ी हानि होती है । इस प्रकार सरकार को घाटे की वजह व्यवस्था में वृद्धि करनी पड़ रही है ।

फिर इस तस्करी के माल से होने वाली आय पर आयकर भी नहीं मिलता और इस प्रकार यह काला धन बढ़ता जा रहा है ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि अधिकांश तस्करी हमारे तटवर्ती क्षेत्रों में हो रही हैं और हमारी तटीय सीमा बहुत लम्बी है । मंत्री महोदय की यह विवशता बड़ी ही भयप्रद है ।

एक माननीय सदस्य : वह तो सत्याग्रह करना चाहते हैं ।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव : यह काम मैं स्वतंत्र दल पर छोड़ता हूँ । मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार बेतहाइत तस्करी में यदि हथियारों की तस्करी भी शामिल हो गई तब क्या होगा ? इससे तो देश की सुरक्षा को ही खतरा पैदा हो जायेगा । सब जानते हैं कि फोरस की खाड़ी के क्षेत्रों में हथियारों का क्रय-विक्रय भी होता है । इसलिये सरकार इस समस्या पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं कर रही है । सरकार ने तो केवल यह कहा है कि उसने नार्वे को एक फर्म को 20 तीव्रगामी मध्यम आकार की नावों तथा बेतार साज-सामाज के क्रयादेश दिये हैं ।

तस्करी केवल कम तथा अधिक मूल्य के बिजक बनाना ही नही है। यह तो देश में काले धन तथा मुद्रास्फिति की स्थिति को बढ़ाये जा रही है तथा देश में एक खतरनाक स्थिती पैदा कर रही है, जिस का राजनैतिक दल पूरा पूरा लाभ उठाने की ताक में है जिसमें देश में शस्त्रास्त्रों की तस्करी भी शामिल है।

[डा० वी० के० आर० वर्दराज राव]

'टाइम्स आफ इंडिया' में उद्धृत श्री गणेश के वक्तव्य के अनुसार देश में कानूनी स्थिति इस प्रकार की है कि उसके द्वारा केवल छोटे छोटे तस्कर ही दण्ड पा सकते हैं, बड़े बड़े तस्कर तो बड़े राजनैतिक और अन्य प्रकार के प्रभाव रखते हैं तथा मजे से मुक्त घुमते फिरते हैं। श्री गणेश ने आगे कहा है कि मैसर्स बर्ड एण्ड कंपनी तथा श्री रिखामे आदि लोगों के मामले वर्षों से न्यायालयों में निर्णयाधिन पड़े हैं। कुछ तस्करों को तो केवल न्यायालय उठ जाने तक का ही दण्ड मिला है। यह भी उन्होंने कहा कि तस्करों की गुप्तचर व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ तथा दोषरहित है और वे लोग सीमा शुल्क अधिकारियों के टेलीफोन तक आसानी से टेप कर लेते है।

श्री गणेश ने आगे कहा कि केवल आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सबंधी अधिनियम की सहायता से ही यह तस्कर कुछ काबू में लाये जा सकते है ।

अब उपरोक्त वक्तव्य की तुलना में यहां सभा में दिया गया वक्तव्य बहुत ही कम जानकारी देता है जबकि मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अधिक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया था।

अब मैं कुछ ठोस प्रश्न पूछना चाहूंगा। मेरा पहला प्रश्न यह है कि यहां से कौन कौन सी वस्तुओं की तस्करी हो रही है? दूसरे, इन छः मास में जो 38 करोड़ रुपये का तस्करी का माल पकड़ा गया है वह क्या है और कहां से आया और आज देश में कितने मूल्य की तस्करी अनुमानतः हो रही है ?

मेरा अगला प्रश्न यह है कि सरकार के अपने सूत्रों तथा स्त्रोतों के अनुसार उक्त तस्करी कैसे होती है ? यह माल कैसे तथा कहां से आता है और कहां पर एकत्रित होता है ? फिर इसमें देश के कौन कौन लोग शामिल हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? साथ ही जिन हमारे मित्र देशों से ऐसा माल आता है उनके साथ इस सबंध में क्या बातचीत की गई है ?

मंत्री महोदय ने कहा है कि ये लोग ऊंचे वर्ग के लोग हैं। क्या वह मुझे बतायेंगे कि ऊंचे वर्ग के लोगों की क्या परिभाषा होती है ? और ऐसे वे लोग कौन हैं ? मेरा अगला प्रश्न...

अध्यक्ष महोदय : वह केवल एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव : मैं एक ही प्रश्न के (क), (ख), (ग) आदि कई भाग बना दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : फिर आप लगातार ही एक प्रश्न पूछिये।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव : यह तस्करो का माल कैसे मिलता है ? सरकार इस माल के विक्रय के स्थान तथा तरीके का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या अब सरकार इतनी विवश हो गई है कि मंत्री महोदय को धरना देने या सत्याग्रह करने को तैयार होना पड़े? क्या वह कानुनों को प्रभावी नही कर सकती ?

यह विवरण सर्वथा संतोषजनक नहीं है। इससे अधिक जानकारी तो पहले ही सबके सम्मुख प्रकट हो चुकी है। क्या सरकार ने इस समस्या के हल के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ? क्या सरकार निकट भविष्य में संसद् को इस बारे में अवगत करायेगी कि उसे अपने प्रयासों में कितनी प्रगति उपलब्ध हुई है।

श्री के० आर० गणेश : मैं तो चाहता था कि अपने प्रयासों द्वारा इस भयंकर समस्या को अधिक प्रभावी रूप से जनता के सामने लाऊं और उसका सहयोग प्राप्त करूं ।

यह सच है कि तस्करी एक गंभीर समस्या है । उस का काले धन के संचालन से गहरा संबंध है । उसके फलस्वरूप हम उत्पादशुल्क, सीमाशुल्क, आयकर आदि से वंचित रह जाते है और साथ ही इस तस्करी के कारण काले धन का उपयोग और उपभोग बढ़ रहा है ।

जहां तक पकड़े गये माल में वृद्धि के कारण की बात है, वह एक तो यह है कि गत वर्षों में तस्करी भी अधिक हुई है तथा यह कि तस्करी विरोधी अभियान भी तेज किये गये हैं ।

तस्करी कितने मूल्य की हो रही है, इसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन है परन्तु वर्ष 1971 में कौल समिति ने यह अनुमान 160-170 करोड़ रुपए का लगाया था । इस बीच संभव है इसमें और वृद्धि हुई हो ।

अब दो तीन बातें समझने की हैं । एक तो यह कि किसी व्यक्ति द्वारा जहाज अथवा विमान द्वारा माल को तस्करी को अवैध कार्यवाही नहीं माना जाता है । यह स्थिति 10-15 साल पहले थी । अब एक पड़ोसी देश से तीव्र गति वाली नावों में माल की तस्करी, हमारे देश में होती है । एक एक नाव पर 50-50 लाख रुपए के मूल्य का सामान होता है । इस देश के अपने कानून हैं । वे इसे तस्करी नहीं समझते । यह माल भारी मात्रा में हमारी तटीय सीमाओं में आ जमा होता है । इस प्रकार यह समस्या बहुत गंभीर हो गई है । तस्करी एक सुसंगठित उद्योग का रूप धारण कर चुकी है तथा इसमें हजारों लोग मछुवे, श्रमिक आदि आदि ढुलाई परिवहन आदि के काम में लगे हुए हैं, क्योंकि यह काम बड़े पैमाने पर होता है । फिर भी इस तस्करी को वृद्धि की सारी जिम्मेदारी सरकार की ही है । मैं इस विभाग का अध्यक्ष होने के कारण इस दायित्व से बच नहीं सकता । मैं आपको इन तस्करों के आर्थिक तथा अन्य स्त्रोत बताता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : आपने केवल समुद्रीय क्षेत्रों में तस्करी का जिक्र किया है जबकि इससे कई गुना अधिक दूसरे क्षेत्रों में हो रही है । मुझे तो डर है कि कहीं वे लोग यहां तक न पहुंच जायें ।

श्री के० आर० गणेश : इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए हमें उन तस्करों का पर्दाफाश करना है जो कुछ वर्षों से पर्दे में रहकर काम कर रहे हैं तथा संरक्षण पा रहे हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप लोग इसका अभिप्राय अन्यथा मत लीजिये । वह अपनी या किसी अन्य की ओर से संरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं ।

श्री के० आर० गणेश : इस समस्या के और पहलू हैं । इसीलिये मैंने प्रेस का सहारा लिया था । मैं इस संबंध में जनमत तैयार करना चाहता था और जब मुझसे कहा गया कि क्या आप इसके लिये सत्याग्रह भी करेंगे तो मैंने कह दिया कि मुझे इसमें भी आपत्ति नहीं है। अतः मेरा उद्देश्य उन लोगों का पर्दाफाश करना है जिन्होंने कुछ वर्षों में काफी संपत्ति और प्रभाव प्राप्त कर लिया है । इन लोगों को जब कभी भी आयकर विभाग ने पकड़ा या सीमा-शुल्क अधिकारियों ने पकड़ा है, तो इन लोगों ने देश की सर्वोत्तम कानूनी प्रतिभा का सहारा प्राप्त किया है । इसलिये यह जनमत तैयार किया जाये कि ऐसे लोग तस्करों को सहायता...

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को बोलने दीजिये । उन्होंने इस संबंध में आश्चर्यजनक अनुसंधान किया है । हमें प्रसन्नता है कि इस ओर उन्होंने तथा डा० वी० के० आर० बी० राव ने जनता का ध्यान आकर्षित किया है । परन्तु मंत्री महोदय कृपया संक्षेप में बोलें ।

श्री के० आर० गणेश : जी हां, मैं संक्षेप में बोलूंगा ।

इस समय देश में स्वर्ण की तस्करी होती है । पहले इसके मूल्य बहुत बढ़ गए थे । परन्तु अब कम है । इसके अतिरिक्त सिंथेटिक कपडे, यार्न, घड़ियां, इलैक्ट्रानिक सामान, टेप रिकार्डर तथा अन्य मशीनी साज सामानों की तस्करी हमारे देश में होती है, जिनका मूल्य कौल समिति के अनुसार लगभग 160 से 170 करोड़ रुपए है ।

ऐसे सामान को पकड़ने के बाद हम विभिन्न सरकारी संस्थानों, राष्ट्रीय सहकारी महासंघ, प्रतिरक्षा तथा पुलिस केन्टिनों के माध्यम से विक्रय कराते हैं । इसकी एक प्रक्रिया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसे सामान का क्या होता है जो पकड़ा नहीं जाता, परन्तु खुले रूप से बम्बई में बिक रहा है ?

डा० हेनरी आस्टिन : उनको बेचने की बजाये उसी समय नष्ट क्यों नहीं कर दिया जाता ?

अध्यक्ष महोदय : उसे यहां संसद में लाया जाये ।

श्री के० आर० गणेश : यह पुछा गया है कि जो माल पकड़ा हीं जाता परन्तु विभिन्न स्थानों पर बिकता हुआ पाया जाता है उसके संबंध में क्या कार्यवाही की जाती है । इस वस्तुओं को बेचने वालों के घरों पर छापे मारे जाते ह । उन्हें गिरफतार किया जाता है और उनपर मुकदमें चलाये जाते हैं । लेकिन ऐसा करने से ही समस्या का समाधान नहीं होता ।

इस चुनौति का सामना करने के लिये सरकार सीमाशुल्क विभाग को सुदृढ़ कर रही है । सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा आयकर विभाग के बीच इसके लिये तालमेल है । निवारक नजरबन्दी कानून को इस प्रकार के लोगों पर लागू करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।]

हाजी मस्तान देश का सबसे बड़ा तस्कर व्यापारी है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उसकी रक्षा कौन करता है ?

श्री के० आर० गणेश : इसके अतिरिक्त श्री युसुफ पटेल तथा सुकर नारायण भी देश के बड़े बड़े तस्कर व्यापारी हैं । आयकर विभाग इनके आयकर सम्बन्धी मामलों की जांच कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह भेदभाव क्यों ? आपने पंजाब का नाम नहीं लिया ।

Shri Bhagatram Rajaram Mauhar (Janjgir) : All types of people are involved in smuggling. This is a serious problem.

Black money is playing a great rol in encouraging the smuggling. I want to know whether the smugglers are running parallel Government and economy? How is the Government going to fight this evil? Secondly, when the social and economic offences courts for checking this evil would be set up? Thirdly, how many persons have been involved in such offences have been arrested under MISA. ? Also is there any coordination among Army, Police, Income Tax authorities, BSF and Finance Deptt. for checking this evil? Who is responsible for the sale of smuggled goods in Kolaba area of Bombay?

श्री के० आर० गणेश : यह बात सच है कि कुछ तस्कर व्यापारी ऐंटीसिपेटरी बेल पर छूट जाते हैं । ये लोग साधन सम्पन्न हैं और उनके पास ट्रक तथा मोटरें हैं तथा बहुतसे लोगों को उन्होंने इस काम में लगा रखा है । इस बुराई को रोकने के लिये सम्बन्धित विभागों के बीच तालमेल स्थापित किया गया है ।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसके लिये जनमत तैयार किया जाना जरूरी है । यह एक गम्भीर समस्या है । इन लोगों के घरों पर छापे मारे जाते हैं तथा इन्हें गिरफ्तार किया जाता है ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तुपुजा) : तस्कर के व्यापार के बारे में हर व्यक्ति जानकारी रखता है । लोक तथा सरकार इस बात को जानते हैं कि तस्कर व्यापारी कौन कौन है । खेद की बात है कि सरकार इन लोगों के पकडने तथा सजा देने में असहाय है ।

मैं जानना चाहता हूं कि 1967 मे प्रस्तुत सीमा शुल्क जांच समिति के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही कि गयी है ?

श्री के० आर० गणेश द्वारा दिया गया वक्तव्य निर्जीव तथा औपचारिक है । वक्तव्य में कहा गया है कि 200 करोड़ रुपए की वस्तुओं का तस्कर व्यापार किया गया । यदि ऐसा है तो यह व्यापार अवश्य तेज़ गति से चलनेवाली किश्तियों द्वारा किया गया होगा । इन्होंने अपने वक्तव्य में सदन के सामने इस बारे में कोई भी ठोस रहस्य नहीं रखे ।

मंत्री महोदय ने कहा है की बड़े बड़े तस्कर व्यापारियों ने राजनैतिक संपर्क बना रखे हैं यदि ऐसा है तो जनमत तैयार किये जाने का क्या अर्थ है ? जनमत तो पहले ही इसकी कटु निंदा करता है । अब अंतरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम को लागू करने की बात की जा रही है । लेकिन इस कार्यवाही का कौन विरोध करता है ? मंत्री महोदय को हमें बताना चाहिये कि इसे लागू करने में क्या बाधा है ?

यदि सरकार की इच्छा हो तो समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है । लेकिन क्या सरकार की ऐसी इच्छा है भी ?

यह एक गम्भीर समस्या है । हमें तस्करी के माल का तिरस्कार करना चाहिये और पकड़े गये माल को फेंकना चाहिये । हमें कुछ इस प्रकार के कदम उठाने चाहियें ।

मंत्री महोदय ने एक भारतीय द्वारा 23 किश्तियों के रखे जाने की बात की है । यदि सरकार को इस बात की सूचना मिली है तो इस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

तस्कर व्यापार देश की सुरक्षा के लिये भी खतरा पैदा कर रहा है । तस्करी की वस्तुओं के नाम पर क्या बम इस देश में नहीं आ सकते ? क्या इसके द्वारा जासूसी गतिविधियां नहीं बढ़ सकतीं ? इसिलिय मैं कहता हूं कि यह एक गम्भीर समस्या है । मैं इन बातों के बारे में मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

श्री के० आर० गणेश : मैं इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि यह एक गम्भीर समस्या है। तिवारी समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिसें कार्यान्वित की जा चुकी है । यह प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

इस समस्या का समाधान करने के लिये हम निवारक समाहर्त्ता कार्यालयों को सुदृढ़ कर रहे हैं तथा कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान कर रहें हैं । मैंने जनमत तैयार करने की बात कही है, जिसे माननीय सदस्यों ने गलत समझा है । मेरा तात्पर्य यह नहीं था कि लोगों को

[श्री के० आर० गणेश]

इस बुराई की जानकारी नहीं है । इस बारे में दोनों सदनों में चर्चा हो चुकी है और कई पत्रिकाओं में प्रमुख तस्कर व्यापारियों भी जीवनचरित्र भी प्रकाशित हुए हैं । तस्कर व्यापार हमारे देश के सामाजिक जीवन के लिये घातक सिद्ध हो रहा है । जीवन की एक नई प्रणाली उभर रही है । नंगी फिल्में लाई जा रही हैं और कामोत्तेजक संगित के रिकार्ड वगैरह लाये जा रहे हैं । **(व्यवधान)**

श्री दिनेश सिंह : आप सम्बद्ध लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते ?

श्री के० आर० गणेश : बम्बई के बाजारों में विभिन्न बेनामी व्यक्तियों के नामों से ऐसी चीजें लोगों के पास हैं । कुछ ऊंचे लोग भी उन्हें संरक्षण देते हैं । प्रश्न यह है . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से कहुंगा कि वे माननीय सदस्यों के प्रश्नों का संक्षिप्त में उत्तर दें । आप मूल प्रश्न को पकड़े और उसका उत्तर दें, विस्तार में मत जायें ।

श्री के० आर० गणेश : आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम का तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध लागू करने के बारे में विधि-आयोग की सिफारिशें मैं बता चुका हूं ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : तस्कर व्यापार में बड़ी प्रगति हुई है लेकिन सरकार ने इस व्यापार को रोकने में अपनी असमर्थता सिद्ध की है । सदन को सरकार ने तस्कर-व्यापार की वृद्धि के बारे में समय समय पर कोई जानकारी नहीं दी है । इस व्यापार की वृद्धि का मंत्री महोदय ने यह कारण बताया है कि हमारी तटवर्ती तथा हिमालयी सीमायें खुली हैं । प्रतिवर्ष विश्वविद्यालयों से हजारों स्नातक निकलते हैं । तस्कर व्यापारी इन स्नातकों को रोजगार प्रदान करते हैं क्योंकि उन छात्रों को अन्यत्र इतनी आय वाला रोजगार नहीं मिलता । सरकार हजारों बेरोजगार स्नातकों की सेवाएं तस्कर व्यापार को रोकने के लिये प्राप्त कर सकती है । नौसेना को तस्कर व्यापार को रोकने के लिये उपयोग में लाना देश के लिये घातक होगा । विधि आयोग ने सिफारिश की है कि आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम को तस्कर-व्यापारियों पर लागू करने के लिये संवैधानिक संशोधन किया जाय ।

मंत्री महोदय ने इस बात को माना है कि तस्कर व्यापारियों ने राजनैतिक सम्पर्क बना रखे हैं । देश में करोड़ों रुपए का तस्कर व्यापार होता है । हर व्यक्ति प्रमुख तस्कर व्यापारी के नाम जानता है । लोग उनकी सहायता करते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं और फिर भी उन्हें आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता । इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्दोष विद्यार्थी गिरफ्तार किये गये हैं । मंत्री महोदय ने धरना देने की बात की है । क्या हम उनकी बात पर विश्वास करें ? तस्कर व्यापारी सभी आधुनिक साधनों से सम्पन्न हैं । उनके पास संचार और राडार की सभी सुविधाएं तथा साधन हैं । तस्कर व्यापार और राजनीति के बीच सम्पर्क के कारण ही तस्कर व्यापार प्रगति कर रहा है ।

तस्कर व्यापारियों ने सत्तारूढ़ दल को धन दिया है और उनमें से कुछ प्रधान मंत्री से भी मिले हैं । इस बात का खंडन किया गया है ।

प्रधान मंत्री ने तस्कर व्यापारी से मिलने की बात का इस सदन में खंडन किया है । क्या सरकार सचमुच तस्कर व्यापार को रोकना चाहती है ? इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिये ।

श्री के० आर० गणेश : विमानों का तस्करी रोकने के लिये प्रयोग में लाने के प्रश्न पर डा० बी० डी० नागचौधरी की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने विचार किया था । उसने यह

निष्कर्ष निकाला था कि परम्परागत विधान का प्रयोग किया जाना चाहिये । अतः नार्वे से मध्यम आकार के 20 विमान खरीदने की कार्यवाही की गई थी । ये विमान आसानी से उपलब्ध नहीं होते और उनके मिलने में समय लगा है । हम उनका परीक्षण करना चाहते हैं । परीक्षण करने के पश्चात्, शेष विमानों के लिये ऋयादेश दिया जायेगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को गिरफतार करने के लिये आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम को लागू करने में अब तक तो कोई कठिनाई नहीं थी।

श्री के० आर० गणेश : सरकार विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही कर रही है । हम इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं ।

बिहार के मंत्री के बारे में भी उल्लेख किया गया है . . .

श्री पीलू मोदी : मैंने बिहार के मंत्री के बारे में नहीं कहा ।

श्री के० आर० गणेश : आपने केन्द्रीय मंत्री के बारे में कहा था । मेरे विचार से यह मामला इतना गंभीर नहीं है कि मैं इसका खंडन करूं । जहाँ तक तस्करी से उत्पन्न समस्या का सम्बन्ध है, इस दिशा में सरकार ने कदम उठाए हैं तथा उठाएगी । प्रवर्तन एजेंसियों तथा सीमाशुल्क विभाग को सशक्त बनाया गया है, उन्हें उपकरण दिये गये हैं तथा अन्य अनेक उपाय किये गये हैं । इस दिशा में आपका और सीमाशुल्क विभागों का सहयोग लिया गया है तथा कानूनों में भी संशोधन की व्यवस्था है । अतः आशा है कि तस्करी-विरोधी गतिविधियों को समाप्त कर दिया जायेगा ।

भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के अधीन विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों के कथित उत्पीडन के बारें में वक्तव्य

STATEMENT RE : ALLEGED VICTIMISATION OF EMPLOYEES IN VARIOUS OFFICES UNDER THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अधीन आनेवाले विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों पर कथित अत्याचार के संबंध में, 9 अगस्त, 1974 को इस सदन में एक वक्तव्य दिया था । मैंने नियत्रंक महा-लेखा परीक्षक से जो जानकारी हासिल की है, उसके अनुसार इस मामले के तथ्य निम्न प्रकार है :—

(1) 1 मई, 1974 को अखिल भारतीय अराजपत्रित लेखा परीक्षा तथा लेखा संघ ने हड़ताल पर जाने के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक को नोटिस दिया । यह नोटिस 10 मई, 1974 को प्रातःकाल 6 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के संबंध में था । इसके पूर्व 8 तथा 9 मई को 'कलम रोको' हड़ताल की जानी थी।

(2) इस हड़ताल से देश के लगभग 20 लेखा-परीक्षा तथा लेखाकार्यालय प्रभावित हुए । राजकोट तथा ग्वालियर के कार्यालयों में, कुछ हड़तालो कर्मचारियों ने डराने-धमकाने और हिंसा की गंभीर वारदातों में हिस्सा लिया जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया । यह हड़ताल 13 मई, 1974 को वापस ले ली गई ।

(3) हड़ताल में भाग लेने के फलस्वरूप, 'कलम रोक हड़ताल' एवं पूर्ण हड़ताल के दिनों के लिये 'काम नहीं तो वेतन नहीं' सिद्धांत के अनुसार लगभग 6,000 कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई । चूंकि अनिश्चित हड़ताल का नोटिस दिया जा चुका था और कर्मचारी 13 मई, 1974 को काम पर लौटे, अतः उन्हें 13 मई, से आगे का वेतन दिया गया तथा हड़ताल की समूची अवधि के लिये वेतन में कटौती की गई, जिसमें 11 तथा 12 मई की छुट्टियां भी शामिल थी । वेतन में कटौती से प्रभावित लगभग 6,000 कर्मचारियों में से, 3,636 कर्मचारियों के संबंध में सेवा में व्यवधान के आदेश दिये गये हैं । वेतन में कटौती तथा सेवा में व्यवधान से प्रभावित कुछ मामलों का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

[श्री यशवंतराव चव्हाण]

(4) कुछ कर्मचारियों द्वारा डराने-धमकाने तथा हिंसा की कार्यवाही किये जाने के कारण प्रशासकीय प्राधिकारियों को अनुशासनात्मक कर्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ा तथा 170 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है ।

(5) अखिल भारतीय अराजपत्रित लेखा-परीक्षा तथा लेखा संघ तथा उससे सम्बद्ध जिन-जिन यूनिटों में हड़ताल हुई थी, उनसे हड़ताल का नोटिस मिलने के फलस्वरूप, उक्त संघ तथा यूनिटों को यह कारण बताने के नोटिस दिये गये कि मान्यता सम्बंधी शर्तों का उल्लंघन करने के कारण उनकी मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय । मान्यता समाप्त करने के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The statement of the Finance Minister is not satisfactory. We should be given an opportunity to have a discussion for a short time.

Mr. Speaker : Let him give a notice.

Shri Atal Bihri Vajpyee : Notice has already been given.

Mr. Speaker : We will have a discussion then. I have no objection to allowing the discussion.

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
MATTER UNDER RULE 377

दिल्ली में अनाज व्यापारियों द्वारा राजधानी को गेहूं के मामले में भूखा मारने के षड्यंत्र का समाचार

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय ! मैं आज के पेट्रियट में "कांस्पिरेसी टै स्टार्व केपिटल आफ व्हीट" शीर्षक से प्रकाशित अत्यंत चिंताजनक समाचार के बारे में एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूँ ।

महोदय ! सम्भवत: आपको ज्ञात होगा कि कल बाजार में एक किलो गेहूँ या आटा भी उपलब्ध नहीं था । समाचारपत्रों के अनुसार ये बड़े व्यापारियों का षड्यंत्र है, क्योंकि उन्होंने मंडी से गेहूँ उठाने से इनकार कर दिया तथा किसानों की धनराशि दिये जाने के समाचार है जिससे वे गेहूँ न बेचें । इससे बहुत-सा खाद्यान्न खराब हो गया है जिसे पशुओं को खिलाया जा रहा है । यह भी समाचार है कि चोरबाजार में गेहूँ का भाव अगस्त के प्रारभ में 275 रुपया क्विंटल हो गया ।

[(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

कल्याण गेंहू का भाव 250 रुपए से 270 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि उसका मूल्य 160 रुपया निर्धारित किया गया है । नार्थ एवेन्यु और साउथ एवेन्यु में जब संसद् सदस्यों को गेहूं आटा और चावल उपलब्ध नहीं है तो आम जनता की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है । यह सब कुछ दिल्ली में व्यापारियों द्वारा जान-बूझकर किया जा रहा है ।

राजस्थान के सीमावर्ती स्थान अलीपुर में खाद्यान्न उपलब्ध है । दिन में अवश्य खाद्यान्न के लाने-ले-जाने पर प्रतिबन्ध है किन्तु रात में कोई प्रतिबन्ध नहीं है क्योंकि अधिकारियों को लेदेकर लोग खाद्यान्न ले जाते हैं । आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई है। मोटे अनाज का मूल्य 15 से 20 रुपया तक बढ़ गया है । दालों के भाव 10 से 27 रुपया तक तथा चीनी का भाव 50 रुपया तक बढ़ गया है । मुद्रास्थिति को रोकने के लिये बड़ी-बड़ी

बातें करने के बावजूद यह स्थिति है। जो लोग भूख से पीड़ित है तथा जिन श्रमिकों को भर-पेट भोजन नहीं मिल रहा, मैं उनकी ओर से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इस समस्या की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाय। मैंने स्वयं कही दुकानों पर जाकर देखा है तथा मैंने दूकानदारों को यह नहीं बताया कि मैं संसद सदस्य हूं। मुझे भी एक किलो गेहूं नहीं मिला। यह व्यापारियों का षड़यंत्र है तथा वे गेहूँ के मूल्य में वृद्धि कराना चाहते हैं। मेरा अनुरोध है कि ऐसे व्यक्तियों को 'मीसा' के अधीन गिरफ्तार किया जाना चाहिये। ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करके दिल्ली के गलियों में घुमाया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, I gave a notice...

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम इस सूची में नहीं है। अब मंत्री महोदय की बात सुन लीजिये (**व्यवधान**) मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : ** (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : महोदय ! मैं दिल्ली में खाद्यान्न सप्लाई के बारे में माननीय सदस्यों की गलत धारणा को दूर करना चाहूंगा। 1971 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या 40,65,000 थी और अब 46,61,000 होने का अनुमान है। दिल्ली को प्रतिमास 35,000 टन गेहूँ भी 4,000 टन चावल सप्लाई किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली को अनियंत्रित चावल भी उपलब्ध है। पंजाब और हरियाणा जोन का अंग होने के कारण, दिल्ली में मोटे अनाज के लाने-ले-जाने पर भी प्रतिबंध नहीं है।

दिल्ली प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा से 36,000 टन गेहूँ लिया है जिसमें से 12,000 टन गेहूँ एन० ए० एफ० ई० डी० की सहायता से दिल्ली लाये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, पंजाब और हरियाणा से बिक्री के लिये 23,000 से 24,000 टन तक गेहूं मंगाया जाएगा। अतः खाद्यान्न की कमी की कहानी सच नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह ईमानदारी से बता रहा हूँ कि दिल्ली में लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनका क्या हाल है, क्योंकि बाजार में तो गेहूँ मिलता नहीं है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यदि वे दिल्ली के बाशिन्दे हैं तो वे राशन कार्ड बनवा लें। इस बार यदि किसी को कोई कठिनाई है तो हम दिल्ली प्रशासन से बातचित करने को तैयार है। दिल्ली में 58 लाख यूनिटों के लिये राशन कार्ड बने हुए हैं, उसमे कुछ जाली भी होंगे।

खाद्यान्न की किस्म के बारे में हमें कुछ शिकायतें मिलीं थीं तथा इस संबंध में हमने दिल्ली प्रशासन से बातचीत की थी। हमने दिल्ली प्रशासन को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाने के बारे में आश्वासन दिया है तथा देश के अन्य भागों की तुलना में दिल्ली क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : सरकार उन व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है जिन्होंने अभाव की स्थिति उत्पन्न की है ?

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : पिछले कुछ सप्ताहों में 1900 छापे मारे गए हैं तथा कई मामले दर्ज किये गये हैं । अत: सरकार पूरी तरह सतर्क है ।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : महोदय ! मैंने नियम 377 के अन्तर्गत नर्मदा नदी में बाढ़ के बारे में मामला उठाने का नोटिस दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को परसों होने वाली चर्चा में उठा सकते हैं ।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : Sir, I have also given a notice. The Chairman of Railway Board has made a statement that the 'break in service' is no victimisation. This is a very serious statement (*Interruption*). I demand that the Railway Minister should clarify the position.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बात की चर्चा रेलवे की अनुपूरक मांगों पर विचार-विमर्श के दौरान कर सकते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : महोदय, मुझे केवल आधा मिनट समय चाहिये । स्वयं प्रधान मंत्री तथा रेल मंत्री द्वारा उस बारे में वक्तव्य दिये जाने के पश्चात् रेलवे बोड के चैयरमैन को उस प्रकार का वक्तव्य देने का क्या अधिकार है? उसने इस प्रकार इस सभा तथा प्रधान मंत्री का अपमान किया है । मेरा निवेदन है कि रेल मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें तथा इस व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये ।

Shri Madhu Limaye : Sir, on the order paper for yesterday, it was mentioned that the Railway Minister would make a statement on 'The financial position of the Railways'. But in the name of financial position, Government is collecting Rs. 140 crores by increasing fares and freights. Was it not proper for the Government to indicate it as "statement on the increase of freights and fares"? The Government has misguided the House. I request you, Sir, that some structure should be passed on them.

Secondly, the matter regarding victimisation of railway employees has been discussed here several times. May I know whether the statement of the Chairman of the Railway Board does not amount to contempt of this House?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : नियम 377 के अन्तर्गत जो मामले उठाए जाते हैं उनका मंत्री को पता होता है तथा उस सम्बन्ध में वक्तव्य आदि दिये जाते हैं। किन्तु यहां बिना नोटिस दिये मामले उठाए जा रहे हैं तथा बहुत से आरोप लगाये जा रहे है तथा सरकार को उनकी कोई जानकारी नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का यह कहना न्यायसंगत है कि इन बातों का कार्यसूची में कोई उल्लेख नहीं है । किन्तु कुछ मामले महत्वपूर्ण होते हैं तथा यदि माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिये थोड़ा-थोडा समय इस प्रकार दे दिया जाये तो सभा का बहुत समय नष्ट होने से बच जाता है क्योंकि यदि उन्हें यह अवसर न दिया जाये तो भ्रांति उत्पन्न हो सकती है तथा वाद-विवाद पर अधिक समय व्यतीत हो सकता है । पहले भी यही प्रथा रही है कि सदस्यों को यह अवसर दिया जाये कि वे महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर सभा का ध्यान दिला सकें । इससे सरकार को समस्याओं की जानकारी मिल जाती है तथा सरकार उनपर वक्तव्य दे सकती है ।

Shri Ramavatar Shastri : The Chairman of the Railway Board has misled the people by giving the Statement...(*Interruptions*).

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अब बैठ जायें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The Government has been curbing the growth of press which started from attack on Searchlight and Pradeep in Bihar. Now power to two Daily papers of Punjab has been cut.

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका ज़िक्र कर चुके हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सदन इसे देख कर चुप नहीं बैठ सकता ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं मंत्री महोदय से वड़ौच तथा उसके आसपास के गाँवों में आयी बाढ़ द्वारा किये गये नुकसान तथा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : कृष्णा जल विवाद के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मेरे विचार में इस पर चर्चा करने के लिये समय निकाला जाना चाहिये ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): 46 houses of harijans in Village Bhander-ka-pura of Tahsil Amla in Morena Dist. were set on fire and women and animals died as a result of that fire. This area is also under the grip of draught. Government should come out with a statement or a discussion should be allowed over this.

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में संविधिक संकल्प और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) ORDINANCE AND ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुका हूं :-

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

यह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा 22 जून, 1974 को प्रस्थापित आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश 1974 का स्थान लेगा ।

विधि-आयोग ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों को और अधिक कठोर बनाने की दृष्टि से अपनी 47वीं रिपोर्ट में इस अधिनियम में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की है। भारत सरकार के मंत्रालय तथा राज्य सरकारों ने भी कुछ संशोधन की सिफारिश की है ।

आर्थिक अपराधों के लिये अब कोई जमानत नहीं ली जायगी और इन्हें अब दांडिक अपराध घोषित कर दिया गया है ।

इससे पहले प्रथम अपराध के मामले में अपराधी को कम से कम दंड देकर छोड़ देने की व्यवस्था थी लेकिन अब जेल की सज़ा ही दी जायेगी । दूसरी बार अपराध करने पर एक महीने की जेल की सजा बढ़ाकर छः महीने कर दी गई है । अधिकतम सज़ा 5 से 7 वर्ष कर दी गई है । इसके अलावा जलपोत, मालवाहक तथा इन अत्यावश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने के अन्य साधनों को भी जप्त कर लिया जायेगा क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो इन्हें फिर प्रयोग में लाया जा सकता है । ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि मुकदमा चला कर तुरन्त निर्णय दिया जाय क्योंकि ऐसा न करने से न्याय नहीं मिल सकता ।

[प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय]

विधेयक में 'दुराशय' की नई व्यवस्था की गई है । पहले 'दुराशय' को सिद्ध करना पड़ता था । अब सुझाव दिया गया है कि इसे मान लिया जाये । जब तक इसके विपरित सिद्ध न हो तो यह माना जायगा कि अपराधी की इच्छा वास्तव में अपराध करने की ही थी। इसीलिए 'दुराशय' को "अनुमान" माना गया है । देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि विशेष कर हाल के महीनों में हुई वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए तथा जमाखोरों, चोर बाजारी करने वालों, मुनाफाखोरों आदि की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सरकार को 22 जून, 1974 को अध्यादेश प्रख्यापित करना पड़ा । वर्तमान विधेयक उसे अध्यादेश का स्थान लेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये ।"

श्री नुरूल हुड्डा (कचार) : सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि संसद् का सत्र जब नहीं चल रहा था तो अध्यादेश जारी करने का क्या औचित्य था । आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से लागू है । इस पर भी आवश्यक वस्तुएं बाजार से गायब हुई हैं तथा इनकी कीमतों में वृद्धि हुई है लेकिन सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये हैं ।

आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कार्य जब तक प्राइवेट एकाधिकारी पूंजीपतियों के हाथ में रहेगा, तब तक इसका कोई चारा नहीं है । मूल्य तो बढ़ते ही रहेंगे । सरकार हमेशा हर मामले में अपनी लाचारी दिखाती रही है ।

विधेयक के अन्तर्गत आर्थिक अपराधों को गैर-जमानती बनाया जा रहा है और मुकदमा चलाकर तुरन्त निर्णय देने की व्यवस्था की जा रही है । परन्तु इन उपबन्धों वाला विधेयक पूर्णतः अपर्याप्त है ।

श्री मोहन धारिया की अध्यक्षता में सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी । आवश्यक वस्तुओं के संबंध में उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

मूल्यों के बढ़ने का मुख्य कारण देश में पूर्णतः एकाधिकारियों का राज्य होना है । जब तक इन वस्तुओं का उत्पादन उनके हाथ से नही लिया जाता और जब तक उत्पादन और मूल्य पर नियंत्रण नही किया जाता तब तक मूल्य वृद्धि को रोका नहीं जा सकता ।

श्री बी० वी० नायक : गेहूँ के व्यापार के एकाधिकारी कौन हैं **(व्यवधान)**

श्री नुरुल हुड्डा : कई बार यह सुझाव दिया गया है कि हम सब से पहले बेचने के लिए फालतू अनाज उन जमींदारों से ले लें जिनके पास 30 बीघे से अधिक भूमि है और फिर प्रभावकारी वितरण की व्यवस्था की जाय । तभी अनाज बाजार में उचित मूल्यों पर मिल सकता है ।

जब तक लालची और एकाधिकारियों और जमींदारों पर रोक नहीं लगाती, जब तक सरकार इन जमींदारों से फालतू बेचने योग्य अनाज वसूल करने के लिये कठोर उपाय नहीं करती तब तक यह अधिनियम प्रभावकारी सिद्ध नहीं होगा । वास्तव में सरकार की मुद्रा संबंधी नीतियां ही गलत हैं । सरकार को अपनी मूल आर्थिक नीतियों को वसूली और सार्वजनिक वितरण के सम्बन्ध में बदलना चाहिये । जब तक नीतियों में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक मूल्य वृद्धि नहीं रुकेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हुड्डा ने कृषि मंत्रालय तथा राज्य सरकारों की आलोचना की जो इस विधेयक के विषय से संगत नहीं है । फिर भी, मैंने उन्हें कुछ अधिक समय तक बोलने की अनुमति दी क्योंकि इस विधेयक के संशोधन पर विचार करते समय मूल्य वृद्धि रोकने संबंधी सरकार की विभिन्न असफलताओं का जिक्र किये बिना काम नहीं चलता । मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाता हूं कि समय बहुत थोड़ा है और प्रत्येक माननीय सदस्य पांच मिनट से अधिक समय न ले ।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी :(गोहाटी) : मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं । देश में व्याप्त आर्थिक संकट को दृष्टि में रखते हुए अध्यादेश के संबंध में विपक्ष का आरोप निराधार हो जाता है ।

काले धन अथवा मुनाफाखोरी की बुराई को केवल कानूनी वैधानिक उपायों से ही दूर किया जा सकता है । इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये इसे लागू करने के तंत्र को सुधारा जाना चाहिये । विधेयक एक तदर्थ उपाय है तथा विधि-आयोग द्वारा अपने 47वें प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों पर आवश्यक विचार नहीं किया गया है । मामलों को निपटाने में होने वाली देरी को समाप्त करने के संबंध में विधेयक में कोई उपबंध नहीं किया गया है । जहां तक आर्थिक अपराधों का सम्बन्ध है, उन्हें तदर्थ उपाय के द्वारा हल नहीं किया जा सकता । विधि-आयोग की सभी सिफारिशों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये ।

कहा गया है कि विधेयक का मूल उद्देश्य दंड को बढ़ाना है । परंतु इससे बढ़ने कि बजाय दंड घटेगा क्योंकि खाद्यान्नों, औषधियों, सूती और ऊनी कपड़ों संबंधी अपराधों के बारे में तुरन्त निर्णय देकर केवल एक वर्ष का दंड दिया जायेगा ।

दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन एक न्यायीक मजिस्ट्रेट तीन वर्ष तक का दंड देने के लिये सक्षम है । मजिस्ट्रेट को पहले यह निर्णय करना होगा कि वह एकदम निर्णय नहीं कर रहा क्योंकि दंड अधिक होगा । फिर यदि वह निर्णय करता है कि दंड तीन वर्ष से अधिक हो तो वह उसके लिये सक्षम नहीं होगा । इसस मामलों को शीघ्र निपटाने के प्रयास विफल हो जायेंगे । इस विधेयक के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट को सात वर्ष तक का दंड देने के अधिकार होने चाहिए क्योंकि यह एक विशेष विधेयक है ।

मेरी मुख्य आपत्ति यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता में जहां मिजस्ट्रेट को जुर्माने का दंड देने की शक्ति, अर्थात् उसकी राशि बढ़ाने की शक्ति में वृद्धि कर दी गई है वहां कारावास की अवधि में वृद्धि नहीं की गई है और यह शक्ति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ही रखी गई है । अतः संशोधन से वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा ।

धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन आवश्यक वस्तुएं जब्त करने की शक्ति पहली बार दी गई है परन्तु मूल अधिनियम की धारा 6(ग), जिसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है के अनुसार इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है । अतः मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन दोनों उपबन्धों को आपस में जोड़े नहीं तो अपील मान लिये जाने पर गड़बड़ हो सकती है।

अब खंड 5 के उपखंड (2) में उल्लिखित जिन परिस्थितियों में जब्ती नहीं की जा सकती उन्हें खंड 6(ग) में क्यों शामिल नहीं किया गया है ?

अपराध-वृति के बारे में उपबन्धों के बारे में मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय उस उपबंध की ओर ध्यान दें जिसमें अपराधी के लिये इस मनोवृत्ति का न होना सिद्ध करना अनिवार्य है । हमें अपराधी की मनोवृत्ति का पता हालात और घटना के स्वरूप ही तो लगता । कोई भी अपना मन खोलकर न्यायालय में कैसे लिखा सकता है ?

[श्री दिनेशचंद्र गोस्वामी]

यद्यपि मैं इस विधेयक में निहित आशय का समर्थन करता हूँ परन्तु लगता है कि दंड की मात्रा बढ़ने के स्थान पर संशोधन विधेयक द्वारा वह शक्ति भी नहीं रहेगी जो इस समय न्यायलयों के पास है । क्योंकि अधिकांश मामलों में तुरन्त सुनवाई के पश्चात् अधिकतम दंड एक वर्ष तक का ही दिया जा सकेगा । अतः जब तक आप न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अतिरिक्त शक्तियां न दें या विधि आयोग की उस महत्वपूर्ण सिफारिश के अनुसार सभी आर्थिक अपराधों के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना न की जाये, यह स्थिति ठीक नहीं हो सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गोस्वामी ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं । आशा है मंत्री महोदय उनकी ओर ध्यान देंगे ।

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa): Through this Bill, Government have tried to rectify the lacunae in the existing Act.

The best amendment sought to be made in the Act is the replacement of fine or penalty by imprisonment and all economic offence have been made non-bailable offences... (*Interruptions*) In the present context of rising-prices and black-marketing, I think the present Bill will go a long way in steming the rot.

I do not agree with the points raised by my freind, Shri Goswami. The introduction of summary trials in economic offences is a welcome step, because only through speedy disposal of such cases, we can make a dent into the nefarious activities of anti-social elements moreover, such crimes of serious nature may not be disposed of by Summary trial at the discretion of the trial Judge.

I have not been able to appreciate the provision of clause 12(6). For the words "grant an injuction" the words "take cognizance of such a suit" should be substituted.

I agree with Shri Goswami that the power to confiscate goods and seize the carriers should vest in only one authority and not two as proposed, otherwise, the main culprit may get acquittal, while his collaborator, the owner of the carrier may get convicted and this may result in a very funny situation.

I hope the hon. Minister will consider these points and do the needful.

Shri K. M. Madhukar (Kesaria): Sir, I am sorry to say that inspite of the big and loud talk of eradicating black-marketing and other social evils, we have not seen any stern Governmental action which might have achieved its cherished goal and as a layman I feel that there is a big gulf between what Government professes and what law provides.

After all why there is famine of all the daily necessities of life? I feel that Government is mainly to be blamed for this and because our economy has been linked with capitalist world market, this has resulted in capitalistic progress that is to say people have earned not simple profit but super profits and this line has resulted in scarcity and black money has become a parallel economy. Pious wishes are not going to solve this problem. Transfer of honest officials and surrender of the policy of wholesale grain trade are instances which point the other way— the way in which Government has proved to be hand in glove with these anti-national elements.

Today the situation has become explosive and I warn the Government that it will not only end capitalism but dethrone the Government itself. Therefore, I feel that hoarders and black-marketeers should be awarded capital punishment as shri Nehru used to muse before independence. But I am sorry to say that insated of bringing them to book, those very poeple are lathi-chrged and fired upon who try to deboard essential commodties. The incidents of Bombay and Bihar are instances in point.

The solution of the present situation does not lie in making a penal provision only but in taking over the entire marketable surplus and entire stocks of all essential commodities. Farmers should be provided with all the inputs at fixed rate. Credit policy of banks to big industrialists should be revised. Forward trading should be banned. Nationalisation of Sugar Cloth and Vanaspati industries and distribution of all essential goods through the public distribution machinery should be introduced. Dharia Committee's recommendation should be implemented. Popular movement should be encouraged rather than crushed.

In the end I appeal to Government to rectify the defects in the relevant legislation and bring a comprehensive bill so that we may also extend our support to that.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : यद्यपि मंत्रियों आदि ने भी जनता के साथ जमाखोरों और मुनाफाखोरी आदि समाजविरोधी तत्वों के विरुद्ध अपना रोष व्यक्त किया है, फिर भी इस विधेयक में उनको पर्याप्त दंड देने की व्यवस्था नहीं है । यद्यपि इस संशोधन द्वारा उनके अपराधों को अब जमानतयोग्य नहीं रहने दिया गया है, फिर भी इस से उनकी गतिविधियों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रखा जा सकेगा क्योंकि नई दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कोई भी व्यक्ति जिसे गिरफ्तारी का भय हो, अपनी जमानत करा सकता है और बाद में पकड़े जाने पर छूट सकता है । अतः नया उपबन्ध कोई विशेष प्रभावी नहीं होगा । अतः मेरा मंत्रीमहोदय से अनुरोध है कि वह इन उपबन्धों को इतना प्रभावी बनायें कि अपराधी ये अपराध करने से पूर्व हजारबार सोचने पर बाध्य हो जाएं ।

मेरा अनुरोध है कि पहले अपराध में दंड की अवधि 3 मास के स्थान पर छः मास होनी चाहिये क्योंकि किसी भ्रष्ट दंडाधिकारी द्वारा अपराधी को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सकता है ।

अब अपराधी के माल को जब्त करने और उसके वाहन या पात्र आदि को जब्त करने के अधिकार भिन्न-भिन्न अधिकारियों को दिए गए हैं । यह गलत है और इस संबंध में मैंने संशोधनों की सूचना भी दे रखी है । इस के अनुसार यदि किसी मामले में मुकदमा दायर किया गया हो तो उन वस्तुओं के संबंध में कलेक्टर कोई आदेश नहीं दे सकेगा और इस संबंध में न्यायालय का आदेश कलेक्टर पर बाध्य होगा । ऐसे मामलों में जहाँ मुकदमा नहीं चलाया गया अथवा चलाया जा सकता तो कलेक्टर को ऐसी वस्तुओं को जब्त करने का अधिकार होना चाहिए । अन्य मामलों में, जहाँ पर मुकदमा न्यायालय में है, तो यह आदेश न्यायालय द्वारा ही दिया जाए तथा कलेक्टर का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होना चाहिये ।

सरकार का समुचा उद्देश्य दुराशय के प्रमाण के अभाव में बरी होने वाले व्यक्तियों के मामलों की संभावना समाप्त करना है । किन्तु इस संबंध में विधेयक का प्रारूप विशेष रूप से अच्छा नहीं है तथा संशोधित किए जाने वाले उपबन्धों से कहीं अधिक बाधा उपस्थित करने वाले है । आप इस धारा (वर्तमान विधेयक छटी धारा) द्वारा स्थिती का समाधान नहीं कर सकते । सरकार खंड 7(ग) में अन्य नियम बनाकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकती । मेरा अनुरोध है कि सरकार इस कानून को और कठोर बनाए ताकि उसके शिकंजे से बड़े लोग भी न बच सकें ।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : Mr. Deputy Speaker, Sir the present Bill has been orought to remove the short-comings of the original legislations. Its main objective is that essential commodities should be made available to the common man during the times of shortages and scarcity.

I appreciate the views of the hon. member Shri Joshi. If the opposition Members come out with good suggestions, which are in the interest of this country, we should accept them.

श्री दिनेशचंद्र गोस्वामी पीठासीन हुए ।

SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI *in the Chair.*

[Shri Ram Singh Bhai]

It is regrettable that although certain essential commodities are not in short supply yet they are not available in the open market. These very commodities can be had in plenty if one can afford to pay a premium price. The reason is that our distribution machinery is not adequate. Our distribution machinery is not adequate because the employees which are running it are corrupt and inefficient. How can we expect an inefficient distribution machinery to cater to the needs of our population. Government should take effective steps to improve the distribution system.

I think no useful purpose would be served by making the provisions more stringent what is needed is proper and right implementation of the provisions.

The common man is groaning under the burden of shortages and rising prices. The Government has opened some fair price shops in the tribal areas. But what is the use of taking so much pains when essential commodities are not available there. The Government should see that essential commodities are made available to people at reasonble prices

*श्री ए० दुराईरासु (पैरम्बलूर) : सभापति महोदय, 22 जून 1974 को राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश 1974 लागू किया गया । यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि चालू सत्र के प्रारम्भ होने से एक महीना पहले इस अध्यादेश को लागू करने की ऐसी अविलम्बनीय आवश्यकता क्यों महसूस की गई । मैं वाणिज्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि 22 जून से 22 अगस्त तक कितने व्यापारियों को इस अध्यादेश के अन्तर्गत जुर्म करने हेतु गिरफ्तार किया गया और इस अवधि के दौरान कितनी मात्रा में आवश्यक वस्तुएं जब्त की गईं ।

अनेक ऐसे कानून विद्यमान हैं जिनके अधीन केन्द्र सरकार देश के चोरबाजारियों और मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर सकती है, किन्तु सरकार ऐसा करना नहीं चाहती । केवल विधान बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसका कुशल क्रियान्वयन ही मुख्य बात है । इसके लिए सरकार के पास प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए, जिसका इस सरकार के पास अभाव है । केन्द्रीय सरकार कम से कम उन राज्य सरकारों की बात तो मान सकती है जो ऐसे कानूनों का सख्ती से पालन करवाना चाहती है । तमिलनाडु राज्य सरकार ने राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने हेतु आवश्यक वस्तु (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 1974 केन्द्र सरकार को भेजा है । यह विधेयक अभी भी सरकार के पास पड़ा है ।

केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के सुझावों की परवाह नहीं करती । जुलाई 1973 में तमिलनाडु राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करने का सुझाव दिया था, परन्तु केंद्र सरकार ने उन्हें इस संशोधन विधेयक में शामिल नहीं किया ।

सरकार उन समितियों के सुझावों को भी अमल में नहीं लाती जिन्हें वह नियुक्त करती है । केन्द्रीय योजना आयोग ने आवश्यक वस्तुओं तथा जन उपभोग की वस्तुओं की समस्या पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी । उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है, किन्तु सरकार ने उसकी सिफारिशों को अमल में लाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं । पिछले वर्ष दिल्ली के एक बड़े उद्योगपति को, जिनका नाम मोदी है, आटे के स्टाक के सिलसिले

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

में पकड़ा गया, पर अबतक उन पर किसी भी कचहरी में मुकदमा नहीं चलाया गया । अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का इसी प्रकार प्रयोग किया जाना है तो बेहतर है इस अधिनियम पर विचार ही न किया जाए ।

योजना आयोग द्वारा श्री मोहन धारिया की अध्यक्षता में आवश्यक वस्तुओं तथा उन उपभोग वस्तुओं की समस्या पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने सिफारिश की है कि अनाज, दालें, मोटा कपड़ा, चीनी, तेल, आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए और इन वस्तुओं के वितरण के लिए समूचे देश में एक व्यापक वितरण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना चाहिये । उपरोक्त समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सभी आवश्यक वस्तुओं के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होनी चाहिये । किन्तु केन्द्र सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया । इस संदर्भ में, मैं बताना चाहता हूं कि पहले मोटे अनाज का वितरण तमिलनाडु सरकार के हाथ में था, लेकिन केन्द्र सरकार ने अचानक ही राज्य सरकार से परामर्श किए बिना मोटे अनाज के लाने-ले जाने पर से प्रतिबंध हटा दिया । परिणामस्वरूप तमिलनाडु राज्य को खाद्यान्नों के अत्याधिक अभाव का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए जिम्मेदार है केन्द्र सरकार । इस संशोधी विधेयक से न तो काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और न उसकी वृद्धि रूकेगी । यह सभी उपाय नकारात्मक रवैया सिद्ध होंगे । यदि सरकार आवश्यक वस्तुओं को उचित दर पर देने हेतु दृढ़ संकल्प है तो मोहन धारिया समिति की सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाना चाहिये ।

इस समय आयातित रासायनिक उर्वरक राज्य सरकारों को आबंटित किए जाते हैं, परन्तु देश में उत्पादित उर्वरकों के वितरण का कार्य राज्य सरकारों को नहीं सौंपा गया है । जबकि उर्वरक किसानों को ही दिये जाने हैं तो दोनों प्रकार के उर्वरकों के वितरण का कार्य राज्य सरकारों को सौंपा जाना चाहिए । मेरा वाणिज्य मंत्री से अनुरोध है कि वह इस विधेयक के अंतर्गत जनता को उचित दामों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिये प्रभावशाली कार्यवाही करें ।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर चर्चा के लिये दो घंटे नियत किए गए थे । नियत समय तो समाप्त हो गया है और अभी 8 सदस्य इस वाद-विवाद में भाग लेने के इच्छुक हैं मैं सदन की राय जानना चाहता हुं ।

श्री के० रघुरामैया : यदि सदस्यों को 5–5 मिनट भी दिए जाएं तो 40 मिनट लग जाएंगें । फिर, मंत्री महोदय को भी 20 मिनट लग जाएंगे । तब उसके बाद खंडवार विचार प्रारम्भ होगा, जिसमें आधा घंटा और लग जाएगा ।

सभापति महोदय : अतः मैं मंत्री महोदय को 4.30 बजे बुलाऊंगा ।

श्री सैय्यद अहमद आगा (बारामूला) : मैं इस विधेयक का तीन कारणों से समर्थन करता हूं, क्योंकि कि तुरंत निर्णय देने की बात जोड़ने से इसमें कुछ सुधार किया गया है, दूसरें दण्ड में बढ़ोतरी की गयी है और तीसरे, कम से कम दण्ड की व्यवस्था की गई है । अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

किन्तु इस विधेयक से समस्या हल नहीं होने वाली । जब तक हम आवश्यक वस्तुओं के क्षेत्र में से गैर सरकारी क्षेत्र के हस्तक्षेप को पूर्ण रूप से समाप्त करने का मूल निर्णय नहीं लेते, तब तक विधेयक स्थिति का समाधान करने में सहायक सिद्ध नहीं होगा ।

[श्री सैयद अहमद आगा]

सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि हम गैर-सरकारी क्षेत्र को आवश्यक वस्तुओं के क्षेत्र से बाहर निकाल दें । लोगों को जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं अवश्य मिलनी चाहियें । इसके साथ सरकार को इन वस्तुओं का वितरण सहकारिताओं को देना चाहिये । यदि सहकारिताओं को इसके सक्षम नहीं समझा जाता तो यह काम सरकार अपने हाथ में ले । जहां तक गेहूं का संबंध है इसकी एकाधिकारी वसूली होनी चाहिये । लोगों को यह वस्तुएं मिल नहीं रही हैं और इस स्थिति को हम यहां पर बैठे हुए देख नहीं सकते । केन्द्र तथा राज्य सरकारें भी अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकतीं ।

खाद्य और औषध अपमिश्रण की अनेक शिकायतें मिलती हैं । इसका कारण यह है की यह आवश्यक वस्तुएं गैर सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत हैं । अतः इनके उत्पादन के कार्य को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिय । गैर-आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन आदि गैर-सरकारी क्षेत्र पर छोड़ा जा सकता है ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : इस विधेयक से सारी समस्या का हल नहीं होने वाला है परंतु इतना अवश्य है कि इससे देश में आवश्यक वस्तुओं के समुचित वितरण में सहायता मिलेगी। आज भारत में ही नहीं सम्पूर्ण एशिया महादवीप को कमियों की जिस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, वह स्थिति लगभग 15 वर्ष तक बनी रहने की संभावना है । अतः हमें इस प्रकार का कानून बनाना है, जो स्थिति का 15 वर्षों तक सामना करने के लिये पर्याप्त हो ।

इन परिस्थितियों में मेरे विचार के अनुसार यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है । इस पर विचार करते समय हमें अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के साथ साथ वर्तमान सामाजिक एवं न्यायिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखना होगा । हमारी वर्तमान न्यायिक व्यवस्था कालाबाजारी, तस्करी आदि जैसे आर्थिक अपराधों का सामना करने के लिये पर्याप्त नहीं है । इसी कारण कुछ वर्ष पूर्व आबद्ध न्यायपालिका की बात उठाई गई थी । आबद्ध न्यायपालिका का अर्थ है कि वर्तमान सामाजिक वास्तविकताओं को दृष्टि में रखकर सामाजिक न्याय हो ।

इस विधेयक के संबंध में हमें यह भी देखना है कि इसे पूर्ण निष्ठा से लागू किया जाये ।

Shri Dhanshah Pradhan (Shahdol): Although the main Act has been in operation since 1955 but it has not been effectively used. Neither the price of any essential commodity has come down nor the availability of any item has become easy. People want the fixation of fair prices of essential commodities and proper system for their distribution. Poor people have to face lot of difficulties due to non availability of essential commodities.

Prices of essential commodities should be fixed and shop-keepers instructed to display the price lists so that people come to know how much they are required to pay for different items. Stern action should be taken against those who indulge in black marketing, corruption etc.

The Central Government has left the policy regarding price fixation under the states but the states are neglecting this duty and people are left at the mercy of big hop-keepers. Hence this responsibility tshould be taken over by the centre.

श्री विश्व नारायण शास्त्री (लखीमपुर) : आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 1974 का उद्देश्य मूल अधिनियम की कुछ कमियों को दूर करना है । इस प्रकार इसका विस्तार बहुत ही सीमित है । विधेयक का मुख्य उद्देश्य मुनाफाखोरो, काला बाजारी करने वाले व जमाखोरों को कड़ा दंड देने की व्यवस्था करना है । यदि संशोधन विधेयक का यह उद्देश्य सफल हो सके तो जनता

को इससे बहुत प्रसन्नता होगी । वास्तव में आवश्यक वस्तुएं कृषि, औद्योगिक विकास गृह और वाणिज्य मंत्रालयों के अन्तर्गत आती हैं । अत: जब तक इन मंत्रालयों के बीच और राज्यों के बीच समन्वय हो, तभी यह विधेयक तस्करी, चोर बाजारी व जमाखोरी रोकने में सहायक सिद्ध होगा । अत: मंत्री महोदय को यह आश्वासन देना चाहिये कि यह समन्वय स्थापित किया जायेगा ।

आज कालाबाजारी और जमाखोरी एक आम बात बन चुकी है । अत: इसे रोकने के लिये केवल कानूनी उपाय ही पर्याप्त नहीं । इसके विरुद्ध पर्याप्त जनमत तैयार किया जाये, जनता में जागरूकता पैदा की जाये । सरकार प्रचार साधनों के माध्यम से जनता को सचेत कर जिससे कि इस प्रकार की कार्यवाही करने वालों को सामने लाया जा सके । यह कहा गया है कि इसके द्वारा सजा को बढ़ाया गया है । वास्तव में इस विधेयक के अन्तर्गत अधिकतम एक वर्ष के कारावास के दंड की व्यवस्था है । अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी भी न्यायालय ने कानून के अन्तर्गत निहित अधिकतम दंड नहीं दिया । अत: मुझे आशंका है इसके अन्तर्गत मामलों में भी बहुत हल्की सजा देकर छोड दिया जायेगा ।

विधेयक के खण्ड 5 (ख) (2) के अन्तर्गत तस्करों और चोर बाजारी करने वालो के लिए बहुत बड़ा बचाव है । इसके अन्तर्गत कलेक्टर को जो अधिकार दिये गये हैं, वे अधिकार न्यायालय को दिये जाने चाहियें जिससे कि न्यायालय को कार्यवाही के दौरान गवाही आदि के द्वारा सारी बातें खुल सकें ।

यदि इस विधेयक के द्वारा मंत्रालय इस सामाजिक बुराई को समाप्त करना चाहता है, तो इसे कुछ नियम बनाने होंगे और सबको सतर्कता बरतने को कहना होगा । इस संशोधन विधेयक के साथ यह देखने का भी प्रयास करना होगा कि विपणन योग्य वस्तुओं की जमाखोरी न हो । इस प्रकार की सभी आवश्यक वस्तुएं देश भर में एक समान रूप से वितरित की जानी चाहियें ।

Shri M. C. Daga (Pali) : The Essential Commodities Act has been in force since 1955. My I know as to in how many cases action has been taken under the Act? The original Act had a number of good provision but every section of this Bill has got a proviso. I, therefore, say that this is merely a mockery. Our laws are good but investigations are not done properly.

The provisions being made the amending bill also would not be of much help. It is only poor people who suffer due to implementation of Acts and rich people go rest free. If the Government is serious about checking, hoarding and profiteering it should propose more stern measures. My feeling is that original Act is more effective and through this Amending Bill the Act is being made less effective. It is not going to be of any help ins checking, hoarding, profiteering, etc.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा मत है कि सभी सामाजिक बुराइयों व आर्थिक अपराधों को केवल कानून से ही समाप्त किया जा सकता है । परन्तु कठिनाई यह है कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें यह मान लेती हैं कि किसी भी बुराई को दूर करने के लिये कानून पास करना ही यथेष्ट है । यह बहुत ही दोषपूर्ण प्रवृति है ।

[**श्री नवल किशोर सिंह पीठासीन हुए।**
SHRI NAWAL KISHORE SINHA *in the Chair.*]

[श्री पी० जी० मावलंकर]

यह संशोधन विधेयक विधि आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर पेश किया गया है । विधि-आयोग ने कानूनी कदमों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक कदम उठाने का भी उल्लेख किया है । परन्तु क्या सरकार ने इस पहलू पर विचार किया है ?

इस संशोधन विधेयक से एक बात स्पष्ट होती है कि हमारे सामाजिक जीवन में सभी पक्षों में इतनी गिरावट आ चुकी है कि इस प्रकारके के विधेयक की आवश्यकता प्रतीत हुई है। अहमदाबाद में किए गए एक सर्वेक्षण से प्रकट हुआ था कि व्यापारियों, फेरिवालों दुकानदारों आदि के 75% तोलने के बाट दोषपूर्ण थे जिससे उपभोक्ताओं को पूरा माल नहीं मिलता । यह स्थिति अहमदाबाद की ही नहीं सारे देश की है । क्या सरकार इस प्रकार की समस्या को केवल कानून से हल करेगी ? वास्तव में हमारे कानून तो अच्छे हैं परन्तु उनका कार्यान्वियन दोषपूर्ण है । सरकारी तन्त्र में आज भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है । रिश्वत देकर किसी भी अपराध की सजा से बचा जा सकता है । जब यह स्थिति हो ,तो फिर कानून बनाने की क्या आवश्यकता है ? वास्तव में सरकार को दृढ़ता और ईमानदारी की आवश्यकता है हमारी न्याय व्यवस्था भी कानून की भावना के साथ ईमानदारी नहीं बरतती और यह अपेक्षित रूप से प्रगतिशील भी नहीं है । हमें इस स्थिति को सुधारना है । समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध जनमत तैयार किया जाय। जनता को सामाजिक व आर्थिक अपराध करने वाले व्यक्तियों का बहिष्कार करना चाहिये ।

सरकार को यह भी देखना है कि शासन तन्त्र क्या इस प्रकार के कार्य करने के लिए सक्षम है ? मेरा यह भी मत है कि जितने अधिक कानून बनाये जा रहे हैं उतना अधिक भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है । कानून की आवश्यकता है परन्तु उसके साथ यह देखना भी जरूरी है कि उनका कार्यान्वियन भी हो ।

Shri Shrinath Singh (Jhunjhunu): While presenting the Bill the Minister has stated that offiences have been made non bailable minimum punishment has been enhanced. Provision regarding summary trial has also been proposed. Now a common man can hope that his difficulties with regard to essential commodities would been over. But I feel that merely passing of laws is not going to make any difference. The only thing which makes any difference is their implementation. It is therefore necessary that implementation of the Act is made more effective. There should be a provision in the Act that those officers who fail to discharge their duties, enjoined upon them under the act, would be punished.

A provision has been made under clause 6 about a sentence of imprisonment but a proviso has been added which is a mockery of this clause.

Similarly, it is mentioned in clause 10(6) that any company found involved in such activities, the name of that company will be published in the newspapers. It means that company will be able to save the amount which was to be incurred by it for its advertisement. This will not yield any fructuous result.

I think the provisions in clauses 4 and 6 are correct.

There is a proviso in every clause as defence. As a result of this, the affluent people will be able to defend themselves but the poor will not be able to do so. These provisions shold not be there.

If the people think that there will be much facilities under the Essential Commodities Act, they will have misunderstanding.

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): I support the resolution moved by Shri Joshi and request the hon. Minister to withdraw this bill because it is not going to serve any purpose. Before promulgation of this ordinance on June 22 we expected radical change in the situation and relief to the people but now we find nothing like that. There is no provision in this Bill about the modelities of arresting the profiteers, hoarders and black-marketeers.

The other point mentioned in this Bill is with regard to *mens rea*. The provision of *mens rea* will be misused by the bureaucrates.

Nothing has been done to streamline the distribution system.

So far as the essential commodities are concerned, their prices continue to spiral. A ceiling should be imposed on the price of the foodgrains. The manufacturers earn huge profits on their produce. The Government will have to take steps to fix the retail prices of the items reasonably more than the cost of production,

During the period of 27 years, the Government has not been able to check price-rise.

Kerosene is an essential commodity for the common man, particularly in rural areas. This commodity had not been included in the old Act nor it has been included in the present Act. This shows the extent of foulty policies of the Government.

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ । यह बहुद्देश्यीय विधेयक है । अधिकांश बनावटी कमी लोभी व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न की जाती है जो स्वार्थ साधन के लिए समाज विरोधी गतिविधियों में लग रहते हैं । मुख्य कठिनाई यह है कि इस अधिनियम को क्रियान्वित करने वाला सरकारी तंत्र अपना कर्तव्य नहीं निभा पाता है जिससे पकड़े गए व्यक्ति छूट जाते हैं और अन्ततोगत्वा सरकार पर आरोप लगाया जाता है ।

यद्यपि सरकार इस अधिनियम के माध्यम से पशुओं और मोटरगाड़ियों द्वारा ढोये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं को जब्त कर लेगा तथापि सरकार को आवश्यक वस्तुएं ढोने वाले बजरों और विमानों को नहीं छोड़ना चाहिये । यहां तक कि वस्तुओं को ले जाते पकड़े गए वाहनों के चालकों ,स्वामियों तथा एजेंटों को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिये और उनके वाहन जब्त कर लेने चाहिये और उन्हें जेल में डाल दिया जाना चाहिये और उनकी कोई अपील नहीं सुनी जानी चाहिये । कलेक्टरों और न्यायाधिशों को अधिकाधिक शक्तियां दी जानी चाहिये ।

इस संशोधन विधेयक के अन्तर्गत किसी आदेश का कोई व्यक्ति उल्लंघन करे तो उसे एक वर्ष से कम का कठोर दंड का कारावास नहीं दिया जाना चाहिये और 5000 रुपए का जुर्माना दिया जाना चाहिए ।

संबंधित मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से इस अधिनियम की क्रियान्विति सुनिश्चित करनी चाहिये ।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : माननीय सदस्यों ने बहुत से प्रश्न उठाये हैं । अतः मैं केवल ठोस प्रश्नों को ही लूंगा ।

सर्व प्रथम, मैं श्री मिश्र द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करता हूं ।

जो बातें कही गई हैं वे केवल राजनीतिक दलों तक ही सीमित नहीं है अपितु समूचे समाज से सम्बन्ध रखती है । श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी ने सुझाव दिया कि जबतक उपभोक्ताओं की ओर से प्रतिरोध नहीं किया जायेगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा ।

इस विधेयक के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उपभोक्ता प्रतिरोध और प्रभावी वितरण प्रणाली ऐसे साधन हैं, जो नितान्त आवश्यक है ।

[प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय]

श्री गोस्वामी ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिये मजिस्ट्रेट के अधिकार पर्याप्त नहीं हैं। मेरा यह कहना है कि यह थोड़ा सही है परन्तु मजिस्ट्रेट मामलों को उच्च अधिकारियों को सौंप सकता है।

खंड 4 और 6 के बीच कथित असंगति का उल्लेख किया गया है। इसके गहन अध्ययन से माननीय सदस्य को पता चलेगा कि असंगति नहीं है।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : ऐसा हो सकता है कि कलेक्टर और सांविधिक अधिकारी के आदेश एक दूसरे से मेल न खायें। ऐसी स्थिति में विरोधाभास होगा।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यदि इन खंडों को साथ में पढ़ा जाना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने तो यह आलोचना की है कि विधेयक पर्याप्त रूप से कठोर नहीं है तो दूसरी ओर यह आलोचना की गई है कि कानून ने कठोर स्वरूप धारण कर लिया है मेरा सुझाव है कि यदि 'मेन्स रिया' की परिकल्पना भी की जाती है तो उसे खंड 8(2) के अन्तर्गत काम किया जा सकता है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या मंत्री महोदय कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें अभियुक्त तथ्यों और परिस्थितियों के अतिरिक्त यह सिद्ध कर सके कि उसकी ऐसी मंशा नहीं थी अथवा उसे अपराध का ज्ञान नहीं था ? क्या कोई व्यक्ति सम्भावनाओं के अतिरिक्त किसी अन्य बातों से यह सिद्ध कर सकता है कि वह निर्दोष है ?

श्री डी० के० पंडा : मेरे विचार से साक्ष्य अधिनियम में इसकी व्यवस्था है अतः इस खंड की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री बी० आर० शुक्ल : अधिनियम की मूल धारा संख्या सात के अन्तर्गत ऐसे सभी मामले आ जाते हैं अतः यह नया खंड जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : इसकी आवश्यकता है क्योंकि जहां तक सम्भाव्यता का संबंध है, वह कम या अधिक हो सकती है। इस खंड के माध्यम से जहां सम्भाव्यता अधिक है उसे तथ्य माना जाएगा। माननीय सदस्यों का यह कहना न्यायसंगत है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। किन्तु कानून बनाना अनिवार्य तो है। यह दावा किसी ने नहीं किया कि कानून बना देने से ही अपराध समाप्त हो जाते हैं। अपराध सदा से होते आये हैं तथा उनकी सजा भी मिलती रही है। यह हमने नहीं कहा कि यह कानून पर्याप्त है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कहा है कि सरकार को राज्य सरकारों, न्यायपालिका, राजनीतिक दलों तथा जनता सभी का सहयोग चाहिये तभी इस विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। इस विधेयक का बहुत सीमित उद्देश्य है जिसका सम्बन्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम को अधिक प्रभावकारी बनाने तथा दण्ड संबंधी उपायों को कठोर बनाने से है। आशा है सभा मुझसे सहमत होगी।

श्री पी० जी० मावलंकर : इन संशोधनों को प्रभावी बनाने के लिये, प्रशासन में सुधार लाने के लिये वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

Shri Jamannathrao Joshi (Shajapur): Sir, I am obliged to the hon. Members who have supported to Resolution. As I have originally indicated, I am not opposed to the objective of this Bill. I raised two objections in this regard. Firstly, why was this measure introduced in the form of ordinance neglicting the authority of the Parliament? The hon. Minister has not replied to this question.

Secondly, the hon. Minister has not indicated precisely the main defects in the original Act which necessitated the Government to bring this Bill. I don't find any major change sought to be made in the original Act through this Bill. They have simply increased the period of imprisonment from 5 years to 7 years or so. I think it will not help in minimising the cases of such offences. It is a fact that the entire machinery is corrupt and unless the administrative machinery is streamlined, all the legislation will be proved of no use.

I would like to invite the attention of the House to the news item published in 'Navbharat Times'. The Association of Jangpura Extention Market has cancelled the change of corruption against the zonal inspector. The shop-keeper have also written letter to the Prime Minister demanding enquiry against the officers. I also sugget that the comodities like kerosene must be included in the list of essential commodities because people in various parts of the country are not getting it.

It is also a matter of great concern that the farmers as not given reasonable prices of their Produces like sugar cane, raw cotton and ground nut. On the contrary the prices of finished goods, like sugar, cloth and vegetable oil are very high. Thus there is a great difference between the procurement price of raw matrial and the market value of the finished goods. How can the consumers get foodgrains cheap rates when the handling changes of Food corporation of India have gone so high?

So far as the objectives of the legislations are concerned we have got no objection to them. We feel that the legislations are not implemented properly. We have come to know that the officers have fixed the rates of bribary. Thus, only those persons are put to harassment who do not oblige the officers with the bribery. According to this newspaper a complaint was lodged with the Commissieners of Food and supply against the zonal inspector but no action has been taken so far in this regard. Not only this, but the concerned shopkeeper was not given adequate quantity of ration items as a result of which so many card holders could not get their ration. So far as the adulteraton is concerned, I would like to know the steps taken by the Government against the person who are responsible for mixing *dhotura* in the milo imported from America Through supply mission. Was it not a case of adulteration? When the Government themselves commit such corrupt practices how can they put any check on private dealers in the regard?

I would also like to draw the attention of the hon. Minister of the differences between the Hindi version and the English version of the Bill. In section 3 of Hindi version of the Bill the words foodgrains, edible oil seeds and edible oils are mentioned while they are missing in English version. May I know whether the hon. Minister is aware of it? I suggest that such mistakes should not be allowed to occur. With these words I oppose the Bill.

Shri Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur): Sir, I had sent my name but I was **not** called to speak.

Mr. Chairman : Your name was not there.

Shri Swaran Sing Sokhi : In future shall not send my name through The ministry.

सभापति महोदय : पहले मैं संविधिक संकल्प को मतदान के लिय रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 जून, 1974 को प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 2) का निरनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब विधेयक पर खंडवार विचार किया जाएगा ।

Shri Atal Bihari Vjapayee (Gwalior): The difference between Hindi version and English version.

सभापति महोदय: क्या मंत्री महोदय इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : अंग्रेजी संस्करण में इन वस्तुओं के नाम संलग्न में दिये हुए हैं । मैं उन वस्तुओं को स्वीकार करता हूँ ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय के अनुसार अंग्रेजी संस्करण मान्य है । वर्तमान अधिनियम के साथ एक सूची संलग्न है जिसको संशोधित नहीं किया जा रहा है ।

श्री जगन्नाथराव जोशी : अंग्रेजी संस्करनों में यह नहीं है (**व्यवधान**) ।

सभापति महोदय : मेरे विचार से भविष्य में अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये । (व्यवधान) अब हम खंड दो पर विचार करेंगे । इसमें डा० लक्ष्मीनारायण का संशोधन संख्या 27 आया है ।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur): I beg to move my amendment No. 27 and suggest that certain items like soap, and toothpaste fertiliser should be included in this clause.

The farmers are in urgent need of fertilizers but the same has not been included in it. Similarly pumping sets of less than horsepower and their accessories, shoes, Stationery, text-books, cottonyarn, matchboxes, kerosene, etc. should have been included in it. The peple have to face enormous difficulties owing to shortage of these essential items. In view of items I request that may amendment my kindly be accepted.

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : धारा 2-एक के अन्तर्गत हम सूची में समय समय पर परिवर्तन कर सकते हैं । मेरे विचार में यह संशोधन आवश्यक नहीं है, अतः मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : क्या उनके विचार में मिट्टी के तेल की सम्मिलित करना अभी आवश्यक नहीं है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इसको सम्मिलित किया गया है । पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों को शामिल किया गया है, अतः यह संशोधन आवश्यक नहीं है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 27 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 27 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

Th motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3

सभापति महोदय : अब खंड संख्या 3 पर चर्चा की जायेगी । इस पर भी कुछ संशोधन हैं ।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : मैं संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : मैं संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करता हूं ।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : मैं संशोधन संख्या 30 और 31 प्रस्तुत करता हूं ।

The purpose of amendment in to exempt the farmers much small holdings i.e., upto 7½ acres of land from land revenue. Uneconomic holdings should not be included in this provision.

My second amendment is that Government may take over essential commodities but the market price should be paid to the producer for the same. The Government should not take artillary decision in the matter.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने जो उत्तर दिया है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहना है । मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता । इनसे और समस्याएं तथा कठिनाइयां पैदा हो जाएंगी ।

Dr. Laxminarayan Pandeya: What has he to say about uneconomic holdings? After all they are facing many difficulties and if they are exempted, it will help them.

सभापति महोदय : वह इस समय मंत्री महोदय को इस बात के लिये राजी नहीं कर सकते ।

सभापति द्वारा संशोधन संख्या 28 से 31 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 28 to 31 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was added to the Bill.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4

श्री बी० आर० शुक्ला (बहराइच) : मैं अपना संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 46 और 47 प्रस्तुत करता हूं । परन्तु सभा में से मेरे कागजात हटाये जाने पर रोष प्रकट करता हूं । मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे कागजात किसने चुराये हैं । वे अभी अभी लाये गये हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : उन्हें दोष प्रकट करने के लिये सभा भवन से बाहर चला जाना चाहिये ।

तत्पश्चात श्री स्वर्ण सिंह सोखी सभा भवन से बाहर चले गए ।

Shri Swaran Singh Sokhi then left the House.

सभापति महोदय : मैं यह परामर्श देने के लिये माननीय सदस्य को धन्यवाद करता हूं

श्री डी० के० पण्डा (भंजनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 78 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Sat Pal Kapur (Patiala) : The speech of Shri Swaran Singh Sakhi should be expunged in view of his behaviour and the condition in which he entered the House.

Shri Manendra Singh Bewara (Bhilwar): His speech was not unparliamentary.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The question of remarks being expunged does not arise. But ruling party should take it seriously to avoid recurrence of such incidences.

सभापति महोदय : उन्होंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं की है । हमें इस घटना को भूल जाना चाहिये ।

श्री बी० आर० शुक्ल : धारा 6 एक के अधीन कलेक्टर किसी भी अनिवार्य वस्तु को जब्त करने का आदेश दे सकता है । मूल अधिनियम की धारा 7 में भी जब्त करने का उपबन्ध है परन्तु उसमें संशोधन नहीं किया गया । दूसरी ओर न्यायालय ही संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकता है । इस प्रकार कलेक्टर के आदेश और न्यायालय के निर्णय में टकराव हो सकता है, इसीलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में कोई मामला विचाराधीन हो, तो न्यायालय द्वारा पास किये गए आदेश कलेक्टर को मानने ही पड़ेंगे ।

तत्पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, 23 अगस्त, 1974 भाद्र 1896(शक) के ग्यारह बजे म० पूर्व तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday August 23, 1974 Bhadra 1,1896 (Saka).

GIPN—S1—29 L.S.S./74—14-11-74—490.